विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सार	V
	मुख्य बातें	viii
	सिफारिशों का सार	x
अध्याय 1-	प्रस्तावना	1
अध्याय 2-	समग्र लेखापरीक्षा निष्कर्ष	8
अध्याय 3-	राज्य विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्ष	28
	परिशिष्ट	69
	संक्षेपणों की सूची	102

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन मे त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी) की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलत है जिसे संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

जून तथा अक्तूबर 2007 के दौरान 26 राज्यों में पेय जल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय संधीय), राज्य सार्वजनिक स्वस्थ्य अभियान्त्रिकी विभागों एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की परख जांच द्वारा लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में 2002-2003 से 2006-2007 की अवधि शामिल की गई थी।

कार्यकारी सार

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्त्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी) मूलरूप से भारत सरकार (जी.ओ.आई) द्वारा 1972-73 में आरम्भ किया गया था तथा 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन (एन.डी.डब्ल्यू.एम) आरम्भ करके इसे मिशन का रूप दिया गया। 1999 में आवृत/अनावृत (एन.सी) तथा आंशिक रूप से आवृत (पी.सी) बसावटों, जिन्हें निर्धारित मानक 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एल.पी.सी.डी) पेयजल की आपूर्त्ति नहीं हो रही थी, की पहचान हेतु एक व्यापक कार्य योजना (सी.ए.पी 99) बनाई गई। इसके अतिरिक्त, 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम, जिसका एक घटक ग्रामीण पेयजल आपूर्त्ति था, जिसके अन्तर्गत 2008-09 तक सभी अनावृत बसावटों को आवृत करना तथा स्लीप-बैक एवं जल गुणवत्ता की समस्याओं को भी दूर करना था, आरम्भ किया गया।

इस कार्यक्रम की पूर्व में लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी तथा इसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 1998 की संख्या 3 (अध्याय 6-राष्ट्रीय पेयजल मिशन) तथा 2002 की संख्या 3 (अध्याय III -ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी) में शामिल किया गया था। परवर्ती प्रतिवेदन में सार्थक प्रेक्षण अर्थात् बसावटों की समस्या का पुनः प्रकट होना, योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निकृष्ट योजना, जल-गुणवत्ता हेतु पर्याप्त अनुवीक्षण की कमी, अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी तथा निकृष्ट निधि प्रबन्ध तथा अपर्याप्त एवं अप्रभावी कार्यक्रम अनुवीक्षण इत्यादि अभी भी प्रासंगिक है।

2002-03 से 2006-07 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल प्राप्त निधियों रू 16104 करोड़ में से राज्य सरकारें रू 11323 करोड़ ही (70 प्रतिशत) उपयोग कर सकी।

26 राज्यों में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के कार्यान्वयन से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2002 से मार्च 2007 तक की अवधि को आवृत करते हुये जून और अक्तूबर 2007 के मध्य, की गई। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मन्त्रालय को जारी किया गया, जिसने अपनी प्रतिक्रिया एवं 24 राज्यों की टिप्पणियां भी अग्रेषित की।

निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि ग्रामीण जल-आपूर्त्ति क्षेत्र पर प्रथम पंचवर्षीय योजना से रू 66,000 करोड़ के निवेश के बावजूद, ग्रामीण पेयजल आपूर्त्ति में सुधार हेतु व्यापक

आवश्यकता है । पूर्ण आवृत बसावटों का स्लिप-बैक होना तथा समस्याग्रस्त बसावटों के रूप में पुनः प्रकट होना, एक भारी समस्या बननी थी।

आवधिक अन्तराल में बसावटों का सर्वेक्षण सुरक्षित पेयजल हेतु अनुवृद्वि को मूल रूप से आवृत करके अनुमान लगाने हेतु महत्वपूर्ण हैं। तथापि, राज्यों के 2003 के राष्ट्रीय बसावट सर्वेक्षण के संचालन में पर्याप्त कमियां थी, जिसने सर्वेक्षण आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता तथा योजना के उद्देश्यों हेतु इसकी उपयोगिता सम्बन्धी आश्वासन को बुरी तरह प्रभावित किया।

बहुत से राज्यों में वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी) विस्तृत और व्यापक बसावटों-अनुसार विश्लेषणों पर आधारित नहीं थी। परिणामस्वरूप लक्ष्य तदर्थ आधार पर निर्धारित किये गये थे, जिसने समस्या के आवृतन को बुरी तरह प्रभावित किया; अधूरे कार्यो के साथ-2 समस्या की सघनता पर आधारित बसावटों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि मंत्रालय ने राज्यों को समय पर न केवल ए.ए.पी तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये योजनायें बसावटों-अनुसार हो, एस.सी/एस.टी जनसंख्या हेतु योजनाओं का विवरण इन परियोजनाओं में विशेष रूप से दिखाना चाहिए।

त्रुटिपूर्ण वित्तीय नियंत्रण के अनेक उदाहरण थे, बहुत से राज्यों में त्रुटिपूर्ण वित्तीय नियंत्रण के साथ ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी निधियों के अग्राह्य व्यय तथा विपथन थे। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि मंत्रालय को राज्य सरकारों के विरूद्ध ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी निधियों को अनानुमोदित कार्यों हेतु विपथित करने के मामलों में दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिये।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से कार्यों के निष्पादन तथा कार्यान्वयन में बहुत सी कमियां प्रकट हुई। इसके अन्तर्गत समय तथा लागत का अधिक होना, कार्यों का पूरा न होना/विलम्ब से पूरा होना, अकार्यात्मक/अप्रचलित कार्य, कार्यों को गलत प्राथमिकता देना तथा अपव्यय तथा निष्फल व्यय के मामले शामिल थे।

राज्य जिला स्तर पर परीक्षण हेतु अपर्याप्त अवसंरचनाओं, तथा आवधिक परीक्षण की आवश्यकताओं का पालन न करते हुये जल गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे थे। ग्राम-स्तर पर फील्ड परीक्षण किट का वितरण तथा इस्तेमाल भी निकृष्ट था तथा जल गुणवत्ता उप-मिशन के अन्तर्गत परियोजनायें प्रायः विलम्बित थी अथवा अकार्यात्मक थी। राज्य सरकारों को तथा ग्राम स्तर पर भी निर्धारित अवधि के पश्चात् पॉजीटिव नमूनों सहित जल नमूनों की जाँच भी सुनिश्चित करनी

चाहिए। इसके अतिरिक्त वांछित संख्या में क्षेत्रीय परीक्षण किट प्राप्त की जाए तथा ग्राम स्तर के कर्मचारियों को वितरित की जाये ताकि जल गुणवत्ता परीक्षण संस्थापन के उद्देश्यों को मूल स्तर पर प्राप्त किया जा सके।

कुछ राज्यों ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्यभर में जल संचारण ग्रिड, आई.ई.सी. अभियान के प्रयोग के कार्यान्वयन सहित जल की दीर्घकालीनता हेतु प्रवर्तित पद्धतियां तथा पुनर्निर्मित ढाँचों के प्रभाव के आंकलन हेतु सदूर संवेदन प्राद्योगिकी के प्रयोग को शुरू कर दिया था। तथापि बहुत से राज्यों ने जल स्त्रोतों, विशेषरूप से भू-जल, की दीर्घकालीनता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त उपायें नहीं किये। योजनाओं का भू-जल स्त्रोतों पर निर्भरता का अनुपात बहुत अधिक था। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों द्वारा दीर्घकालीन घटकों, जो उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों, को उपयुक्त महत्ता दें। दीर्घकालीनता पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण संबंधित मुख्य क्षेत्रों में बसावटों की स्लिप बैक का जारी रहना सम्भव है।

स्वजलधारा के मांग अनुसार भागीदारी के कार्यान्वयन में पयाप्त कमियां थीं। बहुत से मामलों में, लाभभोगी अंशदान, जो स्वजलधारा मूलाधार होता है, पूर्णतः प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्वजलधारा योजनाओं को निष्पादित न करने तथा विलम्ब से निष्पादित करने के बहुत से मामले थे।

अतः निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्ष दर्शाते हैं कि (क) सभी समस्याग्रस्त बसावटों की यथार्थ पहचान करने, (ख) समस्याग्रस्त बसावटों के कार्यों के निष्पादन का समुचित मिलान करने (ग) जल गुणवत्ता तथा (घ) स्त्रोतों की दीर्घकालीनता से सम्बन्धित मामलों पर विश्वास कम है। समस्याग्रस्त बसावटों की पेयजल आवश्यकताओं के निवारण हेतु इन क्षेत्रों में मूल स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि भू स्थिति के अतिरिक्त योजनाओं में केवल निधियों के लगाने तथा कुछ संख्या में उपलब्धता (समस्याग्रस्त बसावट एवं कार्य निष्पादन सम्बन्धी) की प्रभावोत्पादकता प्रश्नात्मक बनी रहेगी।

मुख्य बातें

अप्रैल 2002 से मार्च 2007 की अवधि को आवृत करते हुये, ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी की निष्पादन लेखापरीक्षा जून और अक्तूबर 2007 के मध्य की गई थी। इसके अन्तर्गत 26 राज्यों में पेयजल आपूर्त्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), राज्य सरकारें, जिला तथा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल निगम इत्यादि) से संबंधित अभिलेखों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा से निम्न प्रकट हुआ।

- बसावटों का निश्चित अन्तराल अवधि के पश्चात् सर्वेक्षण सुरक्षित पेयजल तथा भू-जल स्तर के क्षेत्र का अनुमान लगाने हेतु आवश्यक है। राज्यों द्वारा 2003 के राष्ट्रीय बसावट सर्वेक्षण में पर्याप्त कमियां थी, जिसने सर्वेक्षण आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता तथा योजना के उद्देश्यों हेतु इसकी उपयोगिता को बुरी तरह प्रभावित किया।

(पैराग्राफ 2.1)

- बहुत से राज्यों में बसावटों-वार विस्तृत तथा व्यापक आंकड़ों पर आधारित वार्षिक कार्य योजना के विश्लेषण के अभाव में, लक्ष्य सांख्यिक आधार पर निर्धारित किये जा रहे थे, तथा कार्य तदर्थ-आधार पर आरम्भ किये गये थे। इसने बसावटों के आवृत होने को, विशेषरूप से अधूरे कार्यों को प्राथामिकता के आधार पर पूर्ण करने, तथा अनावृत (एन.सी.) आंशिक रूप से आवृत (पी.सी) बसावटों को बुरी तरह प्रभावित किया।

(पैराग्राफ 2.2)

- निधियों के त्रुटिपूर्ण वित्तीय नियन्त्रण सहित ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी निधियों के अग्राह्य व्यय तथा विपथन के बहुत से मामले थे।

(पैराग्राफ 2.4 तथा अध्याय 3)

- योजना के लक्ष्यों के विपरीत, पूर्ण आवृत बसावटों के स्लिप-बैक तथा तथा समस्याग्रस्त बसावटों का पुनःउद्गमन एक निरन्तर मुख्य समस्या बनी हुई थी, अत इस कारण कार्यक्रम को जारी रखने की अनिश्चितता बनी हुई थी।

(पैराग्राफ 2.5)

- राज्यों में जलगुणवत्ता हेतु पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। विशेष रूप से जिला स्तर पर जल गुणवत्ता के परीक्षण तथा अनुवीक्षण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें अपर्याप्त थीं तथा आवधिक परीक्षण की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। जी.पी./वी.डब्ल्यू.एस.सी स्तर पर क्षेत्रीय परीक्षण किट वितरण तथा उपयोग अपर्याप्त था।

(पैराग्राफ 2.6)

- कुछ राज्यों ने जल संरक्षण के बढ़ावा देने के लिये राज्यभर में जल संचारण ग्रिड, आई.ई.सी अभियान के प्रयोग के कार्यान्वयन सहित जल की दीर्घकालीनता हेतु प्रवर्तित पद्धतियां तथा पुननिर्मित ढाँचों के प्रभाव के आंकलन हेतु सदूर संवेदन प्रोद्योगिकी के प्रयोग को शुरू कर दिया था। तथापि, बहुत से राज्यों ने जल-स्त्रोतों विशेष रूप से भू-जल की दीर्घकालीनता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किये। बहुत से राज्यों में भू-जल स्त्रोतों पर निर्भर योजनाओं का अनुपात बहुत अधिक था। दीर्घकालीनता पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण संबंधित मुख्य क्षेत्रों में बसावटों का स्लिप-बैक जारी रहना संभव है।

(पैराग्राफ 2.7)

- माँग अनुसार स्वजलधारा भागीदारी के गमन मार्ग के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां थी। बहुत से मामलों में, लाभभोगियों का अंशदान, जो स्वजलधारा का मूल था, पूरा प्राप्त नहीं हुआ। स्व-जलधारा योजनाओं को निष्पादित न करने तथा विलम्ब से निष्पादित करने तथा वित्तीय नियन्त्रण के बहुत से मामले थे। अभिलेखों के रखरखाव, लेखों की लेखापरीक्षा तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन अप्रभावी था।

(पैराग्राफ 2.9 तथा अध्याय 3)

- कार्यों के निष्पादन तथा कार्यान्वयन में बहुत सी कमियां थी। इन मामलों के अन्तर्गत अधिक समय और लागत, कार्यों का पूरा न होना, विलम्ब से पूरा होना, अकार्यात्मक/निष्क्रिय कार्य, तथा जल-गुणवत्ता मिशन परियोजनाओं का पूर्ण न होना, कार्यों को गलत प्राथमिकता देना, व्यर्थ तथा निष्फल व्यय, तथा अनानुमोदित मदों पर व्यय शामिल थे।

(अध्याय 3)

सिफारिशों का सार

- *पेयजल आपूर्त्ति विभाग (डी.डी.डब्ल्यू.एस) को राज्य सरकार द्वारा न केवल वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी) समय पर तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए जोर देना चाहिए बल्कि इस बात पर भी जोर देना चाहिए के ये योजनायें बसावट-अनुसार हों। एस.सी./एस.टी जनसंख्या हेतु योजनाओं का विवरण ए.ए.पी में विशेषरूप से दर्शाना चाहिए तथा योजना अनुसार इसे कार्यान्वित करना चाहिए।*
- *भारत सरकार को अग्राह्य व्यय/निधियों के विपथन के मामलों में वसूली हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।*
- *डी.डी.डब्ल्यू.एस को सभी राज्य सरकारों को निदेश देने चाहिए कि प्रत्येक जिले में पृथक कार्यशील प्रयोगशाला होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में योग्यता प्राप्त कर्मचारी हों तथा विद्यमान जिला प्रयोगशालाओं को अधिक मज़बूत बनाना चाहिए।*
- *राज्य सरकारों को निर्धारित समयावधि में जी.पी/वी.डब्ल्यू.एस.सी से पॉजीटिव जल नमूनों सहित जल नमूनों का परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए तथा ऐसे परीक्षणों का समुचित रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। इसको एक विस्तृत राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता अनुवीक्षण कार्यक्रम के एक घटक के रूप मे बनाया जाना चाहिए।*
- *वांछित संख्या में क्षेत्रीय परीक्षण किट (एफ.टी.के) प्राप्त करनी चाहिए तथा समुचित प्रशिक्षण के पश्चात् इन्हें ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों, जिन्हे पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, को वितरित करनी चाहिए ताकि जल गुणवत्ता परीक्षण संस्थापन के उद्देश्यो को मूल स्तर पर प्राप्त किया जा सकें।*
- *डी.डी.डब्ल्यू.एस. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों ने अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दीर्घकालीन घटकों को उपयुक्त महत्ता दी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को वर्षा जल संचयन करने, भू-जल के इस्तेमाल में नियंत्रण करने, भू-जल स्तर का अध्ययन करने तथा ऐसे अध्ययनों हेतु पुनर्निर्मित ढाँचे एवं सदूर संवेदन के प्रयोग तथा संबंधित*
- *प्राद्योगिकियों तथा डब्ल्यू.एस.एस. में भू-जल रिचार्ज के उन्नयन हेतु उपायों को प्रोत्साहित करना चाहिये।*

- *राज्य सरकारों को जल संरक्षण एवं स्थानीय जनसंख्या में दीर्घकालीन उपायों को अपनाने की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय सूचना, शिक्षा एवं संचारण (आई.ई.सी) अभियान आरम्भ करने पर भी विचार करना चाहिए।*
- *राज्य सरकारों को जल आपूर्त्ति योजनाओं के एक प्रतिनिधि नमूने का, उनके प्रभावीकरण तथा स्थानीय समूदाय की संतुष्टि के स्तर का आंकलन करने के लिए, एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी मूल्यांकन करने को बढ़ावा देना चाहिए।*
- *डी.डी.डब्ल्यू.एस राज्यों को यह सुनिश्चित करने हेतु निदेश दे कि सतर्कता तथा अनुवीक्षण समितियां गठित कर दी गई हैं तथा वे कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों को पूर्ण तकनीकी योग्यता वाले कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सहित एक विशेष अनुवीक्षण तथा निरीक्षण इकाई स्थापित करनी चाहिए।*

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

(ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी)

अध्याय -1 प्रस्तावना

1.1 कार्यक्रम का विहंगावलोकन

1.1.1 पृष्ठभूमि

पेय जल प्रदान कराना राज्य सरकार का विषय है और भारत सरकार (जी.ओ.आई) राज्य सरकारों द्वारा किये गये पूरक प्रयासों हेतु आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। राज्य व केन्द्र सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना से अब तक ग्रामीण जल आपूर्त्ति क्षेत्र में रु 66,000/- करोड़ निवेश किये हैं।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी) मूलरूप से भारत सरकार द्वारा 1972-73 में आरम्भ किया गया था, 1974-75 से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी) के लागू होने के पश्चात् इसे वापिस ले लिया गया था । चूंकि एम.एन.पी सन्तोषजनक नही पायी गई थी, 1977-78 में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी पुनः लागू की गई। 1986 में राष्ट्रीय पेय जल मिशन (एन.डी.डब्ल्यू.एम) लागू करने के पश्चात् समस्त कार्यक्रम को मिशन का रूप दिया गया। 1991 में एन.डी.डब्ल्यू.एम का पुनर्नाम राजीव गांधी पेय जल मिशन (आर.जी.एन.डी.डब्ल्यू.एम) रखा गया।

1999 में अनावृत (एन.सी) तथा आंशिक रूप से आवृत (पी.सी) बसावटों की पहचान करने एवं उन्हे आवृत करने के लिये व्यापक कार्य योजना (सी.ए.पी 1999) तैयार की गई। इसके अतिरिक्त भारत निर्माण कार्यक्रम, जिसका घटक ग्रामीण पेय जल आपूर्ति था, जिसमें सी.ए.पी. 99 के अन्तर्गत पहचान की गई सभी अनावृत बसावटों को आवृत करना तथा स्लिप बैक एवं जल गुणवत्ता की समस्याओं का चार वर्षों में 2008-2009 तक निवारण करना था, 2005 में शुरू किया गया।

भागीदारी के लिए लक्ष्य आधारित आपूर्ति निर्भर-दृष्टिकोण को मांग निर्भर-दृष्टिकोण में रूपान्तरित करने के लिए वर्ष 1999-2000 में 26 राज्यों के 67 जिलों में क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अग्रगामी आधार पर आरम्भ किया गया था। इसे बाद में संशोधित कर दिया गया तथा दिसम्बर 2002 में स्वजलधारा के रूप में प्रारम्भ किया गया जिसकी दो धारायें (स्ट्रीम) थी - प्रथम धारा (स्वजलधारा-I) - ग्राम पंचायत हेतु (जी.पी) या जी.पी के समूह या किसी मध्यवर्ती पंचायत के लिये थी और दूसरी धारा (स्वजल धारा - II) परियोजना क्षेत्र के रूप में जिले के लिये थी।

1.1.2 कार्यक्रम के उद्देश्य

ए आर डब्ल्यू एस पी के मुख्य लक्ष्य हैं :

- सभी ग्रामीण बसावटों को सुरक्षित पेय जल उपलब्ध करवाने हेतु सुनिश्चित करना;
- पेय जल प्रणालियों के स्त्रोतों की दीर्घकालीनता को सुनिश्चित करना;
- प्रभावित बसावटों में गुणवत्ता की समस्याओं का निवारण करना; तथा
- ग्रामीण पेय जल आपूर्ति क्षेत्र में सुधार हेतु संस्थापन को प्रोत्साहित करना।

1.1.3 मानदण्ड के क्षेत्र

जनसंख्या को पीने योग्य पेय जल आपूर्ति हेतु निम्नलिखित मानदण्ड अपनाये गये :-

- मानवों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर (एल.पी.सी.डी)
- रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी) के अन्तर्गत पशुओं के लिये इससे 30 एल.पी.सी.डी अतिरिक्त जल ।
- प्रति 250 व्यक्तियों के लिये एक हैण्डपम्प अथवा स्टैन्ड पोस्ट लगाना।

बसावटों का निम्न अनुसार वर्गीकरण किया गया है :-

- **अनावृत (एन.सी)/असुरक्षित स्त्रोत (एन.एस.एस)** बसावटें जहां पेय जल स्त्रोत/स्थल उपलब्ध नहीं हैं समतल क्षेत्र में बसावटों से 1.6 कि.मी. तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर अथवा बसावटें जहां जल के स्त्रोत हैं, जो की गुणवत्ता समस्याओं से प्रभावित है।
- **आंशिक आवृत (पी.सी)** बसावटें, जहां सुरक्षित पेय जल स्त्रोत हैं परन्तु संयंत्र की क्षमता 10 एल.पी.सी.डी से 40 एल.पी.सी.डी के मध्य है।
- **पूर्ण आवृत (एफ.सी)** बसावटें जो सभी शेष बसावटों को आवृत करेगी।
- ग्रामीण बसावटें जो जल गुणवत्ता की गहन समस्या से ग्रस्त है, के लिये **दोहरी जल आपूर्ति नीति** निर्धारित की गई है। उन बसावटों जिन्हे 10 एल.पी.सी.डी सुरक्षित जल, जो पीने व पकाने के कार्यो के लिये पर्याप्त होगा, उपलब्ध कराया जाता है वे बसावटें सुरक्षित स्त्रोत मानी जायेगी क्योंकि असुरक्षित स्त्रोतों से प्राप्त जल का उपयोग अन्य कार्यों, जैसे कि कपड़े धोने व स्नान करने आदि, के लिए किया जा सकता है।

1.1.4 ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के घटक

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के विभिन्न घटकों का एक विहंगावलोकन निम्न अनुसार है :-

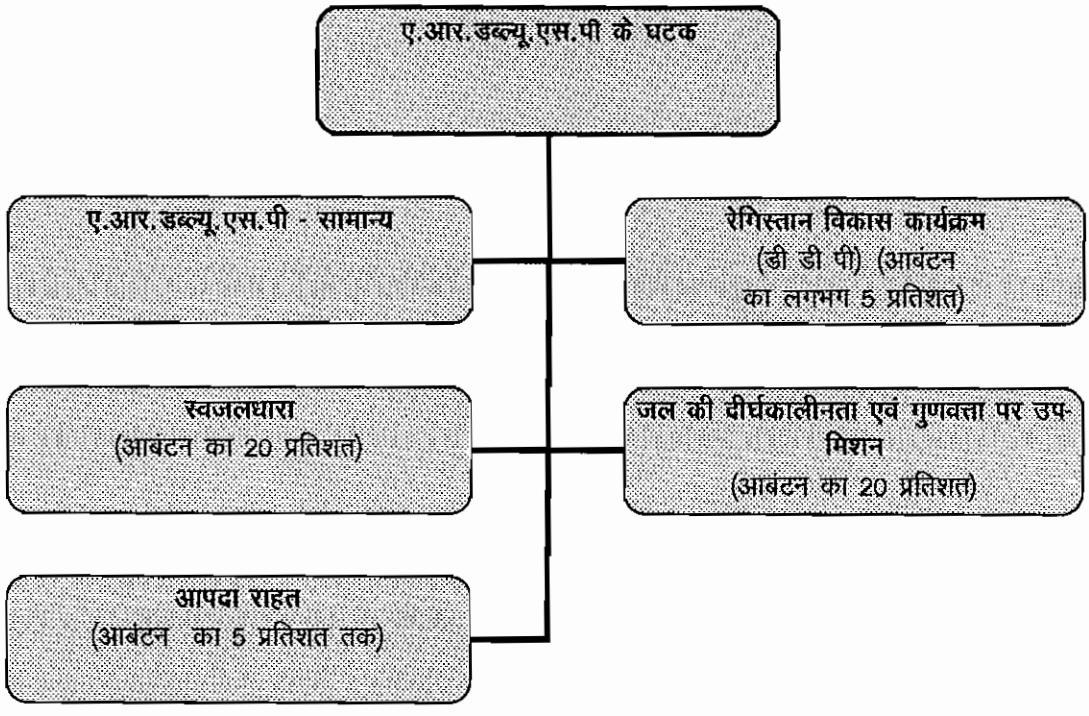

1.1.5 निधिकरण विधि

कार्यक्रम की निधिकरण विधि निम्न अनुसार है :-

- राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा दी गई निधि के समकक्ष, 1:1 के अनुपात में निधि आबंटित करेगी। तथापि उप मिशन के अन्तर्गत जल गुणवत्ता व दीर्घकालीनता के लिये भारत सरकार व राज्य सरकार का निधि निर्मुक्त करने का अनुपात 3:1 होगा और डी डी पी के अर्न्तगत भारत सरकार 100 प्रतिशत निधि आवंटित करेगी।

- राज्य सरकारों द्वारा निधियों का 20 प्रतिशत (क) उप मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जल गुणवत्ता की समस्याओं जैसे फ्लोरोसिस, आरसैनिक ब्रैककिसमैस अधिक आयरन व नाइट्रेट के निवारण हेतु ली गई परियोजाओं के लिए (निधियों का 15 प्रतिशत), (ख) जल संरक्षण, जल शोधन यन्त्र के रिचार्ज आदि द्वारा स्त्रोतों की दीर्घकालीनता सुनिश्चित करने के लिए (निधियों का 5 प्रतिशत), उपयोग किया जा सकता है।

- निधियों का 15 प्रतिशत तक सृजित सम्पत्ति के संचालन तथा रखरखाव (ओ एण्ड एम) हेतु उपयोग किया जा सकता है।

- अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या को पेयजल आपूर्त्ति हेतु निधियों का कम से कम 35 प्रतिशत इस्तेमाल करना।

- सुधार परियोजना कार्यक्रम क्षेत्र व स्वजलधारा के अर्न्तगत परियोजनाओं हेतु निधीकरण के प्रतिरूप मे भारत सरकार से 90 प्रतिशत व समुदाय अशंदान के रूप मे 10 प्रतिशत।

1.1.6 संगठनात्मक ढांचा

पेय जल व सफाई प्रबन्धन के क्षेत्र में वैज्ञानिक, वित्तीय एंव तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेयजल आपूर्त्ति विभाग (डी.डी.डब्ल्यू.एस) राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध करवाने हेतु नाडल विभाग है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी, कार्यक्रम आर.जी.एन.डी.डब्ल्यू.एम द्वारा मिशन के रूप में लागू किया गया हैं।

राज्य स्तर पर, कार्यक्रम को जन-स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी विभाग/जल बोर्ड/निगमों/स्वायतः निकायों/प्राधिकरणों द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकार के अर्न्तगत कार्यान्वित किया जाता है।

1.2 2002-2007 के दौरान कार्यक्रम का निष्पादन

1.2.1 भौतिक निष्पादन

2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत समस्याग्रस्त बसावटें, जो आवृत नही की गई (एन.सी) अथवा आंशिक रूप से आवृत (पी.सी) की गई, का विवरण नीचे दिया है:-

तालिका 1 : एन.सी/पी.सी बसावटों के आवृतन की भौतिक प्रगति

(लाख में)

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	एन सी	पी सी	योग	एन पी	पी सी	योग
2002-03	0.12	0.65	0.77	0.10	0.38	0.48
2003-04	0.17	0.73	0.90	0.10	0.42	0.52
2004-05	0.22	0.99	1.21	0.15	0.48	0.63
2005-06	0.51	0.55	1.06	0.31	0.52	0.83
2006-07	0.48	0.94	1.42	0.34	0.67	1.01

स्त्रोतः राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा लेखापरीक्षा को दिये गये आकंड़े।

1.2.2 वित्तीय निष्पादन

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002-2007 की अवधि के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों व उपयोग की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है :-

तालिका 2 : उपयोग की गई निधियां

(रू. करोड़ में)

वर्ष	राज्यों के पास आदि शेष	डी डी डब्ल्यू एस द्वारा निर्मुक्त राशि	राज्यों के पास उपलब्ध राशि	भारत सरकार द्वारा दी गई निधियों में से राज्यों द्वारा प्रतिवेदित व्यय	उपलब्ध निधियों में से व्यय का प्रतिशत
2002-03	307	2101	2408	1816	75
2003-04	401	2565	2966	1973	67
2004-05	398	2931	3329	2188	66
2005-06	356	4098	4454	2857	64
2006-07	1096	4409	5505	2489	45
योग	-	**16104**		**11323**	**70**

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना थे कि :-

- बसावटों का सर्वेक्षण प्रभावी ढ़ग से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रमाणिक व विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त किये गये;
- ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी योजना को प्रारम्भ करने के लिये प्रभावी कार्य योजना थी;
- वित्तीय नियन्त्रण पर्याप्त व प्रभावी थे तथा निधियां समयानुसार निर्मुक्त की गई थी;
- प्रत्येक परियोजना निश्चित समय व लागत से कार्यान्वित की गई और मितव्ययी, कुशल व प्रभावी ढंग से लागू की गई;
- जल की गुणवत्ता व दीर्घकालीनता के लिये बनायी गयी प्रणाली प्रभावी व पर्याप्त थी;
- जल स्रोतों के दीर्घकालीन व विद्यमान जल प्रदाय सम्पत्ति को चलाने व रख रखाव के लिये पर्याप्त ध्यान दिया गया था;
- स्वजलधारा के द्वारा मांग अनुसार ग्रामीण पेय जल आपूर्ति हिस्सेदारी का उद्देश्य प्रभावी तरीके से प्राप्त किया गया था; तथा
- योजना के विभिन्न स्तरों पर अनुवीक्षण व मुल्यांकन के लिये पर्याप्त व प्रणाली थी।

1. 4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा के मापदण्ड के मुख्य स्त्रोत निम्न अनुसार थे :-

- ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिये दिये गये दिशा निर्देश (अगस्त 2000);
- स्वजलधारा पर दिशा निर्देश (जून 2003);
- ग्रामीण बसावटों में पेय जल आपूर्ति स्थिति के सर्वेक्षण के लिये दिशा निर्देश (फरवरी 2003);
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल गुणवत्ता अनुवीक्षण व निगरानी कार्यक्रम के लिये दिशा निर्देश (जनवरी 2006);
- राष्ट्रीय जल नीति (अप्रैल 2002);
- ए आर डब्ल्यू एस पी व प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना - ग्रामीण पेय जल के अर्न्तगत दीर्घकालीनता की योजनाओं व परियोजनाओं के लिये दिशा निर्देश (अक्तूबर 2000); और
- प्रत्येक योजना के लिये प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन व परियोजना कार्यान्वयन योजना।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, प्रतिचयन व प्रणाली

1.5.1 पूर्व में की गई लेखापरीक्षायें

कार्यक्रम में पूर्व में की गई लेखापरीक्षा की समीक्षा की गई थी तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 1998 की संख्या 3 (अध्याय 6-राष्ट्रीय पेय जल मिशन) तथा 2002 की संख्या 3 (अध्याय III ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी) में प्रस्तुत की गई थी।

पिछली प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में पर्याप्त संख्या में एन.सी/पी.सी. बसावटों, समस्याग्रस्त ग्रामों का पुनः प्रकट होना, योजनाओं को कार्यान्वित करने की निकृष्ट योजना, जल गुणवत्ता के अनुवीक्षण में पर्याप्त कमी, समुदायों की भागीदारी में कमी तथा निकृष्ट वित्तीय प्रबन्धन तथा कार्यक्रम के अप्रभावी अनुवीक्षण को शामिल किया गया था।

जून 2003 में मंत्रालय ने अपनी प्रस्तुत कार्यवाही टिप्पणी में बताया कि नये सर्वेक्षण में समस्याग्रस्त बसावटों के पुनः प्रकट होने के वास्तविक फैलाव का अनुमान लगाने के लिए पुनः सर्वेक्षण करवाया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को योजनाओं को बन्द करने से पूर्व उनका सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने तथा अधिकतम इस्तेमाल करने हेतु प्रभावशाली अनुवीक्षण के निर्देश जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक भागीदारी को प्रतिष्ठापित करने के लिए स्वजलधारा योजना लागू की गई थी तथा कार्यान्वयन एजेन्सियों को समय पर पूर्ण निधियां जारी करने, अग्रिम का सही उपयोग, निधियों को विपथित न करने तथा दुरूपयोग के सन्देहपद मामलों की जांच करने के निर्देश जारी किये गये थे।

1.5.2 वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र में 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान 26 राज्यों को समाहित किया गया। डी.डी.डब्ल्यू.एस, राज्य सरकारों तथा जिला एवं राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों (लोक चिकित्सा अभियांत्रिक विभाग, जल निगम इत्यादि) के क्षेत्रीय अभिलेखों की जून और अक्तूबर 2007 के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी।

1.5.3 लेखापरीक्षा प्रतिचयन

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी लेखापरीक्षा की प्रतिचयन योजना निम्न अनुसार थी :-

- प्रत्येक राज्य में, ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी जिलों का 25 प्रतिशत (न्यूनतम दो) का चयन किया गया था।
- प्रत्येक जिले में, डिवीजनों/ईकाइयों का 25 प्रतिशत (न्यूनतम दो) का चयन किया गया था तथा प्रत्येक चयनित डिवीजन/इकाइ में, 10 योजनायें, (2002-03 से 2006-07 की पूर्ण अवधि के दौरान प्राथमिकता के आधार पर वितरित की गई) विस्तृत जांच हेतु चयित की गई थीं।

इस प्रकार, चयनित जिलों में 154 जिलों, 278 डिवीजनों/ईकाइयों तथा चयनित डिवीजनों में 2010 योजनायें विस्तृत जांच हेतु चयनित की गई।

स्वजलधारा परियोजना हेतु, प्रत्येक राज्य में, 25 प्रतिशत जिले (न्यूनतम दो) चुने गये थे। प्रत्येक जिले/इकाई में दस योजनायें जो 2002-03 से 2006-07 की पूर्ण अवधि में प्राथमिकता के आधार पर वितरित की गई थी, विस्तृत जांच हेतु चुनी गई थी।

नमूना लेखापरीक्षा का विवरण **परिशिष्ट-ए** में दिया गया है।

1.5.4 लेखापरीक्षा प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा डी.डी.डब्ल्यू.एस के साथ जुलाई 2007 में एक आरम्भिक बैठक के साथ शुरू हुई जिसमें लेखापरीक्षा प्रणाली, कार्य क्षेत्र, उद्देश्य तथा मापदण्डों का वर्णन किया गया। बैठक के दौरान, डी.डी.डब्ल्यू.एस ने ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी की स्थिति को भी प्रस्तुत किया।

दिसम्बर 2007 में डी.डी.डब्ल्यू.एस को प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी। प्रारूप रिपोर्ट की आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए सचिव, डी.डी.डब्ल्यू.एस के साथ (जनवरी 2007) लेखापरीक्षा उपलब्धियों पर चर्चा हेतु एक बैठक हुई। प्रारूप लेखापरीक्षा की आपत्तियों का उत्तर देने के लिए, सचिव डी.डी.डब्ल्यू.एस ने (मार्च 2008) राज्यों के साथ एक बैठक आयोजित की जिसमे प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा की आपत्तियों का उत्तर शीघ्र देने के लिए कहा गया जिसमें लेखापरीक्षा भी शामिल था।

मन्त्रालय ने प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपना उत्तर (मई 2008) भेज दिया तथा प्रारूप रिपोर्ट के निष्कर्षो पर 24 राज्यों की टिप्पणियां भी संलग्न थी। इसके अतिरिक्त, मन्त्रालय ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति पर विभिन्न राज्यों की सफलता का विस्तृत विवरण भी अग्रेषित किया। इस प्रतिवेदन में मन्त्रालय तथा राज्य सरकारों का उत्तर समुचित रूप् से समाविष्ट कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा डी.डी.डब्ल्यू.एस तथा उसके अधिकारियों तथा इसके साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के समय विभिन्न चरणों पर दिये गये सहयोग तथा सहायता को स्वीकार करता है।

अध्याय - 2 समग्र लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1 राष्ट्रीय बसावट सर्वेक्षण 2003 का संचालन

2003 में, ग्रामीण बसावटों में पेय जल आपूर्त्ति की वास्तविक स्थिति जानने के लिये डी.डी.डब्ल्यू.एस ने एक नया सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया; सर्वेक्षण के परिणाम को कार्यक्रम के लिए भविष्य अनुकूल विकास का एक आधार बना सकते थे। फरवरी 2003 में राष्ट्रीय बसावट सर्वेक्षण 2003 के संचालन हेतु डी.डी.डब्ल्यू.एस ने विस्तृत संदर्शिका जारी की जिसके अनुसार :

- सर्वेक्षण 31 मार्च 2003 तक पूर्ण होना था; यह समय सीमा फिर 30 सितम्बर 2003 तक बढ़ा दी गई।
- सर्वेक्षण में लगे सभी कर्मचारियों को सर्वेक्षण डाटा इकट्ठे करने के सभी पहलुओं पर व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना था।
- 1,40,000 परिमाप के नक्शे पहले से तैयार करने थे तथा सर्वेक्षण करने के बाद विस्तृत नक्शे तैयार करने थे और मुख्य समायोजक को भेजने थे। ये नक्शे राष्ट्रीय योजना तथा अनुवीक्षण के लिये प्रयोग में लाये जाने चाहिए थे।
- आंकड़ों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिये उप-मण्डल तथा जिला स्तर पर नमूना जांच के लिये आंकड़े एकत्रीकरण 5 प्रतिशत तक सीमित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से सर्वेक्षण संचालन में निम्न कमियां प्रकट हुई :-

- **मणिपुर** और **हरियाणा** में सर्वेक्षण संचालन के दौरान असंगतिया और कमियां पाई गई। **मणिपुर** में सर्वेक्षण एक एन.जी.ओ द्वारा करवाया गया तथा भारत सरकार को एक रिपोर्ट दिसम्बर 2006 में प्रस्तुत की गई, तथापि, सर्वेक्षण रिपोर्ट में असंगतियों के कारण, राज्य सरकार दूसरा सर्वेक्षण करवाने पर विचार कर रही थी। **हरियाणा** में सर्वेक्षण 2005 में पूरा हो गया, लेकिन राज्य सरकार और भारत सरकार के आंकड़ों में विसंगतियों के कारण सर्वेक्षण के परिणामों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।
- दस्तावेजों के अभाव में लेखापरीक्षा **छत्तीसगढ़** (अशंतः), **झारखण्ड** तथा उड़ीसा में किये गये सर्वेक्षण की प्रमाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकी। **झारखण्ड** में लेखापरीक्षा के समक्ष छः परख जाँच जिलों में से केवल एक जिले के भरे हुये सर्वेक्षण फार्म प्रस्तुत किये गये थे। **उड़ीसा** में लेखापरीक्षा को भरे हुये सर्वेक्षण फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये थे। **छत्तीसगढ़** के कोरबा जिले में भरे हुये सर्वेक्षण फार्म लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये थे।
- **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड** तथा **पश्चिम बंगाल** (22 राज्यों) में परख जांच किये गये 154 जिलों में से 130 जिलों में विस्तृत नक्शे नहीं बनाये गये थे।
- **आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश,** और **पश्चिम**

बंगाल (17 राज्यों) के 93 जिलों में पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा राज्य/जिला स्तरों पर निर्धारित 5 प्रतिशत परख जांच नहीं की गई और न ही इन परख जांचों के दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किय गये थे।

- **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, मणिपुर, उड़ीसा** और **राजस्थान** (12 राज्यों) में सर्वेक्षण हेतु प्रशिक्षण नहीं दिया गया था अथवा न ही प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये थे।

उत्तर में (मई 2008), मंत्रालय ने बताया कि बसावटों का सर्वेक्षण प्रत्येक पांच वर्षों में किया जाना था, चूँकि समय अंतराल के कारण आंकड़े पुराने हो गये थे, राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि बसावटों अनुसार आन-लाइन डाटा की प्रविष्टी करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक बार आवृत बसावटें योजना की अवधि के दौरान फिर से निधियन हेतु पात्र नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त **आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, झारखण्ड, महाराष्ट्र, पंजाब राजस्थान, उत्तराखण्ड, सिक्किम,** तथा **पश्चिम बंगाल** सरकारों ने विलम्ब को स्वीकार किया था तथा विलम्ब हेतु बहुत से कारण अर्थात् जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न होना, कुछ जिला केन्द्रों में आंकड़ों के सृजन में त्रुटि, उन्नयन साफ्टवेयर आंकड़ा प्रविष्टी हेतु स्पष्टीकरण की आवश्यकता, विशेष प्रकार का सर्वेक्षण, कठिन भौगोलिक तथा स्थलीय विशिष्टतायें, चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियां इत्यादि दिये। नक्शों को तैयार करने के संबंध में, अधिकांश सरकारों ने स्वीकार किया कि नक्शे तैयार नहीं किये गये थे तथा अब नक्शों को बनाने हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम तथा **पश्चिम बंगाल** सरकारों ने भी स्वीकार किया कि सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा परख जांच के अभिलेख नहीं बनाये गये थे अथवा इन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं कर सके थे। **आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड** तथा **राजस्थान** सरकारों ने स्वीकार किया कि प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। हरियाणा सरकार ने बताया कि कुछ विसंगतियां अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बसावटों का भारत सरकार ने वर्णन नहीं किया था।

लेखापरीक्षा की दृष्टि से, विश्वसनीय सर्वेक्षण डाटा, ग्रामीण बसावटों के अद्यतन आवृतन के आधार आंकड़ों को उपलब्ध कराता है जो ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के समुचित नियोजन हेतु आवश्यक है। सर्वेक्षण आंकड़ों की परख जांच न करना, सर्वेक्षण कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी, तथा विस्तृत नक्शों को तैयार न करने से सर्वेक्षण आंकड़ों की गुणवत्ता तथा इस प्रकार नियोजन के उद्देश्य से उनकी उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित हुई।

2.2. योजना

ए.आर.डब्ल्यूएस.पी. की सदंर्शिका के अनुसार राज्यों को योजनाओं की सूची पर एक वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) जिसमें राज्य क्षेत्र के एम.एन.पी, ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के निधियों के आबंटन के सम्भावित अनुरूप के आधार पर, यदि कोई है तो, तैयार करनी चाहिए तथा इन्हें डी.डी.डब्ल्यूएस. के पास पिछले वर्ष के अक्तूबर माह के आरम्भ में वार्षिक योजना पर चर्चा हेतु भेज देना चाहिए। अन्तिम परिव्यय निर्धारित करने के पश्चात् इस ए.ए.पी. की समीक्षा करनी चाहिए तथा अप्रैल तक इसे अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए।

ए.ए.पी को नये कार्य आरम्भ करने से पहले अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्राथमिकता देनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य समय पर पूर्ण हो। ए.ए.पी को यह भी दर्शाना चाहिए किः

- एन.सी./पी.सी क्षेत्रों की बसावटों का पूर्ण विवरण सहित लक्ष्य निर्धारित करें तथा क्या ये बसावटें पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आवृत होगी;
- लाभान्वित होने वाली, जनसंख्या में एस.सी/एस.टी जनसंख्या को अलग दर्शाते हुये;
- उप मिशन के अन्तर्गत किये जाने वाले क्रियाकलापों, समस्याओं का परिमाण तथा इसके निदान हेतु किये गये उपाय; तथा
- ग्रामीण बसावटें, जो जल गुणवत्ता की गहन समस्याओं का सामना कर रही है, के लिए दोहरा जल आपूर्ति कार्यक्रम।

पूर्ण रूप से आधारिक यथार्थवादी योजना को सुनिश्चित करने हेतु भीः

- राज्य स्तर के ए.ए.पी निम्न स्तर, जी.पी और बसावटों स्तर, से लेकर विस्तृत योजनाओं द्वारा समर्थित होने चाहिए तथा राज्य स्तर की योजना जिले के प्रस्तावों के साथ आदर्शतः तैयार करनी चाहिए।
- वर्षा जल संरक्षण एवं भू-जल रीचार्ज सुनिश्चित करने हेतु जिला ए.ए.पी में वर्तमान स्थिति की समीक्षा पूर्व में कार्यान्वित ग्रामीण जल आपूर्त्ति योजनाओं (आर.डब्ल्यू.एस.एस), समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान (विशेष रूप से शुष्क चलने वाले स्त्रोत), कारणों की जांच तथा इन समस्याओं की योजना में निवारण की स्थिति तथा नई दीर्घकालीन प्रणालियों का प्रयोग एवं पारम्परिक जल प्रबंधन प्रणालियां समाहित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 26 राज्यों में से दो राज्यों **(जम्मू एवं कश्मीर तथा झारखण्ड)** ने 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान कोई भी ए.ए.पी तैयार नहीं किये थे, जबकि सात राज्यों **(आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश[1], पंजाब और उत्तर प्रदेश)** ने ए.ए.पी तैयार कर लिये थे परन्तु डी.डी.डब्ल्यू.एस प्रस्तुत नहीं किये थे। इसके अतिरिक्त 24 राज्यों जिन्होंने ए.ए.पी तैयार कर लिये थे के सम्बन्ध में :

- 15 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल)** के ए.ए.पी. में बसावटों अनुसार विवरण नहीं था तथा जिलों एवं निचले स्तरों की संगत योजनाओं के लिये बिना राज्य स्तर पर स्वतः तैयार किये गये थे।
- 9 राज्यों **(हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल)** में ए.ए.पी. में योजनाओं की सूची तथा आवंटन के संभावित अनुरूप को दर्शाया नहीं गया था।

---

[1] 2005-07 की अवधि हेतु

- 9 राज्यों **(हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल)** में, ए.ए.पी. में लाभान्वित जनसंख्या को दर्शाया नहीं गया था।

- 9 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल)** में, ए.ए.पी में वर्तमान स्थिति की समीक्षा, पूर्व में कार्यान्वित ग्रामीण जल-आपूर्त्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.), समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान एवं समाधान तथा नई दीर्घकालीन प्रणालियों का प्रयोग तथा पारम्परिक जल संरक्षण प्रणालियां समाहित नही थी।

- 8 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल)** में ए.ए.पी. ने नये कार्य को आरम्भ करने से पहले अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता नहीं दर्शाई थी।

- 15 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल)** में, ए.ए.पी. में गहन जल गुणवत्ता की समस्याओं का सामना करने वाली बसावटों हेतु दोहरी जल नीति को शामिल नहीं किया था।

- 11 राज्यों **(असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल)** में, ए.ए.पी. में उप मिशन के अन्तर्गत जल की गुणवत्ता व दीर्घकालीनता के लिए की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाया नही गया था।

उत्तर में, **आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा और पंजाब** सरकारों ने योजना की कमियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ए.ए.पी को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त कार्यवाही की जा रही थी। **असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, और केरल** सरकारों ने बताया कि निधियों के आंबटन की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। **मेघालय** सरकार ने बताया कि लक्ष्य निधियों की उपलब्धता एवं आबंटन के आधार पर निर्धारित किये गये थे तथा ए.ए.पी. अब मूल स्तर पर तैयार किये जायेंगे। **नागालैण्ड** सरकार ने बताया कि ए.ए.पी. जिलों तथा निचले स्तर से परामर्श के पश्चात् तैयार किये गये थे, जिसके लिए, बहरहाल, कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं था। **पश्चिम बंगाल** सरकार ने बताया कि ए.ए.पी. क्षेत्रीय स्तर कार्यालयों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किये गये थे, परन्तु परख जांच किये गये जिलों में संबंधित कार्यालयों ने इस बात की पुष्टि की कि जिला स्तर पर ए.ए.पी. तैयार नहीं किये गये थे। **कर्नाटक** और **राजस्थान** सरकारों ने स्वीकार किया कि ए.ए.पी. में योजनाओं की सूची को नही दर्शाया था।

जबकि **अरूणाचल प्रदेश, पंजाब** और **राजस्थान** सरकारों ने दर्शाया कि सामान्यतः अधूरे कार्यो को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई थी, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अधूरे कार्यो को पूरा करना की वास्तविक प्रगति में शामिल नही किया गया था।

लेखापरीक्षा के विचार से, प्रभावी तथा विस्तृत पूर्ण योजना के अभाव में, यह जोखिम है कि कार्य समस्याग्रस्त बसावटों को स्पष्ट प्राथमिकता दिये बिना तदर्थ आधार पर किये गये हैं।

सिफारिश

डी.डी.डब्ल्यू.एस को राज्य सरकार द्वारा न केवल वार्षिक योजना समय पर तैयार तथा प्रस्तुत करने के लिये जोर देना चाहिए बल्कि इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि ये योजनायें बसावट अनुसार हो।

2.3 एस.सी/एस.टी जनसंख्या का आवृतन

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी की संदर्शिका के अनुसार राज्यों/संघ शासित राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे ए.आर..डब्ल्यू.एस.पी की कम से कम 25 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत राशि, ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी की निधियों में से, क्रमशः एस.सी/एस.टी के लोगों के लिये पेय जल की आपूर्त्ति हेतु निर्धारित तथा उपयोग करें। लचीलेपन के उपाय के रूप में, राज्य को ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों का कम से कम 35 प्रतिशत एस.सी/एस.टी के हित के लिए, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ पर एस.सी/एस.टी की जनसंख्या का आवृतन साधारण जनसंख्या आवृतन से कम है, उपयोग करना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आठ राज्यों **(कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड** और **पश्चिम बंगाल)** में, ए.ए.पी. में विशेष रूप से इससे लाभान्वित होने वाली एस.सी/एस.टी की जनसंख्या का विर्निदिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया था। **छत्तीसगढ़** में 2002-07 की पंचवर्षीय योजना में एस.सी/एस.टी जनसंख्या के लिए पृथक लक्ष्य का प्रबन्ध था परन्तु इसे वार्षिक योजनाओं में नहीं दर्शाया गया था।

जम्मू कश्मीर में, एस.सी./एस.टी जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. व्यय का कुल 18 प्रतिशत उपयोग में लाया गया था, जबकि एम.एन.पी के अन्तर्गत कुल संगत व्यय 17 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच की गई परियोजनाओं अथवा योजनाओं में लाभान्वित एस.सी./एस.टी जनसंख्या का न तो कोई उल्लेख किया गया न ही एस.टी./एस.सी जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति पर हुये व्यय के अनुवीक्षण हेतु कोई पृथक दस्तावेज रखे गये।

उत्तर में **राजस्थान** और **सिक्किम** सरकारों ने बताया कि प्रगति रिपोर्ट में ए.ए.पी. के स्थान पर एस.सी/एस.टी लाभभोगियों को दर्शाया गया था। **हरियाणा** सरकार ने बताया कि नवम्बर 2006 से, एक नये कार्यक्रम "इन्दिरा गांधी पेयजल योजना" एस.सी. परिवारों को निशुल्क निजी जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु आरम्भ की गई थी।

लेखापरीक्षा के विचार में, ए.ए.पी में एस.सी/एस.टी जनसंख्या के लिए योजना में ध्यान केन्द्रित करने के अभाव से उनके कल्याण हेतु उद्देश्यों से समझौता होगा।

सिफारिश

ए.ए.पी. में एस.सी/एस.टी जनसंख्या हेतु योजनाओं का विवरण विशेषरूप से दर्शाना चाहिए तथा योजना अनुसार कार्यान्वित करना चाहिए।

2.4 वित्तीय नियन्त्रण

2.4.1 राज्यों द्वारा समरूपी अंश निर्मुक्त न करना

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. की संदर्शिका के अनुसार राज्यों को भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त अनुदान राशि के 1 :1 के आधार पर समरूपी राशि निर्मुक्त करनी थी। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में 10 राज्यों द्वारा (**आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान** और **पश्चिम बंगाल**) 2002-07 के दौरान रु 2773.14 करोड़ की कम राशि जारी करने के सार्थक मामले[2] प्रकट हुये जिनका विवरण **परिशिष्ट-ए** में दिया हुआ है। उत्तर में **असम, झारखण्ड, मध्य प्रदेश** और **उड़ीसा** की सरकारों ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि भविष्य में पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किये जायेंगे।

लेखापरीक्षा के विचार से, राज्यों द्वारा समरूपी अंश को जारी न करना राज्यों द्वारा ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के कार्यान्वन के प्रति गम्भीरता की कमी को प्रकट करता है।

2.4.2 राज्यों द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सियों को निधियां विलम्ब से निर्मुक्त करना

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी की संदर्शिका में यह शर्त है कि राज्य समरूपी एम.एन.पी अंश सहित केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता की समस्त राशि बिना किसी विलम्ब के उसकी प्राप्ति के 15 दिन के भीतर कार्यान्वयन एजेन्सी को निर्मुक्त कर देंगे।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 9 राज्यों में कार्यान्वयन एजेन्सियों को निधियां निर्मुक्त करने में विलम्ब हुआ। कुल मिलाकर, केन्द्रीय निधियां जो विलम्ब से निर्मुक्त की गई रु 790.49 करोड़ थी जिसका विवरण **परिशिष्ट-बी** में दिखाया गया हैं। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि सतारा और थाने जिलों में क्रमशः 2002-07 और 2002-06 के दौरान, निधियां प्राप्त न होने के कारण कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया (मई 2008) कि कार्यान्वयन एजेन्सियों को निधियां 14 दिन के भीतर स्थानान्तरित करने की शर्तों के बावजूद जैसा कि लेखापरीक्षा ने कुछ मामलों में इंगित किया है, इसका पालन नहीं किया गया था। जबकि निधियों के राजकोष से अंतरण के मामले में कभी भी कोई ब्याज अर्जित नहीं किया गया। मंत्रालय ने राज्यों से निधियों के विलम्ब से अतंरण के मामले प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस मामले को संबंधित राज्यों की जानकारी में लाने का प्रस्ताव भी किया है।

2.4.3. अग्राह्य व्यय और निधियों के विपथन के मामले

लेखापरीक्षा संवीक्षा से 12 राज्यों (**असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड** तथा **पश्चिम बंगाल**) में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी की रु. 404 करोड़ की राशि के विपथन के मामले प्रकट हुये जिनका विवरण संबद्ध राज्य के अन्तर्गत **अध्याय-3** में दिया हुआ है।

उत्तर में **असम, मध्य प्रदेश** और **नागालैण्ड** सरकारों ने तथ्यों को स्वीकार किया है, जबकि **मेघालय** सरकार ने बताया कि समुचित कार्यवाही की जा रही है।

---

[2] रू 50 करोड़ से अधिक

सिफारिश

भारत सरकार को अग्राह्य व्यय/निधियों के विपथन के मामलों में वसूली हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

2.5. स्लिप - बैक तथा बसावटों की समस्या का पुनः प्रकट होना

निम्न तालिका 1 अप्रैल 2000 को (सी.ए.पी-99 के सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित) तथा 1 अप्रैल 2003 (राष्ट्रीय बसावट सर्वेक्षण 2003 के आंकड़ों पर आधारित) तथा 1 अप्रैल 2007 की (मान्य एन.एच.एस सर्वेक्षण 2003 पर आधारित) पूरे देश की बसावटों की समग्र स्थिति प्रस्तुत करती है :-

विवरणी-3 : बसावटों की स्थिति

(बसावटें लाख में)

स्थिति	कुल	एफ.सी	पी.सी	एन.सी
1 अप्रैल 2000	14.23	11.84	2.13	0.26
1 अप्रैल 2003	15.07	8.70	3.89	2.48
1 अप्रैल 2007	15.05	10.30	3.13	1.62

स्त्रोत : डी.डी.डब्ल्यू.एस से प्राप्त आंकड़े

2003 के सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि अप्रैल 2000 से 3.14 लाख बसावटों का स्लिप बैक हुआ तथा समस्याग्रस्त बसावटों के पुनरावीर्भाव की समस्या को उजागर किया एवं एफ.सी बसावटों के स्लिप बैक पी.सी तथा एन.सी बसावटों में आ गये। 2003-07 की अवधि के दौरान बसावटों के क्षेत्र-विस्तार के बावजूद अप्रैल 2000 और अप्रैल 2007 के मध्य 1.54 लाख एफ.सी. बसावटों में अब भी स्लिप बैक था। इस स्लिप बैक के मुख्य कारण अधिक मात्रा में भू-जल की निकासी, ट्यूबवैलों का अपर्याप्त/रखरखाव न होना तथा जल संसाधनों की दीर्घकालीनता का अभाव बताया गया।

लेखापरीक्षा ने कार्यान्वित एजेन्सियों से बसावटों की राज्य-वार स्थिति के आंकड़े एकत्र किये जिससे प्रकट हुआ कि **आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल** में भारी मात्रा में स्लिप-बैक हुआ। विवरण **परिशिष्ट-सी** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आंकड़ों की विश्वसनीयता में सार्थक कमियों को प्रकट किया। लेखापरीक्षा ने बसावटों की स्थिति से संबंधित आंकड़ों के दो सैट एकत्र किये, एक केन्द्रीय स्तर पर (डी.डी.डब्ल्यू.एस) तथा दूसरा संबंधित राज्यों की कार्यान्वयन एजेन्सियों से, जो क्षेत्रीय लेखापरीक्षा द्वारा एकत्र किये गये थे। आंकड़ों के दोनों सैटों के मिलान से बहुत सी कमियां प्रकट हुई :

- यद्यपि एक भी राज्य में भारत सरकार तथा राज्य स्तर के आंकड़े कुल बसावटों के आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे। आठ राज्यों **(छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल)** में बसावटों के कुल आंकड़े, डी.डी.डब्ल्यू.एस के आंकड़ों की अपेक्षा राज्य स्तर की एजेन्सियों के बसावटों के आंकड़ों से 10.000 अधिक थे।

- एक राज्य में भारत सरकार के अनुसार तथा राज्य स्तर की कार्यान्वयन एजेन्सियों के अनुसार एन.सी. और पी.सी बसावटों के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते थे। 12 राज्यों **(आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल)** के पी.सी. बसावटों के आंकड़े राज्य स्तर की एजेन्सियों के अनुसर डी.डी.डब्ल्यू.एस की बसावटों के आंकड़ों से 5000 से अधिक थे। 14 राज्यों **(आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल)** में एन.सी बसावटों के आंकड़े राज्य स्तर की एजेन्सियों के अनुसार डी.डी.डब्ल्यू.एस की बसावटों के आंकड़ों से 500 अधिक थे।

कुल बसावटों तथा एन.सी./पी.सी बसावटों तथा डी.डी.डब्ल्यू.एस आंकड़ों तथा राज्य स्तर के आंकड़ों में अन्तर का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-डी** में दिया हुआ है।

उत्तर में मन्त्रालय ने बताया (मई 2008) कि सर्पण अपरिहार्य था तथा जल आपूर्त्ति प्रबंध का एक भाग था। सर्पण कई कारणों जैसे जल आपूर्त्ति योजना की जीवन-अवधि, शुष्क चल रहे स्त्रोत, जल स्तर का नीचे होना; खराब रख रखाव के कारण क्षमता में कमी, जनसंख्या में वृद्धि इत्यादि से हुआ। फलस्वरूप सरकार ने इसकी योजना संशोधित कर दी जो अब सभी पेयजल योजनाओं की दीर्घकालीनता पर संकेद्रित हैं ताकि सर्पण की संवृति में कमी आये।

इसके अतिरिक्त **बिहार, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश,** और **राजस्थान** सरकारों ने स्लिप-बैक की समस्या को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा के विचार से, मन्त्रालय का उत्तर यह स्वीकार करना कि स्लिप-बैक अपरिहार्य हैं तथा यह सभी पेय जल योजनाओं की दीर्धकालीन योजना पर संकेद्रित है, को दीर्घकालीनता पर लेखापरीक्षा की उपलब्धियों (पैराग्राफ 2.7) के साथ पढ़े जिसमें राज्यों द्वारा दीर्घकालीन उपायों को कम प्राथमिकता देना दर्शाया गया है।

2.6 जल गुणवत्ता

भारत में जल गुणवत्ता की मुख्य समस्यायें फ्लोरोसिस, बरेकिसनेस/सेलिनिटि, अत्यधिक आरसेनिक अत्यधिक आयरन और नाइट्रैटस हैं। यहां पर फ्लोरासिस[3] डीसेलीनेशन, अत्यधिक आयरन और अन्य तत्वों को हटाने हेतु एक प्रथक उप-मिशन घटक है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा फ्लोरोसिस,आरसेनिक, ब्रेकिशनेस, अत्यधिक आयरन और नाइट्रेटस जैसी जल गुणवत्ता की समस्या को सुलझाने के लिए निधियों का 15 प्रतिशत तक खर्च किया जा सकता था।

2.6.1 जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं और संस्थानों की स्थापना

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. की संदर्शिकाओं के अनुसार जल गुणवत्ता प्रयोगशालों की स्थापना कार्यक्रम का एक घटक हो सकता था। जल गुणवत्ता प्रयोगशाला तीन स्तरों पर कार्यान्वित होनी थी, उच्च स्तर पर नोडल इकाई, मध्यम स्तर पर जिला प्रयोगशालाओं जैसी इकाईयां और मूल स्तर पर इकाईयां शामिल है। राज्य तथा क्षेत्रीय विशिष्ट आई.ई.सी क्रियाकलापों को आरम्भ करना था। इसके

[3] यद्यपि डब्ल्यू एच.ओ के अनुसार गुनिया वर्म का भारत से बर्ष 2000 में उन्मूलन हो गया था यह अभी भी जलगुणवत्ता उप-मिशन ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के अन्तर्गत एक मुख्य घटक था।

अतिरिक्त नोडल इकाईयों (प्रमुख तकनीकी संस्थान) सहित राज्य मुख्यालय (पी.एच.ई.डी) की नेटवर्किंग के उद्देश्य से जल गुणवत्ता अनुवीक्षण सुविधाओं को सशक्त करने के लिए राज्य को 100 प्रतिशत निधियां उपलब्ध करवानी थी।

तथापि, लेखापरीक्षा जांच में जल गुणवत्ता ढांचा विकास के अनुवीक्षण तथा जांच में सारवान् कमियां प्रकट हुई। 10 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मेघालय, उड़ीसा,** और **उत्तर प्रदेश)** में जल गुणवत्ता की जांच का कार्य राज्य स्तर पर मुख्य संस्थानों को नही दिया गया था। 11 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेधालय, उड़ीसा, और सिक्किम)** में पी.आर.आई. सहकारिताओं, महिला दल, स्व-सहायता दल, इत्यादि को शामिल करते हुए क्षेत्रीय विशेष आई.ई.सी कार्य कलापों को शुरू नहीं किया था। अनेक राज्यों में जिला स्तर की प्रयोगशालाओं की अवसंरचना मे पर्याप्त कमियां थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

- **अरूणाचल प्रदेश** में, छः परख जांच किये गये जिलों की प्रयोगशालाओं में कोई भी प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त नहीं था।
- **असम** में, न तो जल गुणवत्ता जांच के लिए कोई भी नई प्रयोगशाला स्थापित की गई न ही विद्यमान सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया। प्रयोगशालाओं में कोई भी प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त नही किया गया था तथा विभागीय कर्मचारी जैसे जे.ई, अनुभागीय सहायक इत्यादि जांच कार्य कर रहे थे।
- **बिहार** में, नौ परख जांच किये गये जिलों में से दो में प्रयोगशालाएं नहीं थी।
- **छत्तीसगढ़** में, प्रयोगशालाओं को सशक्त करने के लिए निधियों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त नव निर्मित रायपुर जिला प्रयोगशाला में कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं था, जिसका इस्तेमाल गेस्ट हाउस के रूप में किया जा रहा था।
- **गुजरात** में, 25 जिलों में से 8 जिलों में प्रयोगशालाएं नहीं थी।
- **हरियाणा** में, 19 प्रयोगशालाओं में केवल 7 कैमिस्ट तैनात थे जो राज्य में क्रमानुसार सभी प्रयोगशालाओं को आवृत कर रहे थे।
- **हिमाचल प्रदेश** में, परख जांच की गई तीन जिला प्रयोगशालाओं में से एक में तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं था।
- **जम्मू एवं कश्मीर** में, कुल 14 जिलों में से, केवल 4 जिलों में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें एक कार्य नहीं कर रही थी।
- **झारखंड** में, छः जिलों में से चार में जिला प्रयोगशालाएं विद्यमान थी। इनमें से केवल एक प्रयोगशाला में सुविधाओं को सशक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, तीन जिला प्रयोगशालाओं में कोई प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त नहीं था।
- **कर्नाटक** में, 7 परख जांच जिलों में से एक में जिला स्तर की कोई प्रयोगशाला नहीं थी जबकि दो जिला प्रयोगशालायें कार्य नहीं कर रही थी।

- **मध्य प्रदेश** में, एक प्रयोगशाला में नियमित कैमिस्ट नियुक्त नहीं था।
- **मणिपुर** में, जिलों में प्रयोगशालायें नहीं थी।
- **नागालैंड** में, ग्यारह जिला प्रयोगशालाओं में से केवल एक कार्य कर रही थी।
- **उड़ीसा** में, 30 जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में से 2006-07 में केवल 15 कार्य कर रही थी।
- **पंजाब** में, तीन परख जाँच जिलों में, न तो जिला स्तर की कोई प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और न ही वहां जल की जाँच की जा रही थी।
- **उत्तर प्रदेश** में, 16 परख जाँच किये गए जिलों की प्रयोगशालाओं में किसी में भी अनुमोदित कर्मचारी ढाँचा नहीं था, तथा 14 प्रयोगशालायें अ-कुशल कर्मचारियों जैसे कार्य एजेन्ट और फिटर द्वारा चलाई जा रही थी। इसके अतिरक्त कोई भी जिला प्रयोगशाला सुदृढ़ या नई प्रयोगशालायें स्थापित नहीं की गई थी।

उत्तर में, **हरियाणा, नागालैण्ड और सिक्किम** सरकारों ने तथ्यों को स्वीकार किया। **केरल** और **मेघालय** सरकारों ने बताया कि अलुबा, एर्नाकुलम में गुणवत्ता प्रयोगशाला तथा **मेघालय** प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की प्रयोगशाला को अब राज्य संदर्भित संस्थानों के रूप में मान लिया गया हैं। **महाराष्ट्र** सरकार ने बताया कि एक व्यापक विशिष्ट-क्षेत्रीय आई.ई.सी. कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा। **अरूणाचल प्रदेश** सरकार ने बताया कि अब प्रत्येक जिला स्तर की प्रयोगशालाओं में नियमित कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं। **असम** सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि जिला स्तर पर नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और कर्मचारियों की नियुक्ति आरम्भ कर दी है। **गुजरात** सरकार ने बताया कि अन्य 8 जिलों में प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव को हाल ही में स्वीकृत किया गया है। **मध्य प्रदेश** सरकार ने बताया कि नियमित कैमिस्ट उपलब्ध नहीं था, अतः अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, यह लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक प्रयोगशाला में नियमित और प्रशिक्षित कैमिस्ट की आवश्यकता होती है। **उड़ीसा** सरकार ने बताया कि इस समय सभी 30 जिला प्रयोगशालायें कार्य कर रही है। **पंजाब** सरकार ने बताया कि अब राज्य के सभी जिलों में प्रयोगशालायें स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

लेखापरीक्षा के विचार से, राज्य तथा जिला स्तर पर जल गुणवत्ता जांच हेतु पर्याप्त अवसंरचना के अभाव में माइक्रोबायलोजीकल अथवा टोक्सिन के प्रदूषण की पहचान करने हेतु जल परीक्षण से समझौता करना था जो लोक स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी थी।

सिफारिश

डी.डी.डब्ल्यू.एस. सभी राज्य सरकारों को पर्याप्त निपूण जन-शक्ति सहित पर्याप्त जल जांच सुविधायें सुनिश्चित करने का निदेश दे ताकि प्रत्येक जिले में समुचित प्रबन्ध हो।

2.6.2 जल गुणवत्ता जाँच

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी संदर्शिका में यह विहित है कि राज्य स्तर पर सभी जिला जल जाँच प्रयोगशालाओं में राज्य स्तर पर सभी सकारात्मक परीक्षणों सहित 10 प्रतिशत नमूनों की जांच की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिला प्रयोगशालाओं/पी.एच.ई.डी को जी.पी द्वारा जांच किये गये

नमूनों का कम से कम 30 प्रतिशत तथा उन सभी मामलों में जहां समुदाय द्वारा प्रदूषण की संभावना सूचित की हो जाँच की जानी थी। इसके अतिरिक्त सभी जल स्त्रोतों की वर्ष में कम से कम एक बार जाँच की जानी वांछित थी।

तथापि, लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि 17 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखण्ड)** में राज्य स्तर पर नमूनों की जांच हेतु, जिसमें जिला प्रयोगशालाओं द्वारा जाँचे गये कुछ नमूनों की, सकारात्मक नमूनों सहित, प्रतिशतता की जाँच की जा सके, कोई भी प्रणाली अथवा पद्धति कार्यरत नही थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि :

- **छत्तीसगढ़** में, किसी भी चार नमूना परीक्षित जिलों में जल की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई थी।
- **गुजरात** में, 2003-07 के दौरान परीक्षण जांच में 13 से 65 प्रतिशत के बीच कमी थी।
- **हरियाणा** में नमूना परीक्षित चार प्रयोगशालाओं में 2002-07 के दौरान 94000 नमूनों की जांच के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 13,980 नमूनों की जांच की गई। 13980 नमूनों में से 1598 नमूनों में जल मानवीय उपभोग के अयोग्य पाया गया। इसके अतिरिक्त पाँच जिलों में 2002-06 के दौरान, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई जांच से प्रकट हुआ कि 29 प्रतिशत नमूने मानवीय उपभोग के अयोग्य थे।
- **हिमाचल प्रदेश** में, 2002-07 के दौरान परख जाँच की गई छः डिवीजनों में वांछित 941 जांचों के विरूद्ध केवल 91 जांच की गई।
- **केरल** में, थिरूवनथापुरम में, 79 आर.डब्ल्यू.एस.एस. में से केवल 12 योजनाओं में ही गुणवत्ता जांच की अपेक्षित प्रतिशतता पूरी की गई। 22 योजनाओं में कमी की प्रतिशतता 25 से 75 प्रतिशत के मध्य थी। 45 योजनाओं की कोई भी जांच नहीं की गई थी।
- **मणिपुर** में, 2003-07 के दौरान राज्य प्रयोगशालाओं ने वांछित 1260 नमूनों की जांच की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 83 नमूनों की जांच की, इनमें से 56 नमूने पीने के योग्य पाये गये।
- **उड़ीसा** में, कोई भी आवधिक जांच नहीं की गई थी। कार्यात्मक ग्रामीण जल आपूर्त्ति साधनों में से केवल 36 प्रतिशत की एक बार जाँच की गई थी। मार्च 2005 तक 0.46 लाख ग्रामीण बसावटों (1.41 लाख बसावटों में से) की विभागीय जांच ने 0.28 लाख बसावटों में भू-जल स्त्रोतों में रासायनिक मिलावट को उजागर किया। इन बसावटों में से पानी की गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के केवल 2 प्रतिशत को ही वैकल्पिक पी.डब्ल्यू.एस प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त आठ नमूना परीक्षित जिलों में कोई भी जांच नहीं की गई थी, प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण भी बाकी था।
- **पंजाब** में, कोई भी आवधिक जांच नहीं की गई थी।

- **पश्चिम बंगाल** में, 3 जिलों में 174 पी.डब्ल्यू.एस.एस. के जांच के परिणामों ने प्रदर्शित किया कि 77 योजनायें बैक्टीरिया या रसायनिक समस्याओं (अत्याधिक संखिया/लौह) से प्रभावित थी। जैसाकि अपेक्षित था, इन 174 योजनाओं में जल की मासिक जाँच नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त बांकुरा जिले में, यद्यपि 10 ब्लॉक फ्लोराइड से प्रभावित थे, 29 पी.डब्ल्यू.एस.एस. में रसायन या बैक्टीरिया के लिए जल आपूर्ति की कोई आवधिक जांच, नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त 2005-07 के दौरान नये सृजित 579 खराब ट्यूबवैलों की जल-गुणवत्ता की कोई जांच नहीं की गई थी।

उत्तर में, **पंजाब** सरकार ने बताया कि जिला स्तर पर सकारात्मक पाये गये सभी नमूनों की राज्य प्रयोगशालाओं में जांच की गई थी, जो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे। **गुजरात** सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि सकारात्मक नमूनों में से नमूना जांच हेतु यादृच्छिक नमूनों की प्रक्रिया को अब लागू कर दिया है। **उड़ीसा** सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि इस समय प्रत्येक माह लगभग 700 से 800 जल नमूनों की जांच की जा रही थी। **पश्चिम बंगाल** सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि 32 विभागीय प्रयोगशालाओं को जल गुणवत्ता कार्य देखने के लिए निर्दिष्ट किया है।

नवीन अभ्यास

आन्ध्र प्रदेश में अयोध्यानगर, हस्तिनापुरम और चिराला मंडल के देवांगीपुरी गांव की वसावीनगर कॉलोनी, प्रकाशम जिले में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प और रिंग-कुँए लगाये गये। इन बसावटों के 200 मीटर के दायरे में स्थित उद्योगों ने पेयजल स्त्रोतों को प्रदूषित किया। समुदायों की शिकायतों और जिला प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के पश्चात् उद्योगों ने अपनी अप्रोयज्य सामग्री को बाहर निकालने से पहले उसका शोधन शुरू कर दिया।

गुजरात में, बहु-जिला जल सुरक्षा अनुमान (एम.डी.ए.डब्ल्यू.एस) द्वारा किये गए निकृष्ट जल गुणवत्ता सहित जल से सम्बन्धित रोगों के प्रकोप में कमी लाने के उद्देश्य से जल संसाधनों के मल-प्रदूषण सर्वे को जल गुणत्ता अनुवीक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा के विचार से जल गुणवत्ता की आवधिक जांच आवश्यक है जिससे गुणवत्ता प्रभावित बसावटों से संबंधित मामलों की शीघ्रता से पहचान की जा सके तथा समय पर निवारात्मक कार्यवाही की जा सके।

सिफारिश

राज्य सरकारों की निर्धारित अवधि मे जल के नमूनों जिसमें जी.पी./वी.डब्ल्यू.एस.सी के सकारात्मक नमूने भी शामिल हो, की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए तथा इन जांचों के उचित अभिलेखें भी रखने चाहिए। यह सम्पूर्ण व्यापी जल गुणवत्ता अनुवीक्षण कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाये।

2.6.3 क्षेत्रीय जांच किटो का प्रापण और वितरण

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी क्षेत्रीय जांच किटो (एफ.टी.के) के स्वामित्व एवं अपने पी.आर.आई क्षेत्र में सभी पेयजल साधनों की जल गुणवत्ता के अनुवीक्षण हेतु पूर्ण ओ एण्ड एम उत्तरदायित्व के लिए पंचायतों की निर्माण क्षमता को परिकल्पित करता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत (जी.पी)/ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति(वी.डब्ल्यू.एस.सी) के कार्यकत्ताओं द्वारा ग्राम स्तर के सभी साधनों की 100 प्रतिशत मूल स्तर पर जाँच की जानी थी।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 15 राज्यों **(बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल)** में जी.पी के द्वारा इस्तेमाल हेतु, क्षेत्रीय जांच किटो का मार्च 2007 तक प्रापण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भीः

- **आंध्र प्रदेश** में परख जांच किये गये छः जिलों में से किसी भी जिले में क्षेत्रीय जांच किट प्राप्त नहीं हुई थी।

- **अरूणाचल प्रदेश** में, मार्च 2007 में प्राप्त 338 मल्टीपैरामीटर जांच किट और बैक्टीरिया की जांच के लिए 5642 जांच किटो में से केवल 192 मल्टीपैरामीटर जांच किटे और 42 बैक्टीरिया जांच किटे जिलों को जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त डिवीजनों, से ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं द्वारा जो नमूनों की जांच में शामिल नहीं थे, द्वारा क्षेत्रीय किटो की मांग नहीं की गई थी तथा जी.पी स्तर के कार्यकत्ताओं को कोई किट जारी नहीं की गई थी।

- **छत्तीसगढ़** में, परख जांच किए गए चार जिलों में से केवल एक जिले में क्षेत्रीय जांच किटे प्राप्त की गई थी यहां तक कि 367 किटो की आवश्यकता के विपरीत केवल 48 किटे प्राप्त की गयी थी और इनका वितरण नहीं किया गया था।

- **गुजरात** में, छः परख जाँच जिलों में 582 वी.डब्ल्यू.एस.सी के विपरीत केवल 332 किट प्राप्त की गई थी।

- **झारखण्ड** में, केवल एक जिले में क्षेत्रीय जांच किटे प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त दो डिजीवनों, तेनूघाट एवं जमशेदपुर में बैक्टीरिया की जांच के लिए 8676 किटे तीन से आठ वर्षो तक अप्रयुक्त पड़ी रही।

- **उत्तर प्रदेश** में, बिना उचित नियोजन के यू.पी जल निगम ने दिसम्बर 2004 में 12 भौतिक और रसायिनक पैरामीटरों के लिए 400 क्षेत्रीय जांच किटे और 700 रिफील पैक खरीदे जिसे अक्तूबर 2006 में केवल चार पैरामीटरों के लिए किट खरीद में संशोधित किया गया। जनवरी 2007 को प्राप्त 9860 किटों में से केवल 5626 किटे जून 2007 तक बी.डी.ओ. को प्रेषित की गई (जी.पी. को वितरण के लिए)। इसके अतिरिक्त यू.पी. जल निगम ने बैक्टीरिया की जांच के लिए 15000 क्षेत्रीय जांच किटों के साथ 15 लाख एच.टू.एस वायल के लिए आदेश देने के स्थान पर 25 लाख एच.टू.एस वायल का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न आपूर्त्तिकर्त्ताओं को वायल और किटों का आदेश देने के कारण, किटों की आपूर्त्ति में विलम्ब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अक्तूबर 2007 को 19.30 लाख वायल स्टॉक में पड़ी हुई थी।

उत्तर में मन्त्रालय ने बताया कि वे राज्यों को बार-बार जोर दे रहे थे कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी कार्यक्रम को सुनिश्चित करें, ताकि राज्य-सरकारों/ इसकी एजेन्सियों, स्थानीय समुदायों/ पी.आर.आई द्वारा किये गये परीक्षण के साथ-2 नियमित रूप से पेयजल की गुणवत्ता की जांच की जा सके।

इसके अतिरिक्त **बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तराखण्ड** की सरकारों ने बताया कि एफ.टी. किटे अब प्राप्त कर ली गई थी अथवा प्राप्त की जा रही थी, **अरूणाचल प्रदेश** सरकार ने बताया कि बहुउद्देशीय पैरामीटर आधारित परीक्षण किटे आवश्यकता पर आधारित थी तथा इन्हें शीघ्र प्राप्त कर लिया जायेगा। **गुजरात** सरकार ने बताया कि और एफ.टी. किटे खरीदी जा रही है। **झारखण्ड** सरकार ने बताया कि एफ.टी. किटे इस्तेमाल नहीं की गई थी क्योंकि उनकी समायावधि समाप्त हो चुकी थी।

सिफारिश

जी.पी. स्तर के कार्यकर्त्ताओं को सुमचित प्रशिक्षण देने के पश्चात् एफ.टी. किटे पर्याप्त संख्या में प्राप्त कर वितरित करनी चाहिए ताकि मूल स्तर पर जल गुणवत्ता की संस्थागत जाँच के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

2.7 दीर्घकालीनता

देश की ग्रामीण बसावटों के लिए भू-जल पेय-जल का एक मुख्य साधन है तथा 85 प्रतिशत ग्रामीण जल आपूर्त्ति भू-जल पर निर्भर है। ऐसी बहुत सी बसावटों में अधिक भू-जल की निकासी के कारण, पर्यावरण अपकर्षण और निकृष्ट रिचार्ज, स्त्रोत शुष्क हो रहे हैं तथा इस प्रकार प्रणाली निष्क्रिय हो रही है। जल स्त्रोतों की दीर्घकालीनता को सुनिश्चित करने के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के पास एक पृथक घटक है। परियोजनाओं की दीर्घकालीनता जिसमें भू-जल का रिचार्ज तथा वर्षा के जल का संरक्षण, स्थानीय आवश्यकता पर निर्भर विभिन्न तकनीकी विकल्पों की खोज करना शामिल थे, के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी निधियों में से पाँच प्रतिशत निधियां प्रथक रखी जानी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को भू-जल के विकास, नियमन और नियंत्रण हेतु, विशेष रूप से जल की कमी वाले क्षेत्रो में, इसे अपनाना चाहिए तथा मॉडल बिल को कार्यान्वित करने हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अधिकतर राज्यों में भू-जल पर निर्भर योजनाओं का अनुपात बहुत अधिक था तथा नौ राज्यों **(असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल)** में 91 से 100 प्रतिशत, छः राज्यों **(कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु)** में 71 से 90 प्रतिशत तथा चार राज्यों **(आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल और मेघालय)** में 41 से 70 प्रतिशत के बीच था।

इसके अतिरिक्त,

- 19 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल)** ने जल की कमी से ग्रस्त क्षेत्रों में भू-जल के विकास को नियमित करने के लिए मॉडल बिल पारित और कार्यान्वित नहीं किया था।

- 14 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखण्ड)** ने भू-जल क्षमता का वैज्ञानिक आधार पर आवधिक मूल्यांकन नहीं करवाया था।

- 20 राज्यों **(आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल)** ने सभी भू-जल आधारित आपूर्त्ति योजनाओं में भू-जल के रिचार्ज को अनिवार्य नहीं किया था।

- 16 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड)** ने दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों के पांच प्रतिशत की राशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया था।

उत्तर में **पंजाब** और **राजस्थान** सरकारों ने उनकी भू-जल स्त्रोतों पर निर्भरता को स्वीकार किया जबकि **बिहार** सरकार ने बताया कि भू-स्त्रोतों के महत्व पर बल दिया जा रहा है। **गुजरात, हरियाणा, राजस्थान** और **मेघालय** सरकारों ने बताया कि मॉडल बिल अधिनियम पर कार्यवाही सक्रिय रूप से विचाराधीन है अथवा इस पर भविष्य में विचार किया जायेगा। **अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब** सरकारों ने बताया कि भू-जल के रिचार्ज को अनिवार्य बनाने हेतु निदेश जारी कर दिये थे अथवा जारी किये जा रहे थे जबकि **कर्नाटक** सरकार ने बताया कि भू-जल रिचार्ज अनिवार्य कर दिया गया था, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन्हें समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया था। **मध्य प्रदेश** सरकार ने बताया कि सभी पाइप जल योजनाओं का रिचार्ज किया जा रहा था, तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ये किसी भी परख जांच परियोजना में उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। **राजस्थान** सरकार ने बताया कि रिचार्च हेतु प्रावधान संभाव्यता के आधार पर बनाये गये थे। **केरल** और **पंजाब** सरकारों ने बताया था कि अब दीर्घकालीन योजनायें बनाई जा रही थी।

नवीकरण अभ्यास

आन्ध्र प्रदेश : स्त्रोतों की सुरक्षा

करीमनगर जिले के सरसिला मंडल के टडुर और थगैलापल्ली ग्रामों में पेयजल के स्त्रोत मनैरू नदी पर इनफिल्ट्रेशन कुओं के रूप में डिजाइन तथा बनाये गये थे। स्त्रोत अवैध रेत खनन के कारण प्रभावित हुये थे। शिकायतों के पश्चात् रेत का अवैध खनन बन्द कर दिया गया था, उपरोक्त ग्रामों के जल स्त्रोत सुरक्षित थे तथा इन योजनाओं में दीर्घकालीन घटकों को भी शामिल कर लिया गया था।

गुजरात

पेयजल ग्रिड

गुजरात में जल ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से एक राज्य व्यापी पेयजल आपूर्त्ति ग्रिड है। राज्य के 8215 गांवों और 135 शहरी केन्द्रों के 29 मिलियन लोगों को सरदार सरोवर नहर पर आधारित

पेयजल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत 1343 किलोमीटर ट्रांसमिशन पाइप लाइन से जुड़े 1907 गांवों और 54 शहरी केन्द्रों को जलापूर्ति की योजना पूरी तथा चालू की गई।

स्कूली बच्चों के माध्यम से आई.ई.सी अभियान

स्कूली बच्चों द्वारा जल संरक्षण, पेयजल, स्वास्थ्य, एवं स्वच्छता पर बनाये गये 30 नारे कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले सभी 1260 गांवों के 24000 स्थानों तथा सड़कों एवं हाइवे पर पेन्ट किये गये थे। छात्रों हेतु नोट बुक लेबल पर सरल सन्देश विशेष रूप से डिज़ाइन किये गये थे।

बरसाती जल का संचयन

जल संरक्षण को बढ़ावा देने एवं स्कूली बच्चों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 1858 स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर छत के ऊपरी हिस्से में बरसाती जल के संरक्षण का कार्य आरम्भ किया गया था। संचित बरसाती जल को जमीन के नीचे एक टैंक में संचित किया गया था, जिसमें सुगमता से संचालित एक छोटा हैन्ड पम्प लगा हुआ था ताकि जल का दुरूपयोग न हो। पेय जल की सूरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु, टैंक को क्षेत्रीय जल आपूर्ति प्रणाली से भी जोडा गया था।

मेघालय

झरना स्त्रोतों से जलापूर्ति को सुरक्षित तथा बनाये रखने के उद्देश्य से मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के माइलम सी.डी. ब्लॉक के नोनगढ़ गाँव के प्राधिकारियों द्वारा जल स्त्रोतों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की खुदाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

तमिलनाडू

तमिलनाडू जल आपूर्ति एवं जल निकास बोर्ड (टी.डब्ल्यू.ए.डी बोर्ड) ने 1999-2001 के दौरान सुदूर संवेदन तथा जी.आई.एस का प्रयोग करते हुए रिचार्ज स्त्रोतों की पहचान हेतु एक परियोजना आरम्भ की तथा योजना का परिणाम ब्लॉक अनुसार समस्त राज्य का क्षेत्रीय नक्शे बनाना था। जल स्त्रोतों की दीर्घकालीनता की दृष्टि से टी.डब्ल्यू.ए.डी. बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत रिचार्ज स्त्रोतों को कार्यान्वित किया जा रहा था जिसके अन्तर्गत अत्यधिक शोषित ब्लॉकों को आबंटन में प्राथमिकता दी गई थी। पेयजल स्त्रोतों के रिचार्ज ढाँचों का दीर्घकालीन प्रभावों का अनुमान यह दर्शाता है कि रिचार्ज ढ़ाचें के जल स्तर की श्रृंखला में सराहनीय वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा के विचार से, कुछ राज्य सरकारों द्वारा दीर्घकालीनता पर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने के कारण जल गुणवत्ता समस्यायों के अतिरिक्त बसावटों के एफ.सी. से पी.सी. और पी.सी. से एन.सी. में स्लिप-बैक की प्रवृत्ति को लगातार बढ़ावा मिलेगा। इससे लम्बी अवधि तक ग्रामीण जल आपूर्ति का भविष्य तथा ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी बुरी तरह से प्रभावित हुये

सिफारिश

डी.डी.डब्ल्यू.एस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों को अपनी स्थानीय पर्यावरण के उपयुक्त दीर्घकालीन घटकों को पर्याप्त महत्व दे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को भू-जल संरक्षण, भू-जल के इस्तेमाल को नियंत्रित करने, भू-जल स्तर का अध्ययन तथा रिचार्ज ढाँचे के

प्रभाव तथा डब्ल्यू.एस.एस में भू-जल रिजार्च के उन्नयन के अध्ययन हेतु सुदूर संवेदन तथा संबंधित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए।

राज्य सरकारों को स्थानीय सूचना आरम्भ करने, शिक्षा तथा संचार (आई.ई.सी) अभियान के उन्नयन की आवश्यकता, तथा स्थानीय जनसंख्या के मध्य जल-संरक्षण तथा दीर्घकालीनता पर भी विचार करना चाहिए।

2.8 अनुवीक्षण, प्रतिवेदन तथा निरीक्षण

2.8.1 अनुवीक्षण हेतु संगठनात्मक प्रबन्ध

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. संदर्शिका में यह विहित है कि :

- राज्य, जिला तथा ग्राम स्तर पर सतर्कता तथा अनुवीक्षण समितियां (वी.एम.सी.) गठित की जानी थी तथा इन समितियों की नियमित बैंठकें आयोजित की जानी थी। निधियों को निर्मुक्त करने हेतु यह एक पूर्व शर्त होगी।
- निगरानी क्रिया कलापों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में शामिल किया जाना था।
- राज्य मुख्यालय में विशेष अनुवीक्षण तथा अन्वेषण इकाइयां (एस.एम.आई.यू.) गठित की जानी थी। ये इकाइयां कार्यान्वयन एजेंसियों से आंकड़ों के रख-रखाव तथा भारत सरकार को समय पर विवरणियां प्रस्तुत करने एवं सूचना एकत्र करने हेतु उत्तरदायी होगी। ये जल की कोटि तथा क्षेत्रीय स्तर पर जल सेवाओं की पर्याप्तता तथा इस प्रकार के जल-कोटि आंकड़ों के अनुवीक्षण एवं रख-रखाव हेतु भी जिम्मेदार होगी। इसके अतिरिक्त वे जल आपूर्त्ति निर्माण कार्यो की गुणवत्ता के नियंत्रण/नियमन हेतु भी उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त एस.एम.आई.यू में जल विज्ञानी, भू-विज्ञानी तथा डाटा एन्ट्री आपरेटरों सहित कम्प्यूटर विशेषज्ञों के तकनीकी पद भी होने चाहिए।

  तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से अनुवीक्षण हेतु संगठनात्मक प्रबन्ध में पर्याप्त कमियां प्रकट हुई।

- 13 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल)** में राज्य स्तर पर वी.एम.सी. गठित नहीं की गई थी, जबकि 6 राज्यों में **(असम, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक तथा पंजाब)** में वी.एम.सी.एस. कि नियमित बैठकें नहीं हो रही थी।
- 17 राज्यों **(आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेधालय, नागालैण्ड, तमिलनाडू, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल)** के स्वास्थ्य विभाग ने किसी कर्मचारी को निरीक्षण कार्य हेतु नामित नहीं किया था।
- 9 राज्यों **(आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, और उत्तराखण्ड)** में एस.एम.आई.यू. गठित नहीं किये गये थे।

- सात राज्यों **(हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, और उत्तर प्रदेश)** में एस.एम.आई.यू. के पास निपुण तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे तथा उन्होंने नियमित विभागीय लाइन के इंजीनियरों का उनके स्थान पर इस्तेमाल किया जिससे समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं हुआ।

उत्तर में, **मेघालय** सरकार ने बताया कि एस.एम.आई.यू. तथा वी.एम.सी. को शीघ्र गठित किया जायेगा जबकि **गुजरात** सरकार ने बताया कि आवश्यकतानुसार वी.एम.सी. की बैठकें आयोजित की गई थी। **अरूणाचल प्रदेश** तथा **मेघालय** की सरकारों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को शामिल करने के मामले पर अब कार्यवाही की जा रही थी। **कर्नाटक** सरकार ने एम.आई.यू को सुदृढ़ बनाने के लिए इसमें तकनीकी पद गठित करने का प्रस्ताव दिया, जबकि **राजस्थान** सरकार ने बताया कि एम.आई.यू द्वारा किये जाने वाले कार्य हेतु इंजीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था तथा **पंजाब** सरकार ने बताया कि सरकार की नीति के अनुसार नई भर्ती पर प्रतिबंध था।

सिफारिश

डी.डी.डब्ल्यू.एस राज्य सरकारों को निदेश दे कि वे यह सुनिश्चित करें कि वी.एम.सी गठित की गई है और तथा कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को पूर्ण योग्यता प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों सहित एस.एम.आई.यू की स्थापना करनी चाहिए।

2.8.2 भारत सरकार को समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार को पर्याप्त संख्या में वार्षिक, तिमाही और मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होते हैं जिसमें योजनाओं की पूरी होने की प्रगति ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी तथा एम.एन.पी प्रावधानों का राज्य अनुसार ब्यौरा जिसमें क्रियाशील/अक्रियाशील योजनाओं की स्थिति, तिमाही तथा मासिक प्रतिवेदन, ग्रामीण स्कूलों में पेयजल योजनाओं की स्थापना इत्यादि के सभी पहलुओं को शामिल करना होता है। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि बहुत से राज्य इन विवरणियों को समय पर प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। विवरणियों के प्रस्तुत न करने का विवरण **परिशिष्ट-ई** में दिया हुआ है।

उत्तर में, मन्त्रालय ने बताया कि अप्रैल-2008 से ये प्रतिवेदन ऑन-लाइन कर दिये गये थे। बहुत से राज्यों ने प्रतिवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने/प्रस्तुत न करने को स्वीकार किया तथा इन्हें समय पर प्रस्तुत करने पर सहमति प्रकट की।

सिफारिश

राज्य सरकारों को सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता तथा इसके पूर्ण पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश देने चाहिए। इसके अतिरिक्त डी.डी.डब्ल्यू.एस सभी विवरणियों की आवश्यकता एवं आवधिकी का मूल्यांकन करें तथा उपयुक्त कार्यवाही करें।

2.8.3 निरीक्षण, मूल्यांकन एवं समीक्षा

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. की संदर्शिकाओं के अनुसार भारत सरकार को समय-समय पर अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन करने चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा भी इसी प्रकार का अध्ययन करना चाहिए।

तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 18 राज्यों **(आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश[4], महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड)** में राज्य सरकारों द्वारा कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 16 राज्यों **(असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल)** में राज्य सरकारों के मुख्यालय से अधिकारी जिलों, ब्लॉकों तथा गांवों में निरीक्षण के लिए नहीं गये और न ही निरीक्षण का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध था।

नवीकरण अभ्यास

गुजरात - स्वतंत्र मूल्यांकन

बहुत से जिलों में बहु-ग्रामीण जल आपूर्त्ति योजनायें तथा समुदायिक-प्रबन्धन कार्यक्रम की कार्यक्षमता तथा उपभोगकर्त्ताओं की संतुष्टि पर अध्ययन का कार्य स्वतन्त्र पेशेवर संगठनों द्वारा अर्थात् सामाजिक अनुसंधान हेतु ओ.आर.जी केन्द्र, डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस गुजरात सरकार मूल्यांकन निदेशालय, गुजरात विकास और अनुसधान संस्थान, डब्ल्यू.ई.एस.-नेट इत्यादि द्वारा किये गये।

सिफारिश

राज्य सरकारों को स्थानीय लोगों की सन्तुष्टि व इसको प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए जल आपूर्त्ति योजनाओं के नमूनों का मूल्यांकन निष्पक्ष थर्ड पार्टी से कराने को प्रोत्साहन देना चाहिए)

2.9 स्वजलधारा

दिसम्बर 2002 में प्रारम्भ स्वजलधारा कार्यक्रम को क्षेत्रीय सुधार कार्यक्रम में संशोधित किया गया तथा ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी आपूर्त्ति अभियान मॉडल के मांग-अभियान उपगम्यता में रूपान्तरित किया गया। स्वजलधार के अन्तर्गत, पेयजल परिसम्पत्तियां पी.आर.आई. स्तर पर उपयुक्त रूप से उनके पूर्ण स्वामित्व में होनी चाहिए, जिन्हें योजना बनाने, कार्यान्वित, संचालन तथा सभी जल आपूर्त्ति एवं स्वच्छता योजनायें बनाने का अधिकार होना चाहिए। स्वजलधारा में आलिप्त आंशिक पूँजीगत लागत नकद/अथवा किसी अन्य रूप (मजदूरी सहित) संचालन और रखरखाव की 100 प्रतिशत जिम्मेदारी इसके उपयोगकर्त्ताओं की है।

स्वजलधारा कार्यक्रम के अनुसार, राज्यों को 2007 और 2012 के लक्ष्य अनुसार जल आपूर्त्ति एवं स्वच्छता पर राज्य की आवश्यकता के अनुसार एक व्यापक नीति तैयार करना था। उन्हें संचार एवं विस्तार विकास इकाइयों (सी.सी.डी.यू.) की स्थापना भी करनी थी। राज्य सरकारों को ओ.एंड.एम संस्थागत पूनर्निर्माण गुणवत्ता सुधार तथा प्रणाली तथा स्त्रोतों की दीर्घकालीनता हेतु चार पृथक निधियों की स्थापना करनी थी, जो प्रारम्भ में अपने स्त्रोतों से वित्तपोषित करनी थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा स्वजलधारा परियोजनाओं का यादृच्छिक निरीक्षण किया जाना चाहिये था तथा इन निरीक्षणों के निष्कर्षों पर समुचित कार्यवाही करनी थी।

---

[4] यह बताया गया कि उनके द्वारा प्रगति रिपोर्ट पर आधारित मूल्यांकन किया गया था, जिसे मूल्यांकन अध्ययन नहीं माना जा सकता।

तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि :

- 13 राज्यों[5] **(असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैण्ड, राजस्थान, तमिलनाडू, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल)** ने राज्य की आवश्यकतानुसार एक विवरणी जिसमें 2007 और 2012 हेतु लक्ष्य निर्धारित करने थे, तैयार नहीं की, न ही पेयजल तथा स्वच्छता पर एक व्यापक नीति बनाई।

- दो राज्यों **(हरियाणा तथा कर्नाटक)** ने संचार तथा क्षमता विकास इकाइयों (सी.सी.डी.यू) की स्थापना नहीं की थी।

- 18 राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखण्ड)** ने चार निर्धारित निधियों में से किसी भी निधि की स्थापना नहीं की थी।

- 6 राज्यों **(केरल, नागालैण्ड, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल)** में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू एस.एम) ने स्वजलधारा परियोजनाओं का विशेषज्ञों की टीम सहित कोई यादृच्छिक निरीक्षण नहीं किया था। **गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर** तथा **उड़ीसा** में यादृच्छिक निरीक्षण किये गये थे, लेकिन अनुवर्ती कार्यवाही अभिलेखों में नहीं थी।

उत्तर में **बिहार, कर्नाटक, केरल** तथा **तमिलनाडू** सरकारों ने बताया कि अब राज्य की आवश्यकतानुसार योजना तैयार की जा रही थी। **मेघालय** सरकार ने बताया कि क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन समाप्त हो जाने के पश्चात् राज्य स्तर की आवश्यकतानुसार योजना तैयार की जायेगी। **राजस्थान** सरकार ने बताया कि जनता की राय जानने के लिए प्रारूप नीति तैयार की गई थी। **कर्नाटक, केरल, मेघालय** तथा **तमिलनाडू** सरकारों ने बताया कि प्रारूप नीति विचाराधीन थी।

इसके अतिरिक्त, **अरूणाचल प्रदेश,** और **गुजरात** की सरकारों ने बताया कि निधियों का गठन विचाराधीन था। **मध्य प्रदेश** सरकार ने बताया कि ओ.एंड.एम निधि योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् स्थापित की जानी थी चूंकि बहुत सी स्वजलधारा योजनायें अभी पूरी होनी थी, इसलिए इसे स्थापित नहीं किया गया। **मेघालय** सरकार ने बताया कि संबद्ध उद्देश्यों हेतु निधियां आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाई जा रही थीं/उपलब्ध करवाई जायेगी। **उड़ीसा, पंजाब** और **तमिलनाडू** सरकारों ने स्वीकार किया कि निधियां स्थापित नहीं की गई थी।

[5] जम्मू एवं कश्मीर राज्य से कोई विवरण उपलब्ध नही था।

अध्याय - 3 - राज्य विर्निदिष्ट निष्कर्ष

3.1. अरूणाचल प्रदेश

3.1.1 कार्यों का पूरा न होना

2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान राज्य पी.एच.ई.डी ने निष्पादन हेतु 4,607 परियोजनायें आरम्भ की जिसमें से मार्च 2007 तक केवल 2,443 योजनायें (53 प्रतिशत) पूर्ण हुई थी तथा 2,164 योजनायें कार्यरत थी।

परख जांच डिवीजनों में, 2002-03 तथा 2006-07 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु आरम्भ की गई 1,986 योजनाओं में से, मार्च 2007 तक 1,866 योजनायें पूर्ण होने हेतु शेष थी। इनमें से केवल 1000 योजनायें (50 प्रतिशत) मार्च 2007 तक पूर्ण हुई थी, 557 योजनायें (29 प्रतिशत) अधूरी थी तथा 429 योजनाओं (21 प्रतिशत) पर कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया कि कार्य पूर्ण करने की धीमी गति का कारण राज्य के अंश में कमी होना था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2002-07 के दौरान, विभाग ने चालू परियोजनाओं के पूर्ण होने हेतु वांछित निधियों का केवल 18 से 36 प्रतिशत, उपलब्ध करवाया था, लेकिन 2,084 नई योजनायें स्वीकृत की थी। तथापि नई योजनाओं हेतु निधियों का आबंटन कुल वांछित निधियों का 14-15 प्रतिशत ही था। इसके अतिरिक्त विभाग ने तकनीकी और वित्तीय संस्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही योजनाओं हेतु, योजना लागत की 14-16 प्रतिशत राशि भी उपलब्ध करवाई थी। स्पष्टतः योजनाओं हेतु अधिक केन्द्रित एवं लक्षित योजना का परिणाम, निधियों की उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात्, आरम्भ की जाने वाली योजनायें कम होगी परन्तु कार्य पूर्ण होने की दर अधिक होगी।

3.1.2 समय और लागत की अधिकता

- परख जाँच की गई डिवीजनों में 1990-91 से 2002-03 की अवधि के दौरान 22 जल आपूर्त्ति योजनायें रू 3.10 करोड़ की अनुमानित लागत से आरम्भ की गई थी जो 2002-03 और 2006-07 की अवधि के दौरान पूर्ण हुई थी, कार्य के 2 से 12 वर्ष तक विलम्ब से समाप्त होने के कारण रू 0.71 करोड़ की अधिक लागत आई।

- **अरूणाचल प्रदेश** सरकार ने बताया कि संस्वीकृति हेतु संशोधित अनुमान प्रस्तुत कर दिये गये थे तथा अधिक व्यय सी.पी.डब्ल्यू.डी मैनुयल द्वारा अनुमत 5 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत थे। उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि अधिक व्यय की गई राशि की संशोधित स्वीकृति अधिक किये गये व्यय के औचित्य सहित, जो 6 से 265 प्रतिशत के मध्य थी, अभी तक प्रतीक्षित थी।

3.1.3 अनधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- 2001 की जनगणना के अनुसार 2004-05 तथा 2006-07 के दौरान रू 2.35 करोड़ की लागत से पूर्ण की गई 17 योजनाओं के अन्तर्गत आवृत्त गाँवों में, या तो बसावटें नहीं थी अथवा विद्यमान नहीं थी। अतः अविधमान अथवा अनावश्यक कुछ योजनाओं की सम्भावता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

- 2004-05 तथा 2006-07 के मध्य 10 योजनाओं पर रू 0.77 करोड़ का व्यय किया गया, जिनके लिए राज्य स्तर योजना निपटान समिति (एस.एल.एस.सी.सी) से तकनीकी निपटान प्राप्त नहीं हुआ था।

- मार्च 2007 तक 12 योजनाओं पर रू 0.70 करोड़ व्यय किये गये थे जो ग्रामीण बसावटों को आवृत्त नहीं करती थी।

3.1.4 अप्रभावी जल गुणवत्ता योजनाओं का निष्पादन

- रू 1.52 करोड़ की लागत से 2003-04 तथा 2005-06 के मध्य जल गुणवत्ता समस्याग्रस्त क्षेत्रों के आठ जिलों तथा चार डिवीजनों के 12 डब्ल्यू.एस.एस में पूर्ण की गई जल योजनाओं में, पाँच एन.टी.यू[1]. की सीमा तक जल में गंदलापन अनुमत सीमा के बावजूद अधिक था। जल में गंदलेपन तथा जीवाणुओं की समस्या रोकने हेतु कार्यवाही शामिल नहीं थी। इसके अतिरिक्त इन डिवीजनों में जल परीक्षण रिपोर्टों में जल में गंदलापन निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया था। उत्तर में, **अरूणाचल प्रदेश** सरकार ने उपयुक्त शोधन प्लान्ट उपलबध करवाये जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया; लेकिन उपलब्ध नहीं करवाया क्योंकि योजना की प्रति व्यक्ति लागत ग्राह्य सीमा से अधिक हो गई थी।

3.1.5 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- भारत सरकार ने फरवरी 2004 और फरवरी 2007 के मध्य स्वजलधारा हेतु रू 4.47 करोड़ निर्मुक्त किये। तथापि, जिला जल आपूर्त्ति तथा स्वच्छता समिति (डी.डब्ल्यू.एस.सी) द्वारा मार्च 2007 तक पूर्ण की जाने वाली, 90 स्वीकृत योजनाओं में से मार्च 2007 तक रू 3.03 करोड़ की लागत से केवल 35 योजनायें पूर्ण हुई थी।

- एक जल उन्नयन आपूर्त्ति योजना में रू 0.21 करोड़ के व्यय के बावजूद योजना जो पूर्ण बताई गई थी, क्रियाशील नहीं थी। इसके अतिरक्त रू. 0.12 करोड़ की खरीदी गई सामग्री अप्रयुक्त पड़ी थी।

3.2. असम

3.2.1 कार्यों का पूरा न होना

- 2002-03 से पूर्व चार डिवीजनों रू 1.62 करोड़ की अनुमानित लागत से 26 पाइप लाइन जल आपूर्त्ति योजनायें (पी.डब्ल्यू.एस.एस) आरम्भ की गई जिन्हें 2002-07 तक ए.ए.पी में शामिल नहीं किया गया था, मार्च 2007 तक रू 0.76 करोड़ के व्यय के बावजूद भी अधूरी पड़ी थी।

- रू 0.18 करोड़ की लागत से कार्यान्वित एक जल आपूर्त्ति योजना में, गहरा खुदा हुआ नलकूप (डी.टी.डब्ल्यू) काम नहीं कर रहा था, लेकिन योजना में उसे पास के गांव के एक शोधन प्लान्ट से जल की आपूर्त्ति करने वाला दर्शाया गया था। तथापि, बसावटों ने जल की आपूर्त्ति चार से पांच दिनों के अन्तराल में होने तथा सूखे के दिनों में कम जल-आपूर्त्ति की शिकायत की थी।

---

[1] नेफलोमेट्रिक टरवेडिटी इकाई, टरवेडिटी मापने की इकाई (पानी का गंदापन और धुंधलापन)

3.2.2 अधिक लागत तथा समय

- 9 डिवीजनों में 161 डब्ल्यू.एस.एस में अनुमानित लागत, रू 19.76 करोड़ थी, जो बढ़कर रू 10.48 करोड़ अधिक हो गई थी, जिससे 5 से 17 वर्ष अधिक समय भी लगा।

3.2.3 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- 2002-2005 में सिल्चर पी.एच.ई डिविजन-II में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के अन्तर्गत समस्त वर्क-चार्ज स्थापना व्यय रू 0.97 करोड़ का अनियमित प्रभारित किया गया था।

3.2.4 अप्रभावी जल गुणवत्ता योजनायों का निष्पादन

- रू 0.59 करोड़ की कुल लागत से 1987 एवं 1997 के मध्य कार्यान्वित सात पी.डब्ल्यू.एस.एस योजनायें बिना किसी शोधन प्लान्ट, जलाशय तथा पम्प हाउस के पूर्ण दिखाई गई थी; इनका निर्माण बाद में 2002-03 तथा 2006-07 के मध्य गुणवत्ता उप-मिशन के अन्तर्गत किया गया था।

  असम सरकार ने बताया कि 1990 के दौरान योजनाओं हेतु स्वीकृत अनुमोदित राशि बहुत कम थी जिससे शोधन प्लान्ट का निर्माण पूर्ण नहीं किया जा सकता था, इन्हें अब चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

- दो डिवीजनों ने 1987 से 2004 तक जल शोधन प्लान्ट के बिना 61 जल आपूर्त्ति योजनायें कार्यान्वित की गई। बसावटों को जल की आपूर्त्ति बिना शोधन के सीधे ही की जा रही थी।

- 2002-03 और 2006-07 के मध्य दो डिवीजनों के 16 डब्ल्यू.एस.एस में डी.टी.डब्ल्यू निष्पादन, शोधन प्लान्ट, जलाशय, पम्प हाउस इत्यादि पर रू 1.27 करोड़ खर्च किये गये यद्यपि ए.आर.डब्ल्यूएस.पी. के अन्तर्गत योजनायें 2002-03 से पूर्व पूर्ण दिखाई गई थी।

3.2.5 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- भारत सरकार द्वारा 2002-07 के दौरान निर्मुक्त रू 25.79 करोड़ की राशि में से, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम)/जिला जल एवं स्वच्छता समितियों (डी.डब्ल्यू.एस.सी) द्वारा रू 4.90 करोड़ की राशि प्राप्त नहीं की थी। बकाया निर्मुक्त रू 20.90 करोड़ की राशि में से रू 11.17 करोड़ राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम) तथा डी.डब्ल्यू.एस.सी के पास मार्च 2007 तक अप्रयुक्त पड़े थे।

  असम सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि सितम्बर 2007 में समस्त निधि डी.डब्ल्यू.एस.सी को निर्मुक्त कर दी थी।

- चार परख जांच जिलों में, 89 योजनाओं में से, केवल 9 योजनायें मार्च 2007 तक पूर्ण हुई थी। उपलब्ध रू 8.47 करोड़ की निधियों में से, रू 3.21 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे।

  असम सरकार ने बताया कि सभी योजनायें मार्च 2008 तक पूर्ण होनी थी।

3.3 बिहार

3.3.1 निष्क्रिय योजनायें

- एक अप्रैल 2006 तक 643 ग्रामीण पी.डब्ल्यू.एस. में से 319 अकार्यात्मक बताई गई थी। इसी प्रकार 7.48 लाख ट्यूबवैलों में से 1.67 लाख ट्यूबवैल अ-कार्यात्मक बताये गये थे।

  बिहार सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि अधिकांश अकार्यात्मक योजनायें कार्य अवधि पूरी कर चुकी थी। पुरानी तथा अभी भी व्यवहार्य पी.डब्ल्यू.एस.एस. को फिर से चालू करने हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

3.4 छत्तीसगढ़

3.4.1 निष्क्रिय कार्य

- 1 अप्रैल 2006 तक, 952 पाइप जल आपूर्त्ति योजनाओं (पी.डब्ल्यू.एस.एस.) में से, 473 स्थल स्त्रोतों, 16.92 लाख हैण्ड पम्पों में से, 40 पी.डब्ल्यू.एस.एस. 51 स्थल स्त्रोत तथा 2906 हैण्ड पम्प अकार्यात्मक बताये गये थे।

3.4.2 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- 5 डिवीजनों में रू 2.36 करोड़ की लागत से खरीदे गये पाइपों और हैण्डपम्पों का वास्तव में इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें कार्य से प्रत्यक्ष प्रभारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजना की लागत में वृद्धि हुई।

- चार परख जाँच जिलों में 288 ग्रामीण पी.डब्ल्यू.एस.एस. में से 44, लाभभोगियों के 10 प्रतिशत पूँजीगत अंशदान के बिना जो 55 एल.पी.सी.डी के लिए डिजाइन की गई थी।

- जगदलपुर जिले में 2002-07 के दौरान एफ.सी बसावटों के लिए 317 ट्यूबवैल के निर्माण पर रू 1.59 करोड़ खर्च किये गये थे, जबकि राज्य में पर्याप्त संख्या में पी.सी./एन.सी. बसावटें थी।

3.4.3 जल गुणवत्ता योजनाओं का निष्पादन

- जल गुणवत्ता की समस्या को सुलझाने के लिए किसी निधि का उपयोग नहीं किया गया था, केवल जगदलपुर जिले में लोहे की अधिकता की गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों की संख्या जो 2002-03 में 3090 थी 2005-06 में बढ़कर 4478 हो गई थी।

- **छत्तीसगढ़** सरकार ने निधियों के प्रयोग न किये जाने के तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों हेतु कार्य अब आरम्भ किये जा रहे थे।

3.4.4 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- 2002-07 की अवधि के दौरान, राज्य में 312 योजनायें स्वीकृत की गई थी, जिनमें से मार्च 2007 तक 210 योजनायें पूर्ण हुई थी। मार्च 2007 तक कुल उपलब्ध निधियों में से 33 प्रतिशत निधियां अप्रयुक्त थी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि इस तिथि तक (अप्रैल 2008) 308 योजनायें पूर्ण हो गई थी।

- चार जिलों में 83 योजनाओं की परख-जाँच प्रकट करती हैं कि कोरबा में 28 में से 19 योजनाओं में सामुदायिक अंशदान निर्धारित से 10 प्रतिशत कम था। 2003-04 से मार्च 2007 तक 24 में से 22 पी.डब्ल्यू.एस.एस. में विद्युतीकरण कार्य अपूर्ण थे।
- स्वजलधारा परियोजनाओं में परख जांच किये गये 4 जिलों में से 3 जिलों के लेखों की लेखापरीक्षा नहीं हुई थी।

3.5 गुजरात

3.5.1 अधिक लागत और समय

- 12 में 11 परख जांच की गई क्षेत्रीय आर.डब्ल्यू.एस.एस. में मार्च 2007 तक 9 से 35 महीनों का विलम्ब था। विलम्ब हेतु बताये गये कारणों में कार्य निष्पादन में विलम्ब, विलम्ब से प्रापण भूमि की अनुपलब्धता तथा अन्य प्रक्रियायें थी।

  गुजरात सरकार ने बताया कि विलम्ब के मुख्य कारण भूमि की अनुपलब्धता, टेण्डरों की प्रक्रिया में देरी तथा आवश्यक क्लीयरेन्स लेने में देरी थी।

3.5.2 जल गुणवत्ता योजनाओं का निष्पादन

- 1994 से 2000 की अवधि के दौरान रू 18.14 करोड़ की लागत से 238 डी. फ्लोरीडेशन प्लान्ट स्थापित किये गये जो चालू होने के तीन वर्ष पश्चात् ग्राम पंचायतों को सौंप दिये गये थे, अकार्यात्मक थे।

  गुजरात सरकार ने बताया कि प्लान्टस वी.पी. को सौंपे गये थे, जो ओ एण्ड एम हेतु खर्च वहन करने में असमर्थ थे तथा इनके संचालन में विशेष रूचि नहीं दिखाई। अब इनमें से बहुत से गाँव सतह आधारित डब्ल्यू.एस.एस के अन्तर्गत आवृत्त कर लिये गये थे।

3.5.3 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- जूनागढ़ में, एक योजना में रू 0.18 करोड़ के व्यय के पश्चात्, परीक्षण के दौरान जल अनुपयुक्त पाया गया था। डी.डब्ल्यू.एस.सी 3 एन.जी.ओ. को यू.सी के आधार पर बिना वाउचरों के अनियमित प्रतिपूर्ति कर रहा था।

  गुजरात सरकार ने बताया कि मार्च 2005 में प्रथम परीक्षण के दौरान 40 मी. गहराई पर जल उपभोग हेतु उपयुक्त पाया गया था लेकिन दूसरे परीक्षण के दौरान 42.5 मीटर की गहराई से पानी उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया था। तथापि, अब जल पीने योग्य पाया गया था।

3.6 हरियाणा

3.6.1 अपूर्ण योजनायें

- परख जांच डिवीजनों में जून 1998 तथा सितम्बर 2005 के मध्य रू 49.40 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृत 128 योजनाओं में से, अनुमानित लागत रू 33.17 करोड़ की 87 योजनायें अपूर्ण थी। इन 87 योजनाओं पर रू 22.35 करोड़ व्यय हुये।

- 20 जल आपूर्त्ति परियोजनाओं में (डब्ल्यू.एस.एस.) से चार परियोजनायें विस्तृत जांच हेतु चुनी गई जिनमें रू 3.39 करोड़ की अनुमानित लागत निहित थी तथा 60,063 आबादी को लाभ होना था, जून 2007 तक अनुमोदन के पांच से सात वर्षों के पश्चात् भी रू 2.84 करोड़ के व्यय के बावजूद भी अधूरी रही थी। यह देखा गया था कि अनुमोदित लागतों के अनुरूप कार्यों को निष्पादित करने के स्थान पर गांवों को टयूबवैल के माध्यम से नाममात्र जलापूर्त्ति की गई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा किये गये प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्रकट हुआ कि नहर आधारित जल आपूर्त्ति परियोजनाओं के लिए आधे-अधूरे बने निर्माण अप्रयुक्त पड़े थे तथा पाइप लाइन बिछाने की कार्य योजना भी अधूरी थी। इस प्रकार इन गांवों में वर्तमान जल आपूर्त्ति की स्थिति 20 और 35 एल.पी.सी.डी के मध्य थी।

हरियाणा सरकार ने सामान्यतः तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। यह भी बताया गया था कि मोरखी, कथूरा तथा रिन्धाना में योजनायें क्रमशः अप्रैल 2008, जून 2008 तथा अगस्त 2008 तक पूरी होने की सम्भावना है।

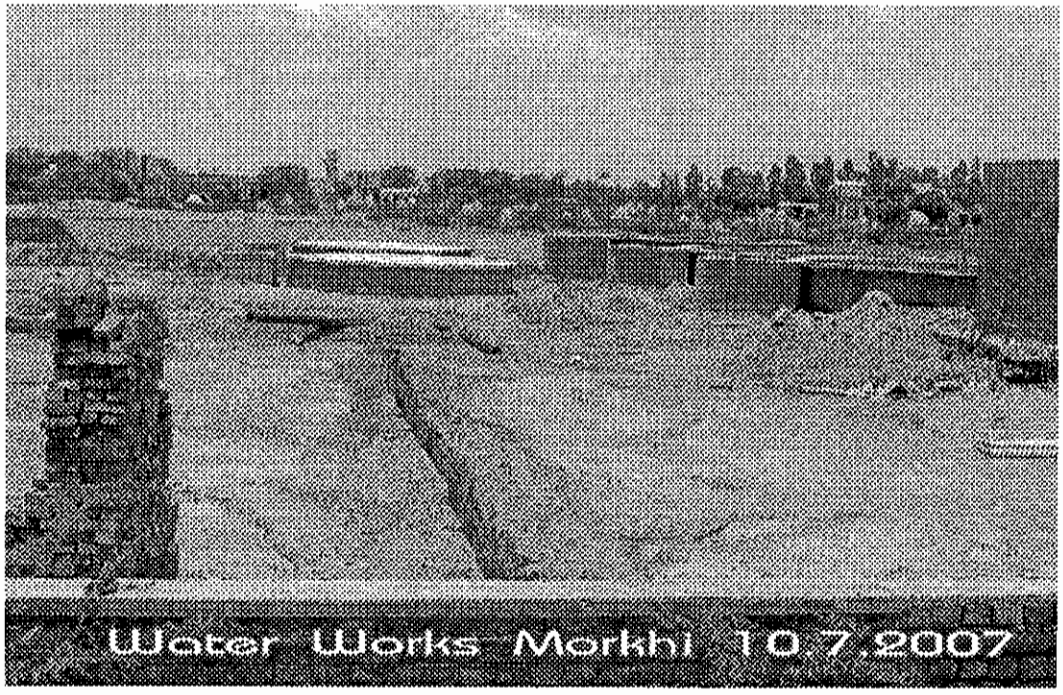

मोरखी के अधूरे पड़े डब्ल्यू.एस.एस. का दृश्य

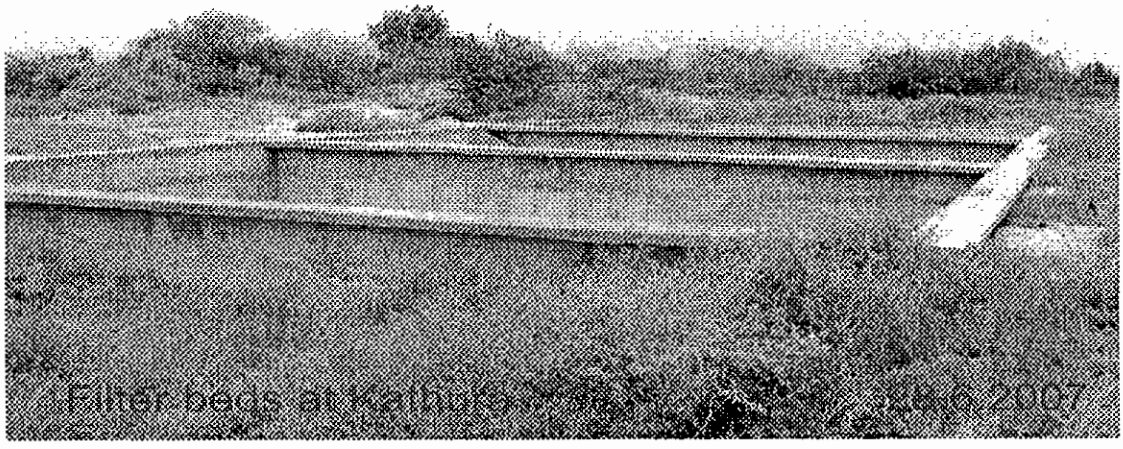

कथूरा के अधूरे पड़े डब्ल्यू.एस.एस. का दृश्य

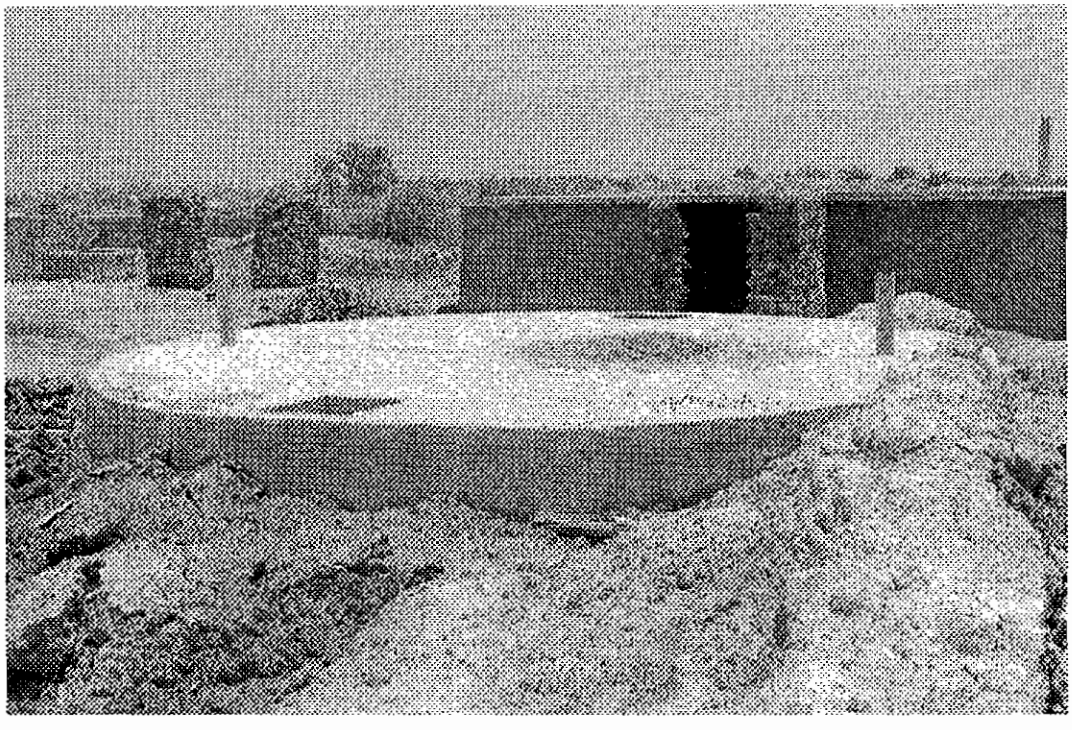

रिन्धाना के अधूरे पड़े डब्ल्यू.एस.एस. का दृश्य

3.6.2 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- यद्यपि 868 पी.सी/एन.सी गाँव शेष थे, जून 1998 और जुलाई 2006 के मध्य 87 योजनाओं को 55 एल.पी.सी.डी जल उपलब्ध करवाने हेतु रू. 32.10 करोड़ की मंजूरी दी गई थी जिसके

विपरीत रू 16.97 करोड़ व्यय हुये। न तो लाभार्थियों का पूँजी लागत में कोई अंशदान था, न ही योजना के ओ.एण्ड एम को उन्हें सौंपा गया था।

- 7 डिवीजनों में, 176 कार्यों पर विस्तृत लागत अनुमान स्वीकृत किये बिना, रू 46.14 करोड़ व्यय किये गये थे। इसके अतिरिक्त, संस्वीकृत अनुमानों के अनुमोदन के बिना रू 2.43 करोड़ अधिक व्यय किये गये थे।

  हरियाणा सरकार ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तैयार किये गये अनुमानों की प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी निकासी के पश्चात् ही कार्य आरम्भ किये गये थे। अतः इन्हें विस्तृत अनुमान माना जा सकता था। उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक अनुमोदन केवल कच्चे अनुमान के आधार पर प्रदान की गई थी।

3.6.3 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- 10 जिलों में 2002-06 के दौरान रू. 14.53 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृत 148 योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा केवल रू 6.97 करोड़ की प्रथम किश्त निर्मुक्त की गई थी, जिसमें से रू 7.38 करोड़ (लाभभोगियों के अंशदान सहित) व्यय किये गये। अगस्त 2007 तक रू 2.34 करोड़ की लागत से केवल 25 योजनायें पूर्ण हुई थी।

  हरियाणा सरकार के अनुसार, ओ.एण्ड एम का सौंपना संतोषजनक प्रबन्ध नहीं था, क्योंकि बहुत सी योजनायें विद्युत प्रभार जमा न कराये जाने के कारण अकार्यात्मक थी। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया था कि स्वजलधारा के कार्यान्वयन में इसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी तथा यह भी बताया गया था कि ग्रामीण स्तर समितियों द्वारा यू.सी. प्रस्तुत किये जाने थे। क्योंकि ये निर्धारित ढंग से नहीं किये गये थे, दूसरी किश्त जारी नहीं की गई थी।

3.7 हिमाचल प्रदेश

3.7.1 परियोजनाओं का पूरा न होना

- छः परख जांच की गई डिवीजनों में, 2002-07 के दौरान 1485 बसावटों के लिए रू 52.13 करोड़ की लागत से आरम्भ की गई 166 योजनाओं में से मार्च 2007 तक रू 16.48 करोड़ की लागत से 432 बसावटों हेतु केवल 59 योजनायें पूरी हुई थी। 1053 बसावटों हेतु 107 योजनायें रू 29.56 करोड़ के व्यय के बावजूद भी अधूरी थी।

- विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अप्रैल 2007 तक 4 डब्ल्यू.एस.एस. पर बिना तकनीकी स्वीकृति के रू 1.53 करोड़ व्यय किये गये थे। जिनका निष्पादन जल स्त्रोतों और निर्माण के लिए निजी भूमि के विवाद के कारण रोक दिया गया था।

3.7.2 अधिक लागत एवं समय

- परख जांच डिवीजनों में, मई 2000 और मार्च 2007 के मध्य रू 9.28 करोड़ की अनुमानित लागत से 227 बसावटों हेतु 28 जल आपूर्त्ति योजनायें आरम्भ की गई जिन्हें दो से चार वर्ष की निर्धारित अवधि में पूरा होना था। इनमें से, रू 3.90 करोड़ की अनुमानित लागत से, 114 बसावटों हेतु 13 योजनायें रू 7.86 करोड़ की लागत पर (रू 3.96 करोड़ अधिक लागत

सहित) मार्च 2003 तथा अप्रैल 2007 के मध्य 6 से 52 महीनों के विलम्ब से पूरी हुई। 113 बसावटों हेतु शेष 15 योजनायें, जिनकी अनुमानित लागत रू 5.38 करोड़ थी तथा जिन्हें तीन से चार वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना था, रू 8.34 करोड़ व्यय के पश्चात्, रू 2.96 करोड़ की अधिक लागत तथा 5 से 17 महीनों के अधिक समय के पश्चात् प्रगति पर थी।

विभाग ने अधिक समय के लिए भूमि-विवाद तथा स्थानीय लोगों द्वारा रूकावटें इत्यादि तथा बढ़ी हुई सामग्री एवं मज़दूरी दरों को उत्तरदायी ठहराया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि डी.पी.आर बनाते समय लागत के प्रति सावधानी सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं तथा एम.आई.एस मोड्अल बनाये गये हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि मानकों को अभी अन्तिम रूप देना था, अनुमान पुराने मानकों के आधार पर बनाये जा रहे थे तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों को एम.आई.एस मोड्अल अभी तक उपलब्ध कराये जाने थे।

3.7.3 अनाधिकृत, अनियमित तथा अधिक व्यय के मामले

- पाँच डिवीजनों में, 2002-2007 के दौरान, विस्तृत अनुमानों तथा तकनीकी संस्वीकृति के बिना 157 जल आपूर्त्ति योजनाओं के निष्पादन पर रू 44.19 करोड़ व्यय किये गये।

- 2002-07 के दौरान छः डिवीजनों में रू 15.62 करोड़ की अनुमानित लागत से 54 जल आपूर्त्ति योजनाओं में बिना संशोधित संस्वीकृति के रू 24.32 करोड़ खर्च किये गये।

- मार्च 2003 तथा जून 2007 के मध्य 32 योजनायें अनुमानित लागत 8.03 करोड़ से रू 4.93 करोड़ के अधिक व्यय के पश्चात् पूरी हुई, जो राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम) द्वारा प्रपत्र में स्वीकृत अनुमोदित था तथा यह अधिक व्यय .आर.डब्ल्यू.एस.पी निधियों से वहन करना अनियमित था।

- 2002-07 के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों पर पहले ही खर्च की गई रू 0.95 करोड़ की राशि बाद में मार्च 2004 से मार्च 2007 में घुमरविन, पोन्टासाहिब और रामपुर डिवीजनों में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी को प्रभारित की गई। वर्ष 2002-07 के दौरान पोन्टा साहिब और रामपुर डिवीजनों में रू 1.41 करोड़ जो ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अन्तर्गत अनुमोदित किये गये थे, 24 दूसरे जल आपूर्त्ति कार्यों को विपथित किये गये थे।

3.8 जम्मू एवं कश्मीर

3.8.1 योजनाओं का पूर्ण न होना

- 1999-05 में सात डिवीजनों द्वारा रू 9.56 करोड़ की अनुमानित लागत से आरम्भ किये गये 14 डब्ल्यू.एस.एस, रू 8.89 करोड़ व्यय के बावजूद भी पूरे नहीं हुये थे। पूरा न होने के कारण स्त्रोतों का विकसित न होना, स्त्रोतों का रिक्त होना, भूमि विवाद तथा मूल्यों में वृद्धि थे।

- 6 कार्यान्वयन डिवीजनों में 3 वर्षों से अधिक समय से पहले आरम्भ की गई, 73 प्रतिशत योजनायें मार्च 2006 तक अपूर्ण थी।

3.8.2 अधिक लागत तथा समय

- 6 कार्यान्वयन डिवीजनों में, 2002-06 के मध्य आरम्भ की गई 345 योजनाओं में से 312 योजनायें (59 पूर्ण तथा 253 प्रगति पर) दिसम्बर 2006 तक 1 से 4 वर्षों तक विलंबित थी, इसके परिणामस्वरूप 44 योजनाओं में रू 5.20 करोड़ की अधिक लागत हुई (6 पूर्ण तथा 38 चालू)। विलम्ब का कारण सामग्री/मज़दूरी की लागत में वृद्धि, प्रस्तावों में परिवर्तन, राज्य/भारत सरकार द्वारा निधियों को विलम्ब से निर्मुक्त करना ठहराया।

3.8.3 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- 2003-04 के दौरान रू 402.57 करोड़ की अनुमानित लागत से आरम्भ की गई 569 योजनाओं में से, मार्च 2007 तक रू 398.42 करोड़ की अनुमानित लागत की 484 योजनायें अपूर्ण थी, जिसके परिणामस्वरूप रू 91.57 करोड़ की अधिक लागत हुई। इन योजनाओं को पूर्ण सुनिश्चित करने के स्थान पर, स्थानीय एम.एल.ए की सिफारिश पर 50 नई अनानुमोदित योजनाओं पर कार्य आरम्भ करने हेतु रू 19.56 करोड़ निर्मुक्त किये गये तथा 28 जल आपूर्त्ति योजनायें आरम्भ करने हेतु रू 11.78 करोड़ निर्मुक्त किये गये, जिसके लिए विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा परियोजना रिपोर्ट अभी बनानी और अनुमोदित की जानी थी।

- 2002-2006 के दौरान वित्तीय नियमों का पालन किए बिना विभागीय अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा रू 4.95 करोड़ की लागत के कार्य निष्पादित किये गये, श्रमिकों को मस्टर रोल के स्थान पर हैण्ड रिसीट पर लगाया गया तथा कार्य में लगाये गये श्रमिको का वास्तविक विवरण दर्शाये बिना भुगतान सहकर्मियों के माध्यम से किया गया।

- एक डिवीजन में, 2004-2005 के दौरान रू1.18 करोड़ के मूल्य के 93 कार्य निविदायें आमंत्रित किये बिना अनुमोदन के आधार पर आबंटित किये गये थे।

- कान्डी क्षेत्रों[2] की कार्य योजना के अन्तर्गत, 2004-06 के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त किये गये रू 40 करोड़ में से, राज्य सरकार द्वारा समरूप अंश राशि निर्मुक्त न किये जाने के कारण भारत सरकार की निधियों के रू 37.27 करोड़ अनियमित रूप से स्थगित योजनाओं पर इस्तेमाल किये गये।

- 2006-07 के दौरान, 29 योजनायें हेतु रू 14.11 करोड़ की राशि, जो वार्षिक कार्यक्रम हेतु अनुमोदित नहीं थी, निर्मुक्त की गई।

- 8 डिवीजनों द्वारा आरम्भ की गई 341 योजनाओं में से, 2002-06 के दौरान 251 योजनायें बिना प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति के निष्पादित की गई तथा इन पर रू 117.10 करोड़ व्यय हुये।

- दो डिवीजनों द्वारा सात योजनाओं द्वारा रू 0.33 करोड़ योजनाओं संबंधी रिपोर्ट में अनावृत्त विस्तारों में अनियोजित तरीके से पाइपों के बिछाए जाने के कारण नेटवर्क प्रणाली को

[2] समतल व पहाड़ों के बीच को बारिश प्रभावित क्षेत्र

विखण्डित करने और पुनः बिछाने के कार्यों पर व्यय किये । इसके अतिरिक्त, तीन डिवीजनों में रू 0.60 करोड़ की विखण्डित पाइपों को लेखों में नहीं दिखाया गया था।

- जैसा विचार किया गया था, डी.डी.पी के अन्तर्गत आवृत्त क्षेत्रों में परियोजना रिपोर्टों में पशुओं हेतु जल का प्रावधान तथा हैण्ड पम्पों/सार्वजनिक वितरण पोस्टों के अधिष्ठापन का प्रावधान शामिल नहीं था।

3.8.4 जल गुणवत्ता परियोजनाओं का निष्पादन

- फरवरी 2004 और मार्च 2007 के मध्य, भारत सरकार द्वारा उप-मिशन परियोजनाओं हेतु निर्मुक्त रू 75 करोड़ अन्य चालू ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. योजनाओं पर इस्तेमाल किये गये थे।

3.9 झारखण्ड

3.9.1 निष्क्रिय कार्य

- अप्रैल 2007 तक, 2002-07 के दौरान राज्य के कुल 2.78 लाख डी.टी.डब्ल्यू में से 0.42 लाख डी.टी.डब्ल्यू. विशेष मरम्मत और ढांचे में संशोधन के बावजूद भी 0.46 लाख डी.टी.डब्ल्यू. अभी तक निष्क्रिय थे।

3.9.2 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- तीन डिवीजनों में विभिन्न योजनाओं पर मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु रू 3.04 करोड़ अनुमानों की स्वीकृति के बिना व्यय किये गये।

- 2005-06 में ग्रामीण विद्यालयों में स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु वर्तमान गहरे ट्यूबवैलों (डी.टी.डब्ल्यू.) को बलकृत/दबाव एवं उत्पादक पम्पों (एफ एण्ड एल) में परिवर्तित करने की एक योजना आरम्भ की गई इसे स्वच्छ परिसर वाले विद्यालयों में लागू किया जाना था, तथा एफ एण्ड एल पम्प को स्वच्छता परिसर के जल टैंक के साथ जोड़ा जाना था। 5 परख जांच डिवीजनों में, 2005-07 के दौरान चयनित विद्यालयों में 1407 डी.टी.डब्ल्यू. को एफ एण्ड एल पम्पों में परिवर्तित करने हेतु रू 2.37 करोड़ खर्च किये गये थे। तथापि योजना उन विद्यालयों में निष्पादित की गई जहां या तो स्वच्छता परिसर उपलब्ध नहीं था अथवा बिना जल-टैंक के उपलब्ध था, अतः एफ एण्ड एल पम्पों को स्वच्छता परिसर के जल टैंकों के साथ नहीं जोड़ा जा सका।

  झारखण्ड सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि दिसम्बर 2007 तक स्वच्छता परिसर का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् एफ एण्ड एल पम्पों का इस्तेमाल किया जायेगा। लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि स्वच्छता सुविधायें मई 2008 तक अपूर्ण थी।

- पांच परख जाँच की गई डिवीजनों में, 2002-07 के दौरान 10,341 स्थलों पर (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी : 6045 स्थल, एम.एन.पी : 4296 स्थल) पर गहरे ट्यूबवैलों के निर्माण हेतु बेधन किये गये इनमें से 1696 बेधन (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. :1004 बेधन, एम.एन.पी : 692 बेधन) स्थलों के गलत चयन के कारण, जो भू-जल आंकड़ों पर आधारित नहीं थे, असफल घोषित कर दिये गये। यह देखा गया था कि 1696 डी.टी.डब्ल्यू. स्थलों का चयन क्षेत्रीय

एम.एल.ए/एम.पी के कहने पर किया गया था जो किसी भू-जल आंकड़ों पर आधारित नहीं थे। संबंधित अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि भू-जल की उपलब्धता का अनुमान लगाने की पूर्व जांच व्यवस्था का प्रावधान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 1696 असफल बेधनों पर रू 2.75 करोड़ (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी : रू 1.67 करोड़, एम.एन.पी : रू 1.08 करोड़) व्यर्थ व्यय हुआ।

झारखण्ड सरकार ने डी.टी.डब्ल्यू. की असफलता के तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि इस प्रकार की असफलतायों को कम करने हेतु कार्यवाही की गई थी।

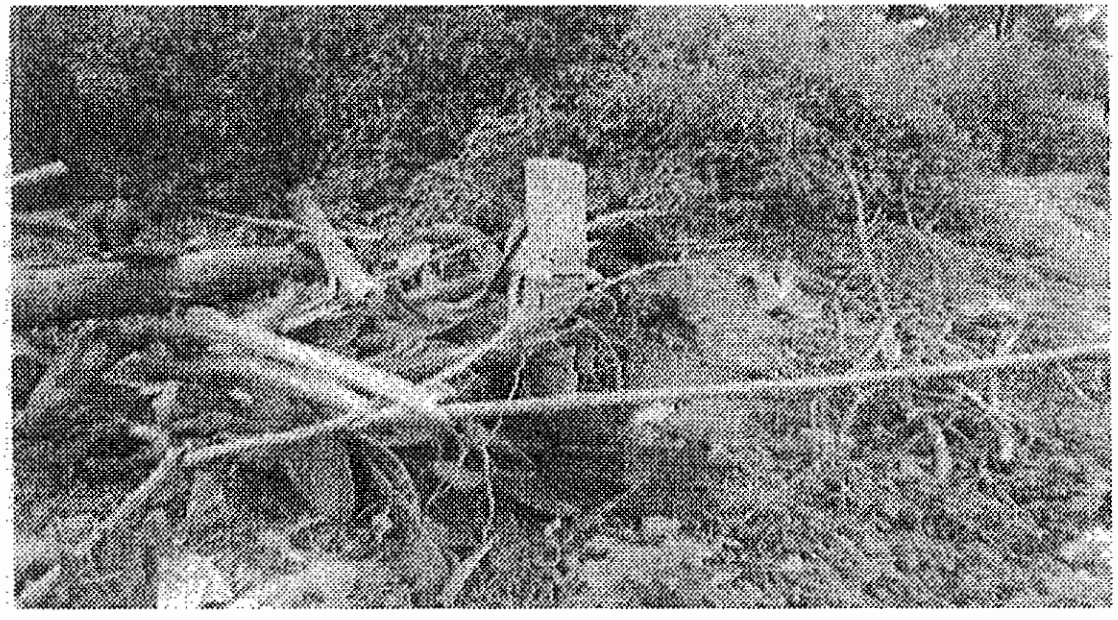

गोड़ा जिले के वरगाछा हरियारी गांव ब्लॉक पौढ़ीयाहाट (रोड़ डिवीजन द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण) में निष्क्रिय डी.टी.डब्ल्यू का दृश्य

- मानकों के अनुसार, एक डी.टी.डब्ल्यू. की आयु दस वर्ष है। तीन परख जांच किये गये जिलों में, 2002-07 के दौरान 625 मामलों में डी.टी.डब्ल्यू की समयपूर्व असफलता तथा पुराने खराब डी.टी.डब्ल्यू. की विशेष मरम्मत (नव निर्माण) के कार्यों पर रू 2.01 करोड़ की लागत पर आरम्भ किये गये थे। इनमें से 10 पर उनकी संस्थापना के एक वर्ष के भीतर ही मरम्मत वांछित हो गई, 66 में 1 से 3 वर्ष के मध्य मरम्मत वांछित थी, 114 में 3-5 वर्षो के भीतर मरम्मत वांछित थी और शेष 435 में 5-9 वर्ष के भीतर मरम्मत करनी पड़ी।

- परख जाँच की गई चार डिवीजनों में, 2002-07 के दौरान रू 0.78 करोड़ का जो सामान खरीदा गया था, अप्रैल 2007 तक अप्रयुक्त रहा।

- रू 53.48 लाख मूल्य की सामग्री एम.एन.पी कार्यों को विपथित कर दी गई थी।

- 2006-07 के दौरान, मई 2006 में 24,650 डी.टी.डब्ल्यू में संरचनात्मक संशोधन हेतु पाइप खरीदने के लिए रू 3.44 करोड़ की खरीद का एक आदेश जारी किया गया, जबकि परियोजना केवल दिसम्बर 2006 में अनुमोदित हुई थी। तथापि, 2006-07 के दौरान डी.टी.डब्ल्यू में कोई संरचनात्मक संशोधन प्रतिवेदित नहीं हुआ।

झारखण्ड सरकार ने बताया कि 5 प्रतिशत निधियां दीर्घकालीनता हेतु थी, अतः पाइप खरीदे गये थे तथा इनका पूर्णतः इस्तेमाल जीर्ण पाइपों को बदलने में किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जीर्ण राइजर पाइप का बदलना आर.एण्ड एम श्रेणी के रूप में किया गया था न कि ओ. एंड एम के रूप में

3.9.3 जलगुणवत्ता योजनाओं का निष्पादन

- 2006-07 में फ्लोराइड/आरसेनिक रिमूबल जल की गुणवत्ता समस्या को कम करने के लिए रू 4.20 करोड़ अटैचमेंट इकाई के द्वारा आंबटित किये गये थे। तथापि एक जिले की एक डिवीजन में ही रू 0.84 करोड़ खर्च किये गये तथा शेष 21 जिलों में वांछित योजनायें कार्यान्वित नहीं की गई थी। शेष रू 3.36 करोड़ की बकाया निधि अभ्यर्पित कर दी गई।

3.9.4 स्वजलधारा परियोजनायों का निष्पादन

- तीन जिलों में, 2003-2007 के दौरान रू 5.44 करोड़ की अनुमानित लागत से 168 योजनायें आरम्भ की गई, रू 1.56 करोड़ के व्यय के बावजूद भी कोई योजना पूरी नही हुई थी।
- एक डिवीजन में, 2006-07 के दौरान रू 0.37 करोड़ की स्वीकृत अनुमानित लागत में से, एक डब्ल्यू.एस.एस..पर रू 0.32 करोड़ व्यय किये गये थे लेकिन योजना विफल परिबेधन के कारण असफल रही; सयुंक्त भौतिक जांच से प्रकट हुआ कि असफलता विभागीय अभियन्तायों की अनुवीक्षण तथा तकनीकी सहायता में कमी तथा स्थल के गलत चयन के कारण थी।
- दो डिवीजनों में, दों योजनाओं में रू 0.03 करोड़ की शेष राशि योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् वापिस नहीं की गई थी।

3.10 कर्नाटक

3.10.1 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- चिक्कावल्लापूर पी.आर.ई डिवीजन में, ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी निधियों में से रू 3.62 करोड़ आपद राहत निधि एन.सी.सी.एफ तथा एम.एन.पी के अन्तर्गत कार्यों हेतु विपथित किये गये।

3.10.2 जल गुणवत्ता योजनाओं का निष्पादन

- 2001 में पहचान की गई 21,008 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में से, उप मिशन के अन्तर्गत अभी केवल 1058 बसावटों का समाशोधन किया गया था।
- मार्च 2007 तक रू 135.95 करोड़ की अनुमानित लागत से आरम्भ की गई 50 उप-मिशन परियोजनाओं में से रू 60.18 करोड़ लागत की 36 योजनाएं पूर्ण हुई थी जबकि रू 50.71 करोड़ के व्यय के बावजूद 14 परियोजनाये चालू थी।

  कर्नाटक सरकार ने बताया कि चूंकि विचाराधीन प्रस्तुत, 14 चालू योजनाओं हेतु भारत सरकार ने अनुदान निर्मुक्त नहीं किये थे, इस कारण इनकी लागत में वृद्धि हुई जिसे अब राज्य की निधियों से पूरा किया जा रहा है। उत्तर तर्क-संगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने 2006-07

के दौरान रू 52.95 करोड़ की सामान्य निधियों के अतिरिक्त सब-मिशन परियोजनाओं हेतु रू 125.36 करोड़ की अतिरिक्त निधियां निर्मुक्त की थी।

- तीन परख जांच जिलों में सभी 18 रिवर्स ओसमोसिस आधारित डि-फ्लोरीडेशन प्लान्ट 2 से 32 महीनों की अवधि से काम नहीं कर रहे थे, जबकि पांच एडजोर्वसन आधारित तकनीकी के प्लान्टों संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। **कर्नाटक** सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि गारन्टी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जी.पी. प्लान्टों की रख-रखाव का कार्य नहीं कर सकी। तथापि समुचित ओ एण्ड एम सुनिश्चित करने के लिये ए.एम.सी बाहरी साधनों से की जा रही थी।

3.11 केरल

3.11.1 अधिक लागत और समय

- तीन परख जांच जिलों की छः डिवीजनों में, नौ आर.डब्ल्यू.एस.एस. में 4 से 13 वर्षों की अधिक समय वृद्धि का पता चला, तथा दिसम्बर 2003 से सितम्बर 2007 के मध्य पूरी हुई 65 आर.डब्ल्यू.एस.एस योजनाओं में रू 3 करोड़ की अधिक लागत हुई। परियोजनाओं के विलम्ब से पूरा होने के लिए भूमि अधिग्रहण और सौंपने में विलम्ब तथा वितरण प्रणाली के पूरा होने तथा विद्युत कनैक्शन की प्राप्ति में विलम्ब इनके मुख्य कारण थे।

  केरल सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि भूमि प्राप्ति में विलम्ब तथा विद्युत कनैक्शन प्राप्त करने और वितरण करने में विलम्ब को कम करने हेतु कार्यवाही की गई थी।

3.11.2 जल गुणवत्ता योजनाओं का निष्पादन

- परख जांच किये गये जिलों में 9 संस्वीकृत जल गुणवत्ता परियोजनाओं में से केवल एक पूरी हुई थी।

  केरल सरकार ने बताया कि शेष 8 योजनायें 2008-09 के दौरान चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

3.12 मध्य प्रदेश

3.12.1 योजनाओं का पूर्ण न होना

- राज्य में कुल 9173 पी.डब्ल्यू.एस.एस में से मार्च 2007 तक 7750 योजनायें पूरी हुई थी, 813 योजनायें प्रगति पर थी तथा 610 योजनायें निष्पादन हेतु आरम्भ नहीं की गई थी।

- 10 जिलों में, रू 68.64 करोड़ की अनुमानित लागत से आरम्भ की गई 667 पी.डब्ल्यू.एस.एस में से (जिनमें से 289 योजनायें 2002 से पहले अनुमोदित हुई थी) मार्च 2007 तक केवल 260 योजनायें पूरी की जा सकी थी, 353 योजनायें प्रगति पर थी तथा 54 योजनायें आरम्भ नहीं की गई थी। योजनाओं के पूरी न होने का कारण समय पर निधियों का निर्मुक्त न होना तथा योजनाओं का संशोधित न होना था।

  मध्यप्रदेश सरकार ने सामान्यतः तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

3.12.2 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- छः डिवीजनों में प्रभावशाली व्यक्तियों के कहने पर एफ.सी बसावटों में 705 टयूबवैलों के निर्माण पर रू 3.85 करोड़ एन.सी/एफ.सी बसावटों की अनावृत लागत पर व्यय किये गये थे।

  मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि लगातार सूखा पड़ने के कारण, बहुत से जिले बुरी तरह प्रभावित हुये थे। भारत सरकार ने भी राज्य को एफ.सी. बसावटों में आवश्यक कार्य करने की अनुमति दे दी थी। उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता एन.सी/पी.सी बसावटों को आवृत करने की थी, जो पूरी तरह आवृत नहीं हुई थी।

- तीन डिवीजनों में 2002-07 के दौरान प्रभावशाली व्यक्तियों के कहने पर भारत सरकार के मानकों का अधिक्रमण करते हुये रू 2.69 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृत 26 आर.पी.डब्ल्यू.एस.एस में 55 एल.पी.सी.डी पेयजल की आपूर्त्ति की गई तथा मार्च 2007 तक रू 1.66 करोड़ व्यय किये गये।

- रू 8.53 करोड़ (फरवरी 2002), रू 6.60 करोड़ (मई 2003), रू 15 करोड़ (2006) तथा रू 30 करोड़ (जनवरी 2007), की ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी अव्ययित निधियां, जो प्रतिवेदित किये गये व्यय को स्फीत कर रही थी, वापिस ले ली गई तथा सिविल डिपोजिट में जमा करवा दी गई थी। इसके पश्चात् डिवीजनों में जमा राशि चैक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा प्रेषित की गई। परख जांच से यह भी प्रकट हुआ कि सात डिवीजनों को आंबटित रू 6.50 करोड़ में से रू 3.93 करोड़ मार्च 2007 तक अव्ययित पड़े थे।

3.12.3 जल गुणवत्ता योजनाओं का निष्पादन

- यद्यपि भारत सरकार ने 1997-98 में जल में अत्याधिक फ्लोराइड से प्रभावित डिन्डौरी जिले के 101 समस्याग्रस्त गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु एक योजना अनुमोदित की थी जो 2005-06 में रू 1.25 करोड़ लागत से पूरी हुई, फिर भी 207 नई बसावटें अधिक फ्लोराइड से प्रभावित पाई गई। उसी जिले में, 147 गांवों में भारत सरकार द्वारा रू 7.35 करोड़ की लागत से अनुमोदित योजनायें अप्राधिकृत थी क्योंकि इन गांवों में से 139 गांवों में दोहरी जल नीति के मानको अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध था।

- अप्रैल 2005 में रायसेन जिले की 132 बसावटों में अत्याधिक फ्लोराइड पाया गया, 2006 के विभागीय निर्देशों में बहुत कम गहराई वाले कुएं खोदने अथवा अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध करने का प्रावधान है न कि गहरे टयूबवैल खोदने का। तथापि रू 1.25 करोड़ की लागत से जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में 185 नये गहरे टयूबवैल खोदे गये थे। विभाग के इस दावे के बावजूद कि टयूबवैल सुरक्षित क्षेत्रों में खोदे गये थे, सभी नये टयूबवैल गुणवत्ता प्रभावित पाये गये। **मध्य प्रदेश** सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

- 1997-2004 के दौरान रू 10.78 करोड़ की अनुमानित लागत से अनुमोदित चार खारे पानी वाली योजनायें रू 10.27 करोड़ के व्यय के बावजूद भी पूर्ण नहीं हुई थी।

- 14 जिलों में अधिक लौह एवं 9 जिलों में अधिक नाइट्रेट की समस्या को हल नहीं किया गया था।

- फ्लोराइड प्रभावित स्त्रोतों में वृद्धि के बावजूद, मार्च 2007 में 30 में से केवल 13 डीफ्लोरीडेशन प्लान्ट कार्य कर रहे थे। **मध्य प्रदेश** सरकार ने जून 2008 में बताया कि इस समय 18 प्लान्ट कार्य कर रहे हैं।

3.12.4 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- भारत सरकार द्वारा 2002-06 के दौरान 39 जिलों में 2890 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्मुक्त रू 50.32 करोड़ में से केवल रू 40.81 करोड़ कार्यान्वित एजेन्सियों को निर्मुक्त किये गये थे। केवल 1363 योजनायें आरम्भ की गई थी, जिसमें से 728 योजनायें रू 22.27 करोड़ की लागत से पूरी हुई थी। केवल 103 योजनायें जी.पी./वी.डब्ल्यू.एस.सी. को सौंपी गई थी।

- 2004 में, सिओनि जिले में 4 पी.आर.आई. ने 4 योजनाओं हेतु सरकारी अनुदान में से सामुदायिक अंशदान जमा करवाया।

- छिन्दवाड़ा जिले में 2003-06 के दौरान एफ.सी बसावटों हेतु रू 0.74 करोड़ की अनुमानित लागत की 21 योजनायें आरम्भ की गई थी जबकि मई 2007 तक जिले में 40 एन.सी. और 175 पी.सी बसावटें थी।

3.13 महाराष्ट्र

3.13.1 अधिक लागत और समय

- छः योजनायें 12 से 30 महीने के अधिक विलम्ब से पूर्ण हुई जबकि 2003-05 के दौरान आरम्भ हुई 3 योजनायें रू 0.24 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी अपूर्ण थी।

  महाराष्ट्र सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि योजनायें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जायेगी।

3.13.2 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- अमरावती जिले में, मार्च 2003 तक सेक्टर रिफार्म पायलट प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया गया, 2005-07 के दौरान रू 13 करोड़ ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी (सामान्य) निधियों से निर्मुक्त किये गये जो ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. संदर्शिका[3] का उल्लंघन करता है।

- रू 0.25 करोड़ की अनुमानित लागत से एक योजना प्रशासनिक स्वीकृति के बिना आरम्भ की गई।

- एक योजना में, रू 0.99 करोड़ की प्रथम किश्त का भुगतान तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही कर दिया गया था।

---

[3] संदर्शिका के पैरा 4.1 में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा पायलट जिलों में एक बार अनुमोदित पायलेट जिलों के लिए सेक्टर रिफार्म पायलट प्रोजेक्ट इन जिलों में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (सामान्य) निधियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

- एक गांव में, एक नई आर.डब्ल्यू.एस.एस पर रू 0.10 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया, जो पहले ही से क्षेत्रीय डब्ल्यू.एस.एस के अन्तर्गत शामिल था।

- एक योजना में, आपूर्तिकर्त्ता के नाम जारी रू 0.10 करोड़ की कैशमीमों को एक वी.डब्ल्यू.एस.सी द्वारा व्यय के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि एक अन्य योजना में, रू 0.06 करोड़ की राशि का सेल्फ चैक आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान करने हेतु आहरित किया गया।

- चार योजनाओं में रू 0.26 करोड़ के पाइप निर्धारित प्रक्रिया तथा सहायक प्रमाणकों के बिना खरीदे गये थे, अभी तक अप्रयुक्त पड़े थे।

- दो जिलों में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के अन्तर्गत 2003-07 के दौरान 16 कार्यों हेतु निर्मुक्त रू 1.58 करोड़ की निधियों के व्यय से संबंधित अभिलेखे ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों (वी.डब्ल्यू.एस.सी.) द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। अतः इस व्यय की वास्तविकता और प्रमाणिकता को नहीं जांचा जा सका।

  महाराष्ट्र सरकार ने अभिलेखों को प्रस्तुत न करने की वास्तविकता को स्वीकार किया।

- पाँच डिवीजनों में 46 कार्यों में से 34 कार्य अनुमानित निबल राशि के स्थान पर उपरि प्रभार अनुमानों की सकल राशि पर वसूले गये, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानों में रू1.14 करोड़ तक की स्फीति हुई।

  महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि अनुमानों को बनाते समय, उप कार्यों की समेकित लागत निकाली गई थी तथा 17.5 प्रतिशत ई.टी.पी. प्रभार, निबल लागत निकालते समय जोड़ दिये गये थे। उत्तर तर्क संगत नहीं हैं क्योंकि ई.टी.पी प्रभार कार्य की सकल लागत पर वसूल किये जाने थे।

- अहमदनगर, अमरावती और रायगढ़ जिलों में, उपलब्ध निधियां इस्तेमाल नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का निकृष्ट कार्यान्वयन हुआ।

सारणी : 4 महाराष्ट्र के 3 जिलों में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी निधियों का प्रयोग

(रू. करोड़ में)

जिला	अवधि	प्राप्त निधियां	इस्तेमाल की गई निधियां
अहमदनगर	2005-06	5.15	3.15
अमरावती	2005-07	13.00	0.26
रायगढ़	2005-07	13.50	0.22

3.13.3 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- 29 योजनाओं में रू 0.40 करोड़ का कम समुदाय-अंशदान वसूल किया गया।

  महाराष्ट्र सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि कार्य निष्पादन में कमियों को दूर करने हेतु 6.12.2006 को आवश्यक संदर्शिका जारी कर दी गई थी।

- दो जिलों में 2003-07 के दौरान स्वजलधारा के अन्तर्गत 8 कार्यों हेतु निर्मुक्त रू 0.59 करोड़ की निधियों से संबंधित व्यय के अभिलेखे ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों (वी.डब्ल्यू.एस.सी.) द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। अतः व्यय की प्रमाणिकता तथा वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी।

महाराष्ट्र सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

3.14 मणिपुर

3.14.1 योजनाओं का पूरा न होना

- भारत सरकार को यह प्रमाणपत्र देने के बावजूद कि कोई भी कार्य जो तीन वर्ष पूर्व आरम्भ हुये थे अधूरे नहीं रहेंगे, तीन जिलों में 2002-04 की अवधि के दौरान अनुमोदित 38 योजनायें मार्च 2007 तक पूरी नही हुई थी।

3.14.2 अधिक लागत एवं समय

- 2002-07 के दौरान, तीन जिलों में रू 4.19 करोड़ की अनुमानित लागत से आरम्भ की गई 48 योजनायें रू 4.62 करोड़ की बढ़ी हुई लागत से, राज्य सरकार द्वारा इस प्रमाण पत्र के बावजूद (2002-06 से वर्ष-वार लेखों के साथ) कि लागत में वृद्धि ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी निधियों से पूरी नहीं की जायेगी, ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों से पूरी की गई।

3.14.3 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- 2002-07 के दौरान, आई.पी डिवीजन के अन्तर्गत 6 नई योजनाओं और 9 कार्यरत योजनाओं के विभागीय बकाया बिलों, पी.ओ.एल की खरीद तथा विभागीय कार्यो के रख रखाव पर रू 1.03 करोड़ की राशि अनियमित रूप से ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी निधियों से प्रभारित की गई।

3.15 मेघालय

3.15.1 योजनाओं का पूरा न होना

- नौ में से छह परख जाँच की गई डिवीजनों में, मार्च 2006 तक 17 योजनायें पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो मार्च 2007 तक (एक से दो वर्षों की अधिक समय वृद्धि के साथ) अनुमानित लागत रू 4.90 करोड़ के विपरीत रू 4.34 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी अपूर्ण थी।

- 1995-96 के दौरान रू 2.98 लाख की लागत से पूर्ण सूचित की गई एक योजना मार्च 2005 को अपूर्ण पाई गई।

मेघालय सरकार ने विलम्ब को स्वीकार किया तथा बताया कि योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

- मार्च 2004 में रू 2.55 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृत एक डब्ल्यू.एस.एस रू 1.45 करोड़ के व्यय के पश्चात् जुलाई 2007 में बन्द कर दी गई क्योंकि जल स्त्रोत लक्षित बसावटों को जलापूर्त्ति की स्थिति में नहीं थे।

मेघालय सरकार ने बताया कि योजना के कार्य स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार आरम्भ किये गये थे। लेकिन जब स्त्रोतों के बहाव में अचानक कमी आ गई, तो वैकल्पिक स्त्रोत ढूढ़ने थे। अब एक वैकल्पिक स्त्रोत की पहचान कर ली गई थी तथा योजना कार्यान्वित करने हेतु कार्यवाही आरम्भ कर दी गई थी।

3.15.2 अधिक लागत और समय

- सात डिवीजनों में रू 4.38 करोड़ की अनुमानित लागत से 25 योजनायें रू 0.40 करोड़ की अधिक लागत तथा तीन महीनों से पाँच वर्षों के अधिक समय से पूर्ण हुई।

- दिसम्बर 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य पाइपों की आपूर्त्ति पर रू 0.52 करोड़ का व्यय नकली प्राप्ति प्रमाणपत्र के आधार पर किया गया।

3.15.3 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- रजुविलपाडा डिवीजन में एम.एन.पी के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर व्यय की गई रू 0.62 करोड़ की राशि ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के अन्तर्गत बिजिंगढोबा जल-आपूर्त्ति योजना में प्रभारित की गई।

- मावफलंग डिवीजन में 2003-04 और 2005-06 के दौरान ऊर्जा उपभोग पर रू 0.52 करोड़ का व्यय ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के अन्तर्गत प्रभारित किया गया।

- प्रिन्थूमुख्राह जल आपूर्त्ति योजना चरण-I में रू0.23 करोड़ का व्यय राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत अनियमित रूप से ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी को प्रभारित किया गया।

3.16 नागालैण्ड

3.16.1 कार्यों का पूर्ण न होना

- परख जाँच डिवीजनों में 27 पिछली योजनायें तथा वर्ष 2002-07 की 23 लक्षित योजनाओं में से 15 योजनायें रू 4.61 करोड़ के व्यय के पश्चात् भूमि एवं स्त्रोत के झगड़ों के कारण बन्द कर दी गई।

नागालैण्ड सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

3.16.2 अनाधिकृत, अनियमित और अधिक व्यय के मामले

- रू 7.80 करोड़ की अनुमानित लागत से 21 एफ.सी. बसावटें लक्षित की गयी थी जिस पर मार्च 2007 तक रू 2.60 करोड़ खर्च किये गये।

- तीन परख जाँच जिलों में कुल अनुमोदित पूँजीगत लागत रू 15.41 करोड़ में से 48 मामलों में लाभभोगी अंशदान के रू 1.67 करोड़ नहीं काटे गये।

- चार डिवीजनों में वर्ष 2002-07 के दौरान अनुमोदित व्यय से रू 1.07 करोड़ अधिक व्यय किये गये थे।

- विभाग ने वर्ष 2002-07 के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी निधियों से अनियमित रूप से रू 28.72 करोड़ वर्कचार्ज स्टाफ के वेतन के भुगतान पर तथा रू 0.70 करोड़ पुराने बिलों के निपटान पर व्यय किये।

3.17 उड़ीसा

3.17.1 कार्यों का पूर्ण न होना

- वर्ष 1991-2006 के दौरान रू 10.84 करोड़ की अनुमानित लागत से 294 पी.डब्ल्यू.एस.एस शुरू किये गये जिन्हें एक/दो साल में पूरा किया जाना था, अप्रैल 2007 तक अपूर्ण थे। (2001-02 से पहले :53, 2002-03 :19, 2003-04 :33, 2004-05 :62, तथा 2005-06 :127)

- आठ परख जाँच किये आर.डब्ल्यू.एस.एस डिवीजनों में से 3 में **(पुरी, ढ़ेंकनाल और बालासोर)**, रू 8.74 करोड़ की अनुमानित लागत से 22 पी.डब्ल्यू.एस योजनायें वर्ष 1993-2006 के मध्य शुरू की गई जोकि एक साल में पूरी होनी थी, रू 3.18 करोड़ खर्च करने के बाद भी अप्रैल 2007 तक अपूर्ण थी।

  उड़ीसा सरकार ने कहा कि उचित कार्यवाही की जायेगी।

- तीन आर.डब्ल्यू.एस.एस डिवीजनों में (रायगढ़ा, कालाहान्डी और ढेंकनाल) 1999-2006 के दौरान रू 2.29 करोड़ के व्यय के साथ 15 पी.डब्ल्यू.एस योजनायें पूरी की गई थी, अप्रैल 2007 को योजनाएं पम्प हाउसों के विद्युतीकरण न हो पाने के कारण चालू नहीं हो सकी जिसके परिणामस्वरूप 0.39 लाख लोग सुरक्षित पेय जल पीने से वंचित रह गए, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

योजना	विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा फील्ड जाँच के दौरान की स्थिति
कल्याणी और समीपवर्ती गाँवों के पी.डब्ल्यू.एस	रू 0.34 करोड़ के व्यय के पश्चात् 0.05 लाख लोगों के लाभार्थ लक्षित जुलाई 2006 में पूर्ण और चालू बताई गई।	• योजना असक्रिय रही और ठहराव स्तम्भ/चबूतरा नहीं बनाया गया। • ग्रामीणों के अनुसार, परीक्षण के दौरान जल रिसाव के कारण, योजना को सक्रिय नहीं बनाया जा सका। • अधिशासी अभियन्ता के अनुसार योजना को सफलतापूर्वक चालू एवं परीक्षण के पश्चात् जी.पी. को स्थानान्तरित कर दिया गया। **उड़ीसा** सरकार ने कहा कि योजना के प्रावधानों के अनुसार पाइप लाइन को दुबारा डाल दिया गया है, 36 स्टेन्ड पोस्ट प्लेटफार्म के साथ कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियंता आर.डब्ल्यू-

		एस.एस डिवीजन बालासौर को उपेक्षा के लिए चेतावनी दे दी गई थी।
मुला अलासा के पी.डब्ल्यू.एस	रू 0.20 करोड़ के व्यय के पश्चात् 0.03 लाख लोगों के लाभार्थ लक्षित, दिसम्बर 2005 में पूर्ण व चालू बताई गई।	• दो उत्पादक कूओं की असफलता के कारण, परियोजना मार्च 2006 से बन्द कर दी गई। **उड़ीसा** सरकार ने कहा कि सही स्त्रोत ढूढ़ने के लिए भू-गर्भीय सर्वेक्षण किया जा रहा था।
निहालप्रसाद के पी.डब्ल्यू.एस	रू 0.26 करोड़ के व्यय के पश्चात् 0.07 लाख लोगों के लक्षित लाभार्थ हेतु, मई 2002 में पूर्ण व चालू बताई गई।	• विद्युत चालकों की चोरी के कारण, सितम्बर 2005 के पश्चात् योजना असक्रिय थी। **उड़ीसा** सरकार ने कहा कि अधिशासी अभियन्ता को उपेक्षा के लिए चेतावनी दे दी गई। और बिजली आपूर्त्ति को कायम रखने के लिए रू 1.30 लाख सी.ई.एस.सी.ओ के पास जमा करा दिये गये थे।
पंनिन्जेनगुटिया के के पी.डब्ल्यू.एस	रू 0.13 करोड़ के व्यय के पश्चात् 0.02 लाख लोगों को आवृत करने हेतु लक्षित तथा मार्च 2005 में पूर्ण व चालू बताई गई	• स्त्रोत की असफलता के कारण योजना को चालू नहीं किया जा सका क्योंकि प्राप्ति केवल 1.8 लीटर प्रति सेकेन्ड थी (एल.पी.एस) उड़ीसा सरकार ने कहा कि कम दबाव वाले वर्तमान स्त्रोत की सहायता के लिए एक और उत्पादक कूऐं का कार्य शुरू कर दिया गया था।
गोसानी के पी.डब्ल्यू.एस	(i) रू 0.15 करोड़ के व्यय के पश्चात् 0.01 लाख लोगों के लाभार्थ लक्षित, मई 2003 में चालू बताया गया।	• चालू होने के छः माह के भीतर ही, मोटर के जल जाने और उसके बाद ट्रान्सफार्मर के स्थानान्तरण के कारण योजना ने कार्य करना बन्द कर दिया। • वितरण पाइप लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी।
	(ii) रू 0.26 करोड़ के व्यय के पश्चात् 0.07 लाख लोगों के लक्षित लाभार्थ हेतु सितम्बर 1995 में चालू हुई।	• परियोजना असक्रिय थी। • ग्रामीणों के अनुसार, पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने और प्रचालक के अभाव में, परियोजना पिछले दो साल से बन्द थी। • अधिशासी अभियन्ता के अनुसार, ओ.एन्ड एम की जिम्मेदारी अक्टूबर 2006 में जी.पी को स्थानान्तरित कर दी गई थी। **उड़ीसा** सरकार ने कहा कि जली हुए मोटर की रीवाइन्डिग होने के बाद योजना अब चालू हैं, ट्रान्सफार्मर और खराब पाइपों की भी मरम्मत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, जी.पी ने एक ऑपरेटर नियुक्त कर दिया, योजना चालू थी और खराब पाइप लाइन की भी मरम्मत कर दी गई थी।

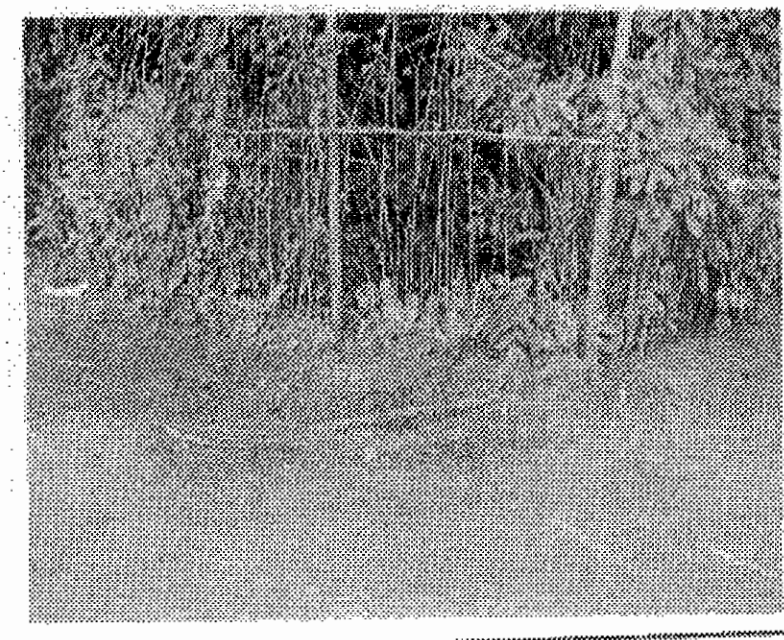

कल्याणी के पी.डब्ल्यू.एस के स्टेन्ड पोस्ट का दृश्य जो जुलाई 2006 में चालू दिखाया गया।

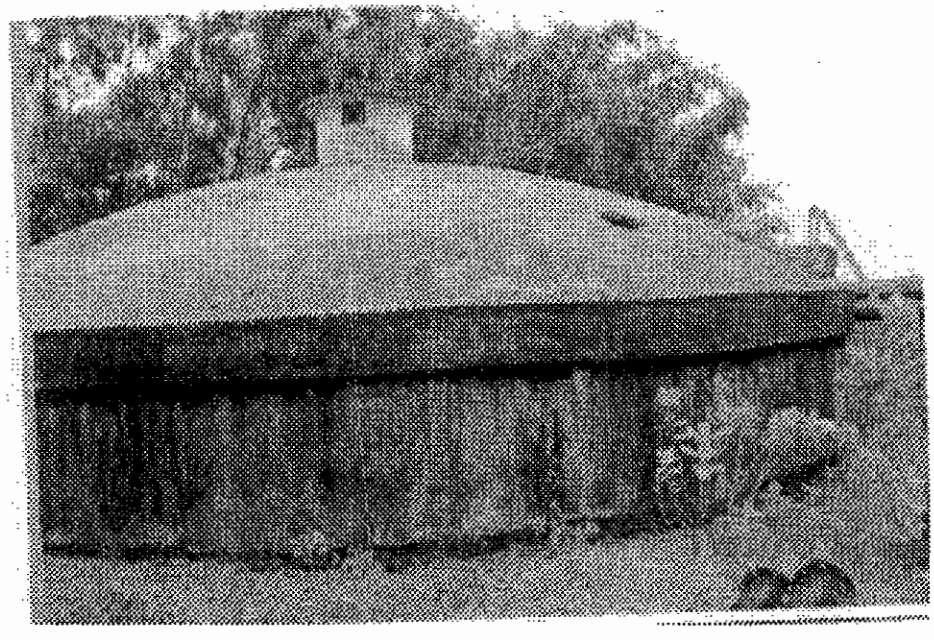

विश्नुपुर आर.पी.डब्ल्यू.एस का भूमिगत टैंक जो वर्ष 2003 से पहले बनाया गया था अभी तक चालू नहीं था।

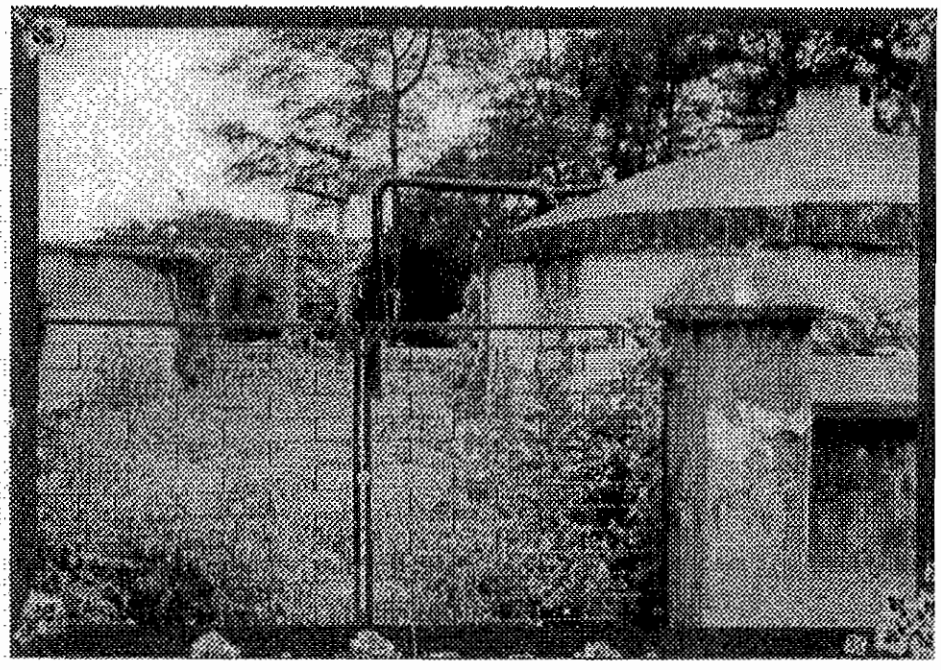

पुरी जिले में विश्वनाथपुर हेतु भूमिगत टैंक जो वर्ष 2003 से पहले बनाया गया था, 2005 में चालू बताया गया, अभी तक चालू नहीं था।

योजना	विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा फील्ड जाँच के दौरान की स्थिति
विष्णुपुर और आसपास के ग्रामों के पी.डब्ल्यू.एस	17 बसावटों की 0.34 लाख जनसंख्या के लिए अनुमानित लागत रू. 2.87 करोड़ से लक्षित लाभार्थ जो तदन्तर 28 बसावटों की 0.47 लाख जनसंख्या हेतु बढ़ा दी गई। मार्च 2005 में रू. 2.97 करोड़ के व्यय के पश्चात् पूरा दिखाया गया।	• दो भूमिगत टैंक चालू नहीं हुये थे, सड़क को चौड़ा करने के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिछाये गये पाइप बड़ी मात्रा में चोरी हो गये थे और चार उत्पादक कूओं में से 2 कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी मोटर जल गई थी और कन्डक्टर चोरी हो गये थे। • 12 गाँवों में 0.19 लाख आबादी के लिए आंशिक आपूर्त्ति की जा रही थी जो लीकेज के कारण बाद में 9 गाँवों की 0.17 लाख आबादी के लिए रह गयी थी। • 17 गाँवों में से 11 गाँवों में पाइप जल नहीं पहुँचा। **उड़ीसा** सरकार ने कहा कि मरम्मत कार्य कर दिया गया अब योजना चालू थी और 17 बसावटों को पाइप जल की आपूर्त्ति की जा रही थी। इसके अतिरिक्त छोड़े गये 11 ग्रामों में पाइप जल की आपूर्त्ति को आने वाले बजट में प्रस्तावित किया जायेगा।

विश्वनाथपुर के आसपास के ग्रामों के पी.डब्ल्यू.एस	14 ग्रामों की 0.35 लाख जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिए रू 4.56 करोड़ की अनुमानित लागत से 12 ग्रामों की 0.20 लाख जनसंख्या के लिए रू 3.10 करोड़ की लागत से संशोधित कर दिया गया जो अक्तूबर 2005 में रू 4.15 करोड़ की लागत से पूर्ण दिखाई गयी।	• जनवरी 2006 में चालू परियोजना केवल 0.10 लाख जनसंख्या को जल उपलब्ध करा रही थी। • दो भूमिगत टैंक चालू नहीं थे, पाइप लाइन के बिछाने का कार्य पूरा नहीं था कुछ पाइप क्षतिग्रस्त हो गये थे। **उड़ीसा** सरकार ने कहा कि 17 गाँवों में से 15 पहले ही आवृत कर लिये गये हैं तथा शेष 2 को वर्ष 2008-09 में पी.डब्ल्यू.एस.एस. द्वारा आवृत किया जायेगा।
बहांगा के पी.डब्ल्यू.एस	5 गाँवों की 0.03 लाख जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिए अनुमानित लागत रू 0.31 करोड़ लागत से जनवरी 2004 में चालू किया गया।	• राष्ट्रीय राजमार्ग को चौडा करने के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण जल आपूर्त्ति तीन गाँवों में 0.01 लाख जनसंख्या के लिए सीमित कर दी गई थी। **उड़ीसा** सरकार ने कहा है कि क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत की जा रही है।
पस्तीकुडी के पी.डब्ल्यू.एस	अनुमानित 0.03 लाख आबादी को लाभान्वित करने के लिए, मार्च 2004 में रू 0.12 करोड़ की लागत से कार्य पूर्ण तथा चालू बताया गया था।	• दो पम्प हाउसों में से एक पम्प हाउस का विद्युतीकरण नहीं हुआ (क्योंकि 3 फेज विद्युत लाइन का प्रावधान नहीं था) तथा 17 स्टेन्ड पोस्टों में से 7 कार्यरत थी। दो उत्पादक कूओं में से एक कूयें का इस्तेमाल नहीं हुआ था। **उड़ीसा** सरकार ने कहा कि अब दोनों पम्प हाउसों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 17 स्टेन्ड पोस्ट कार्यरत थे तथा दोनों उत्पादक कूऐं इस्तेमाल किये जा रहे थे।
अम्बागुढ़ा के पी.डब्ल्यू.एस	10 गाँवों की अनुमानित 0.06 लाख आबादी के लाभार्थ; दिसम्बर 2002 में रू 0.28 करोड़ की लागत से चालू किया गया। इसके अतिरिक्त 2005-06 के दौरान नवीनीकरण हेतु रू 0.16 करोड़ व्यय किये गये।	• 10 गाँवों में से एक गाँव में पी.डब्ल्यू.एस. की पहुँच नहीं हुई, तथा 3 गाँवों में पी.डब्ल्यू.एस मई 2004 से बन्द कर दिये गये थे। जे.ई के अनुसार, अनधिकृत कनेक्शन, पाइपलाइन की चोरी तथा क्षति निकृष्ट निष्पादन के मुख्य कारण थे। **उड़ीसा** सरकार ने बताया कि गाँव कछियाकुनाडी की सड़क कट जाने के कारण जल की आपूर्त्ति नहीं हो सकी थी उसे अब 2007-08 हेतु पी.डब्ल्यू.एस.एस. से बी.जे.-II से जोड़ दिया गया है, जिसका कार्य समाप्ति पर है। तीनों गाँवों

		में जलापूर्त्ति जो 2005 से बाधित थी, को अब 2007-08 के दौरान कुमलीपुट पी.डब्ल्यू.एस.एस के अन्तर्गत ले ली गई थी तथा शीघ्र चालू हो जायेगी।
गराबन्धा के पी.डब्ल्यू.एस	0.03 लाख आबादी के लाभार्थ रू. 0.23 करोड़ की अनुमानित लागत से, तदन्तर स्त्रोत परिवर्त्तित कर दिये गये तथा सरीपल्ली गाँव को भी शामिल कर लिया गया था, मई 2003 में चालू दिखाया गया।	• चालू करने के 2 महीने के अन्दर दो गाँवों में जल आपूर्त्ति (सरीपल्ली एवं अदगांव) बन्द हो गई। कनिष्ठ अभियन्ता के अनुसार इन गाँवों की आपूर्त्ति के लिए दूसरा कूँआ बना दिया गया था। • सरीपल्ली गाँव की 1.5 कि.मी. लम्बी वितरण पाइप लाइन बेकार हो गई। **उड़ीसा** सरकार ने कहा कि एक और उत्पादक कूओं खोदा गया और दोनों गाँवों के लिए पानी की आपूर्त्ति बहाल कर दी गई थी।
बनसिंह और आसपास के गाँवों के पी.डब्ल्यू.एस	3 गाँवों में 0.05 लाख की आबादी के लाभार्थ 0.37 करोड़ की लागत से नवम्बर 2001 में चालू किया गया।	• दो खुले कूओं में से केवल एक स्थापित किया गया। • पानी के अपर्याप्त स्त्रोत होने के कारण पाइप जल केवल एक गाँव में पहुँचा तथा बाद में अनधिकृत कनैक्शनों से भी प्रभावित हुआ। • कार्य स्थल की आपत्तियों के कारण रू. 5.70 लाख की लागत से नियोजित नवीकरण कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका। **उड़ीसा** सरकार ने कहा कि विवाद के कारण खुला कूआँ स्थापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त अनिधिकृत कनैक्शन हटा दिये गये/या फिर नियमित कर दिये गये तथा अब तीनों गाँव पाइप जल प्राप्त कर रहे थे।
रंजा के पी.डब्ल्यू.एस	चार गाँवों में 0.05 लाख की आबादी के लाभार्थ रू. 0.29 करोड़ की लागत से नवम्बर 2003 में चालू किया गया।	• क्षेत्रीय सर्वेक्षण में पाया कि खुले कूओं का स्त्रोत बहुत कम पानी दे रहा था। कम पानी के कारण पम्प 8-घंटे चलने के लक्ष्य से केवल 1-2 घंटे रोजाना चल पा रहे थे। • पाइप जल एक गाँव में उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा था, जबकि दूसरे गॉव में आपूर्त्ति न्यूनतम आवश्यकता से कम थी। **उड़ीसा** सरकार ने बताया कि एक और उत्पादक कूआँ खोदा गया था।
टिटिपा के आसपास	नौ बसावटों की 0.39 लाख	• जिला वी.एम.एस के अनुसार तीन बसावटों को

के गाँव के पी.डब्ल्यू.एस	आबादी के लिए रू 4.64 करोड़ की अनुमानित लागत से कार्य सितम्बर-2004 में रू 4.13 करोड़ की लागत से पूरा हुआ, पम्प हाउस के विद्युतीकरण में विलम्ब होने के कारण, इसे नवम्बर 2006 में ही चालू किया।	जल आपूर्त्ति नहीं की गई क्योंकि सड़क निर्माण के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। उड़ीसा सरकार ने कहा कि खराब पाइप लाइन की मरम्मत की जा रही थी।
लाडू गाँव के पी.डब्ल्यू.एस	0.03 लाख आबादी के लाभार्थ रू 0.18 करोड़ की लागत से मई 2001 में चालू किया गया।	• डिज़ाइन में कमी के कारण गाँव भिर्कीपाड़ा क्षेत्र में पाइप जल नहीं पहुँचा। • ई.ई के अनुसार समस्या के समाधान के लिए पाँच ट्यूबवैल खोदे गये थे। • **उड़ीसा** सरकार ने कहा कि समस्या के समाधान हेतु एक और उत्पादक कुआं खोदा गया था।

- धेनुकनाल एवं गजापति जिलों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि बसावटों की जल समस्यायें एन.सी/पी.सी भारत सरकार को सूचित नहीं की गई थी।

- धेनुकनाल जिले के केन्डूपाडा गाँव के गोन्दीया ब्लॉक के 12 नलकूपों में से, 6 नलकूप 3 साल से अधिक समय से खराब पड़े थे तथा पाँच में गर्मी के दिनों में अपर्याप्त गंदला पानी आ रहा था। **उड़ीसा** सरकार ने बताया कि सभी खराब नलकूप समय पर बदल दिये गये। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि अधिशासी अभियन्ता ने तथ्यों को भौतिक सत्यापन और स्थानीय ग्रामीणों के समक्ष बातचीत के दौरान विभागीय इंजीनियरों के सामने वास्तविकता को स्वीकार किया था।

- गजापति जिले के गोसानी और महादियापुर गांवों में पी.डब्ल्यू.एस.एस तथा ट्यूबवैलों के अकार्यात्मक होने के परिणामस्वरूप ग्रीष्मकाल के दौरान 10 एल.पी.सी.डी सुरक्षित जल उपलब्ध नहीं था। उड़ीसा सरकार ने बताया कि गोसानी और महादियापुर में हैण्ड पम्प तथा ट्यूबवैल कार्य कर रहे थे अतः इन दो गाँवों को एन.सी./पी.सी. श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि ग्रामीणों ने विभागीय इंजीनियरों के सामने सूचित किया था कि योजना के चालू होने के छह महीने के भीतर इसने काम करना बन्द कर दिया था।

- गजापति जिले के गरबन्धा ग्राम पंचायत के मरीगुडी एवं कुयनारा गाँवों में एक मात्र स्वच्छ कूंआ सूख गया जिसके परिणामस्वरूप गर्मी में पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं था। **उड़ीसा** सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया।

- गरवंधा पी.डब्ल्यू.एस.एस. में जल की उपलब्धता नहीं थी तथा एक साल से अधिक समय से नलकूप कार्य नहीं कर रहे थे, इसलिए गजापति जिले के सरिपल्ली गाँव के गोसानी ब्लॉक में पीने के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी।**उड़ीसा** सरकार ने बताया कि गरवंधा का

पी.डब्ल्यू.एस.एस कार्य कर रहा था और इस स्त्रोत से जल की आपूर्त्ति सरिपल्ली गाँव को की जा रही थी। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों तथा सम्बन्धित जे.ई. ने बताया था कि पाइप जल गाँव को उपलब्ध नहीं करवाया गया था तथा 1 साल से अधिक समय से नलकूप कार्यरत नहीं थे।

3.17.2 स्वजलधारा परियोजना का निष्पादन

- वर्ष 2002-06 के दौरान भारत सरकार ने 1471 परियोजनायें रू 51.74 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृत की। इनमें से अप्रैल 2007 को 525 परियोजनायें अपूर्ण थी। डी.डब्ल्यू.एस.एम. को उपलब्ध करवाई गई कुल रू 43.28 करोड़ की निधियों में से रू 24.43 करोड़ इस्तेमाल दिखाये गये थे।

  उड़ीसा सरकार ने कहा कि विलम्ब ग्रामीण समितियों को अप्रोत्साहित होने के कारण था जबकि निधियों के स्वीकृत एवं निर्मुक्त होने में व्याप्त समय लगा।

- परख जाँच जिलों में वर्ष 2002-06 के दौरान 49 परियोजनायें रू 3.23 करोड़ की अनुमानित लागत से आरम्भ की गई थी, अप्रैल 2007 तक अपूर्ण थी तथा इन परियोजनाओं हेतु वी.डब्ल्यू.एस.सी से अग्रिम भुगतान की रू1.21 करोड़ की राशि असमायोजित थी।

  उड़ीसा सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

- वर्ष 2002-05 के दौरान तीन परख जाँच जिलों में रू0.57 करोड़ की लागत से 17 पी.डब्ल्यू.एस.एस पूरे किये गये पम्प हाउसों का विद्युतीकरण न होने तथा विद्युत कन्डेक्टर चोरी होने के कारण चालू नहीं हुये थे।

  उड़ीसा सरकार ने बताया कि 17 पी.डब्ल्यू.एस में से 12 योजनायें चालू हो गयी थी जबकि बची हुई पाँच योजनायें अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण चालू नहीं हुई थी।

- प्रत्यक्ष जाँच में पाया कि चार परियोजनायें जो चालू बताई गई थी, उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ था।

3.18 पंजाब

3.18.1 योजनाओं का पूरा न होना

46 योजनायें जो मार्च 2003 तथा मार्च 2007 के मध्य पूर्ण होनी थी, रू 10.43 करोड़ के व्यय के बावजूद भी मार्च 2007 तक अपूर्ण थी । पूर्ण न होने के कारणों में कार्य स्थल का विवाद तथा कार्य शीर्ष पूरे न होने, सिविल कार्य तथा वितरण प्रणाली शामिल थे।

3.18.2 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- 1 अप्रैल 2003 को 4026 एन.सी. बसावटों में से केवल 1178 एन.सी बसावटों को वर्ष 2003-07 के दौरान आवृत किया गया जिसके विपरीत 2265 पी.सी. बसावटों को गलत प्राथमिकता दी गयी और उसी अवधि के दौरान उन्हें आवृत किया गया।

पंजाब सरकार ने बताया कि अब यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एन.सी. बसावटों को प्रथम प्राथमिकता दी जाये।

- चार डिवीजनों में सात डब्ल्यू एस.एस पर रू 1.62 करोड़ की अनुमानित लागत से रू 0.35 करोड़ अधिक व्यय किये गये।

  पंजाब सरकार ने बताया कि रू 0.35 करोड़ जोकि सात जल आपूर्त्ति योजनाओं पर अधिक खर्च किये गये थे, नियमित कराने की कार्यवाही की जा रही थी।

- 81 बसावटों को पूरा करने के लिए 66 योजनाओं हेतु 15 प्रतिशत सामान का प्रबन्ध करने के लिए रू 1 करोड़ का खर्च दिखाया गया था जो फरवरी 2007 में संस्वीकृत हुआ परन्तु इनमें से कोई भी कार्य निष्पादित नहीं हुआ।

- पंजाब सरकार ने बताया कि रू 1.00 करोड़ पूर्ण अनुमोदित योजनाओं में कार्य निष्पादन में विलम्ब को रोकने के लिए सामग्री के क्रय पर व्यय किये गये थे।

  उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि व्यय सामग्री को कार्य स्थल पर स्थान्तारित तथा निविदायें आमंत्रित किये बिना दिखाया गया था।

3.18.3 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- वर्ष 2004-06 के दौरान रू 3.42 करोड़ की लागत से आरम्भ की गई 50 योजनाओं में से मार्च 2007 तक 19 योजनायें पूर्ण हुई थी तथा 31 योजनायें अपूर्ण थी।

  पंजाब सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा है कि कार्य अगले छह महीनों तक पूरे होने की सम्भावना है।

- वर्ष 2005-06 के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त रू 0.37 करोड़ की निधियों तथा लाभभोगी अंशदान के रू 0.06 करोड़ के बावजूद योजनाओं पर कोई कार्य नहीं हुआ।

3.19 राजस्थान

3.19.1 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- एक डिवीजन द्वारा तकनीकी स्वीकृति में तीन से पांच वर्ष के विलम्ब के अनुमोदन के कारण लागत में रू 0.58 करोड़ की परिहार्य वृद्धि हुई।

  राजस्थान सरकार ने बताया कि तकनीकी स्वीकृति का अनुमोदन एक लम्बी प्रक्रिया हैं। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि योजना जुलाई 1999 में स्वीकृत की गई थी जबकि तकनीकी संस्वीकृति जून 2004 में जारी की गई थी।

- एक डिवीजन द्वारा मान्य अवधि के अन्तर्गत संविदा को अन्तिम रूप न देने के कारण कार्य की लागत में रू 8.03 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई।

  राजस्थान सरकार ने बताया कि संविदा को निर्धारित अवधि में अन्तिम रूप न देने का कारण वांछित भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब था।

- एक आर.डब्ल्यूएस.एस के तकनीकी अनुमोदन में 3 साल के विलम्ब के कारण रू 0.09 करोड़ अतिरिक्त व्यय करने पड़े।

  राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि तकनीकी स्वीकृति एक लम्बी प्रक्रिया है।

3.19.2 जल गुणवत्ता परियोजनाओं का निष्पादन

- रू 1.52 करोड़ व्यय करने के पश्चात् 5 डब्ल्यू.एस.एस से 19 बसावटों की 27049 जनसंख्या को 1.5 पी.पी.एम फ्लोराइड की अधिकता वाला असुरक्षित जल वितरित किया जा रहा था।

  राजस्थान सरकार ने बताया कि "राजस्थान इन्टीग्रेटेड फ्लोराइड मिटीगेशन प्रोग्राम" के अन्तर्गत 23297 गाँवों की समस्या को दूर करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया था।

- 1995-2005 के दौरान रू 191.86 करोड़ की लागत से स्वीकृत चार योजनायें 240 फ्लोराइड प्रभावित गाँवों तथा अजमेर जिले के दो कस्बों को आवृत करने हेतु बनाई गई थी, में से दो योजनायें जिसके अन्तर्गत 87 फ्लोराइड प्रभावित गांव मार्च 2007 तक अपूर्ण थे।

3.19.3 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- रू 126.58 करोड़ की उपलब्ध निधियों में से 2002-07 के दौरान केवल रू 53.06 करोड़ व्यय किये गये थे।

- वर्ष 2002-07 के दौरान स्वीकृत 2466 योजनायों में से 1829 योजनायें आरम्भ की गई, 791 योजनायें पूर्ण हुई और 260 योजनायें उपभोक्ता ग्रुपों को सौंप दी गई।

  राजस्थान सरकार ने बताया कि आरम्भ की गई 1970 योजनाओं में से 824 योजनायें पूर्ण हो गई थी तथा 283 योजनायें उपभोक्ता ग्रुपों को सौंप दी गई थी।

- बीकानेर जिले की दो योजनाओं तथा बाड़मेर जिले की सात योजनाओं की परख जाँच से प्रकट हुआ कि उच्चतर विर्निदेशन के इस्तेमाल के कारण कार्य की लागत में रू 3.31 करोड़ अतिरिक्त व्यय हुये।

  राजस्थान सरकार ने बताया कि डी.डब्ल्यू.एस.सी के निर्णय अनुसार डी.आई पाइपों के प्रावधान के कारण लागत में वृद्धि आई। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि स्वजलधारा परियोजनाओं की नियम-पुस्तिका जो पी.एच.ई.डी तथा यू.एन.आई.सी.ई.एफ. द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है, रेतीले क्षेत्रों में वितरण लाइन हेतु डी.आई पाइपों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देती।

- दौसा में तीन योजनाओं में रू 0.35 करोड़ की अनुमानित लागत तथा हस्तांतरित रू 0.18 करोड़ की राशि में से रू 0.16 करोड़ व्यय किये गये थे। तथापि, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वी.डब्ल्यू.एस.सी. के चैयरमैन की जमीन पर बनाये गये ट्यूबवैल उनके अपने खेतों में सिंचाई हेतु इस्तेमाल किये जा रहे थे।

  राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि निजी जमीन सरकार के नाम पंजीकृत थी तथा अब जल का उपयोग सिंचाई हेतु नहीं हो रहा था।

- बांसबाड़ा जिले में, अक्तूबर 2003 और अप्रैल 2006 के मध्य निजी घरों व फार्मों में 41 हैण्ड पम्प लगाने से रू 0.08 करोड़ का दुरूपयोग हुआ।

  राजस्थान सरकार ने बताया कि निजी जमीन पर हैण्ड पम्प वी.डब्ल्यू.एस.सी के निर्णय अनुसार लगाये गये थे। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि निजी जमीन पर हैण्ड पम्प लगाने की अनुमति नहीं थी।

- छः परख जाँच किये गये जिलों में 26 योजनायें मार्च 2007 तक रू 2.84 करोड़ के व्यय के पश्चात् अपूर्ण थी।

  राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि योजनायें भारत सरकार द्वारा दूसरी किस्त निर्मुक्त न करने व मूल्य बृद्धि के कारण अपूर्ण थी।

3.20 तमिलनाडु

3.20.1 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- वर्ष 2002-05 में 55 एल.पी.सी.डी पेयजल प्रदान करने के लिये योजनायें डिजाइन और निष्पादित की गई उनमें सामूहिक अंशदान के रू 16.05 करोड़ 2005 योजनाओं से एकत्र नहीं किये गये (1851 योजनायें पूरे राज्य के लिए और 154 योजनायें तिरूवन्नामलाई जिले से सम्बन्धित थी)।

3.21 उत्तर प्रदेश

3.21.1 योजनाओं का पूरा न होना

- उत्तर प्रदेश जल निगम (यू.पी.जे.एन) द्वारा 2006-07 के दौरान जल आपूर्त्ति हेतु स्वीकृत तथा पूर्ण विभिन्न प्रकार की योजनाओं की स्थिति निम्न सारणी प्रकट करती है :-

सारणी-5

(रू. करोड़ में)

योजना की श्रेणी	संस्वीकृति		पूर्ण		अपूर्ण	
	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
गुणवत्ता समस्या गाँवों के लिए योजनायें (क्यू.पी.वी)	632	297.71	195	113.59	437	86.28
सामुदायिक भागीदारी योजनायें (सी.पी.)	180	92.40	41	8.70	139	24.89
गहरे खुदे हुये हैण्ड पम्प लगाना	31	8.89	7	1.64	24	0.00

उपरोक्त में से 99 क्यू.पी.वी. योजनायें (व्यय रू 51.46 करोड़) और 26 सी.पी योजनायें (व्यय रू 4.01 करोड़) 2 से 13 वर्षों से निधियों के अभाव में अपूर्ण पड़ी थी। जनवरी 2006 और जनवरी 2007 के मध्य स्वीकृत गहरी खुदाई वाले 31 हैण्ड पम्पों की योजना के संबंध में भारत सरकार ने दो योजनाओं हेतु निधियां जारी की थी पाँच योजनायें यू.पी. जे.एन ने स्वयं निधिबद्ध की थी, तथा शेष 24 योजनायें अपूर्ण थी।

- देवरिया जिले के 10 गाँवों में सुरक्षित पेय जल उपलब्ध करवाने हेतु मार्च 2005 में कुल रू 1.79 करोड़ की लागत से चालू तीन क्यू.पी.वी योजनाओं के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान प्रकट हुआ कि योजनायें कई स्थानों से जल पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, जैसाकि बसावटों द्वारा बताया गया, अकार्यात्मक थी।

- फरवरी 2001 में रू 0.58 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृत एक योजना रू 0.22 करोड़ के व्यय के पश्चात् फरवरी 2003 से रोक दी गई क्योंकि निर्माण सार्वजनिक प्रयोग हेतु भूमि पर किया जा रहा था। यू.पी. जल निगम ने मार्च 2008 में बताया कि जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के हस्तपेक्ष से भूमि का झगड़ा हल किया जा रहा था तथा योजना पर कार्य शीघ्र आरम्भ किया जायेगा।

3.21.2 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामले

- 1977-78 से 2003-04 के दौरान रू 219.62 करोड़ सेन्टेज प्रभारों के रूप में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी को अनियमित प्रभारित किये गये।

3.21.3 जल गुणवत्ता परियोजनाओं का निष्पादन

- उन्नाव जिले में 616 गाँवों में 1994 से 2001 के दौरान आरम्भ की गई 54 योजनाओं में से (6.66 लाख आवृत जनसंख्या-459 फ्लोराइड प्रभावित गाँव तथा 157 समीपस्थ गाँव) मार्च 2007 तक रूपये 31.58 करोड़ व्यय करने के बावजूद 21 योजनाएं अपूर्ण थी। परिणामतः 1.86 लाख लाभार्थियों को सुरक्षित जल नहीं मिल रहा था। शेष 33 योजनायें रू 41.06 करोड़ की लागत से पूर्ण की गई, 8 योजनायें बंद थी, और 23 योजनायें कम वोल्टेज, बिजली लाइन की क्षति/स्थानान्तरण, और बिजली लाइन की चोरी के कारण आंशिक रूप से कार्य कर रही थी। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं पर मार्च 2007 तक बड़ी हुई लागत रूपये 24.65 करोड़ थी जिसे ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी निधियों से अनियमित रूप से प्रभारित किया गया था।

- बागपत जिले में 14 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को 14 पी.डब्ल्यू.एस.एस. सुरक्षित जल मुहैया करवाने के लिए 2002-06 के दौरान रूपये 3.86 करोड़ की लागत से स्वीकृत कार्य समय पर पूरे नही हो पाए थे। इसके बावजूद यू.पी.जे.एन ने इन गाँवों में रूपये 0.33 करोड़ की लागत से 119 और हैण्ड पम्प लगवाए तथा इस प्रकार असुरक्षित पेय जल का वितरण जारी रहा।

- लैड और नाइट्रेट की अधिकता से प्रभावित बरेली जिले के 5 गॉवों के लिए 40 एल.पी.सी.डी आधारित (जिसमें सामुदायिक अंशदान की आवश्यकता नहीं थी) के स्थान पर 70. एल.पी.सी.डी जल की आपूर्त्ति हेतु एक योजना रू 1.17 करोड़ की कुल लागत पर मार्च 2003 में बनाई गई। चूँकि सामुदायिक अंशदान उपलब्ध नहीं हो रहा था अतः योजना बन्द कर दी गई तथा गाँवों में असुरक्षित जल का उपभोग जारी था।

3.21.4 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- एस.डब्ल्यू.एस.एम ने कार्यालय परिसर के नवीकरण पर रू 0.29 करोड़ का अग्राह्य व्यय किया।

- 2002-06 के दौरान अनुमोदित 70 तालाबों, 2037 लघु-पी.डब्ल्यू.एस 98 पी.डब्ल्यू.एस तथा 2984 हैण्ड पम्पों में से 1984 लघु पी.डब्ल्यू.एस, 85 पी.डब्ल्यू.एस. तथा 257 हैण्ड पम्प प्रगति धीमी होने के कारण अधूरे पड़े थे।

- भारत सरकार द्वारा एस.डब्ल्यू.एस.एम को 29 जिलों में सुरक्षित पेय जल उपलब्ध करवाने हेतु रू 26.83 करोड़ की निधियां जारी की थी, डी.डब्ल्यू.एस.सी को इस प्रत्याशा के साथ जारी नहीं किये गये थे कि योजना बन्द की जा रही है।

- चन्दौली, सोनभद्रा और लखनऊ में 2005-06 में 3 डी.डब्ल्यू.एस.सी ने 329 योजनाओं हेतु रू 5.99 करोड़ प्राप्त किये, जो समय पर डी.पी.आर तथा एस.डब्ल्यू.एस.एम द्वारा लागत संबंधी कागजात प्रस्तुत न करने के कारण स्थगित/बन्द कर दी गयी थी।

- डी.डब्ल्यू.एस.सी मिर्जापुर ने 18 वी.डब्ल्यू.एस.सी में 47 लघु पी.डब्ल्यू.एस हेतु रू 1.60 करोड़ प्राप्त किये, इनमें से कोई भी नवम्बर 2007 तक डी.डब्ल्यू.एस.सी द्वारा निधियों के निर्मुक्त न करने तथा कार्यान्वयन हेतु एन.जी.ओ की नियुक्ति न किये जाने के कारण आरम्भ नहीं हो सके।

- सोनभद्रा, वाराणसी तथा बिजनौर जिलों में डी.पी.आर सात वी.डब्ल्यू.एस.सी हेतु पर्याप्त सवमिर्लबल पम्पों एवं क्लोरीनेटर तथा जनरेटर के प्रावधान न होने के कारण त्रुटिपूर्ण थे।

- 49 वी.डब्ल्यू.एस.सी में प्राप्त सामग्री पर आई.एस.आई मार्क नहीं थे तथा 15 वी.डब्ल्यू.एस ने डी.पी.आर में प्रावधान के स्थान पर अधिक क्षमता वाली सामग्री बिना पूर्व अनुमति के प्राप्त की। इसके अतिरिक्त सबमर्सिबल पम्प तथा जनरेटर डी.पी.आर में निर्धारित दर क्रमशः रू 9350 तथा रू 32342 के विपरीत क्रमशः रू 15,568/ के.वी.ए तथा रू 37,500 प्रति एच.पी./के.वी.ए की दरों से खरीदे।

- डी.डब्ल्यू.एस.सी बरेली में, 5 वी.डब्ल्यू.एस.सी ने अप्रैल 2004 से सितम्बर 2007 तक एक एन.जी.ओ. को रू 0.14 करोड़ का भुगतान किया जिसने दो फर्मों की मार्फत सामग्री की आपूर्त्ति की जिनके पास व्यापार कर पंजीकरण नम्बर नहीं था तथा बिलों/बीजकों में उल्लेखित पतों पर विद्यमान नहीं थी। इसी प्रकार की अनियमिततायें उसी एन.जी.ओ ने जिसे मुरादाबाद जिले में परियोजना कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया था, पाई गई। डी.डब्ल्यू.एस.सी. मुरादाबाद द्वारा एन.जी.ओ. को काली-सूची में डालने के अनुरोध पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

- अक्तूबर 2007 में लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्यक्ष जाँच के दौरान बहुत से मामलों में कार्यो की धीमी प्रगति पाई गई :-

  - मुरादाबाद जिले की सरकारा खास वी.डब्ल्यू.एस.सी में ओवर हैड टैंक (ओ.एच.टी) तथा पम्प हाउस पर रू 0.12 करोड़ के भुगतान के पश्चात भी जनरेटर तथा स्टील पाइप उपलब्ध नहीं थे तथा पम्प हाउस का निर्माण नहीं किया गया था; ठेकेदार/एन.जी.ओ. का पता नहीं था। इसी कार्य स्थल का पहले भी में एस.डब्ल्यू.एस.एम की एक टीम ने निरीक्षण किया था जिसने यह सन्देह प्रकट किया था कि आपूर्तिकर्त्ता ने यू.पी.जे.एन द्वारा अस्वीकृत पाइपों की आपूर्त्ति की है अथवा अनुचित साधनों के द्वारा इनकी आपूर्त्ति की व्यवस्था की है।

एस.डब्ल्यू.एस.एम टीम द्वारा एकत्र नमूनों की जाँच नहीं की गई थी क्योंकि पाइप सामान्य से छोटे थे।

- मुरादाबाद जिले की गोदी वी.डब्ल्यू.एस.सी में एक एम.पी.डब्ल्यू.एस. में, सबमर्सिबल के बेधन का कार्य पूरा हो गया था, लेकिन एक आर.सी.सी सड़क के कारण पाइप लाइन नहीं बिछाई गयी थे तथा जल आपूर्त्ति प्रणाली अपूर्ण थी। मुरादाबाद जिले की दलपतपुर वी.डब्ल्यू.एस.सी में 65 के.एल क्षमता की अनुमोदित दो ओ.एच.टी में से केवल 50 के.एल क्षमता वाली एक ओ.एच.वी का निर्माण बिना अनुमोदन के हुआ था।

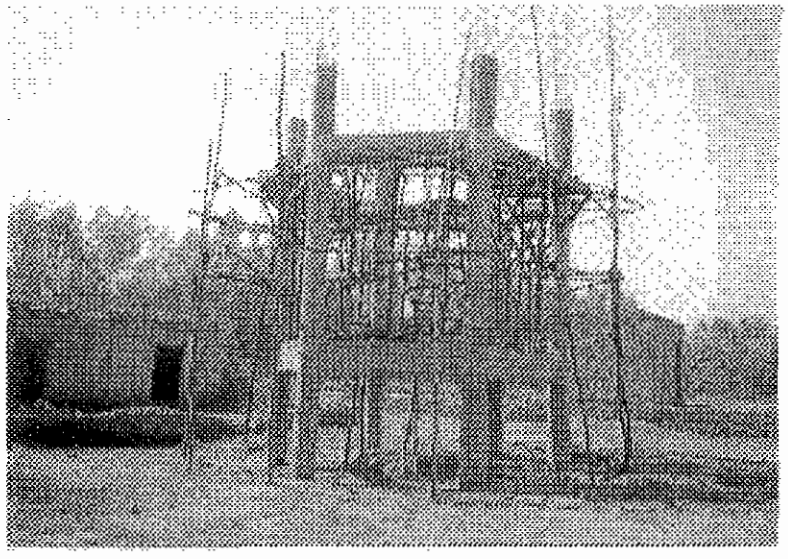

मुरादाबाद जिले की सरकारा खास वी.डब्ल्यू.एस.सी. की अधूरी ओ.एच.टी

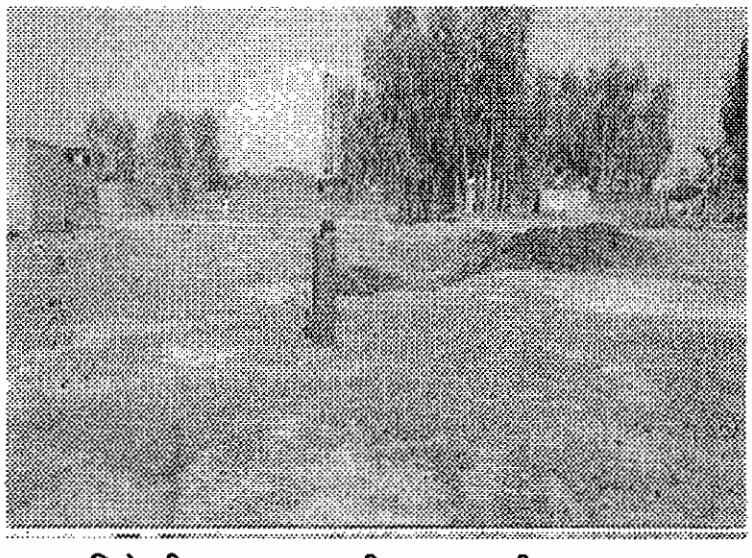

मुरादाबाद जिले की सरकारा खास वी.डब्ल्यू.एस.सी. का अधूरा पम्प हाउस

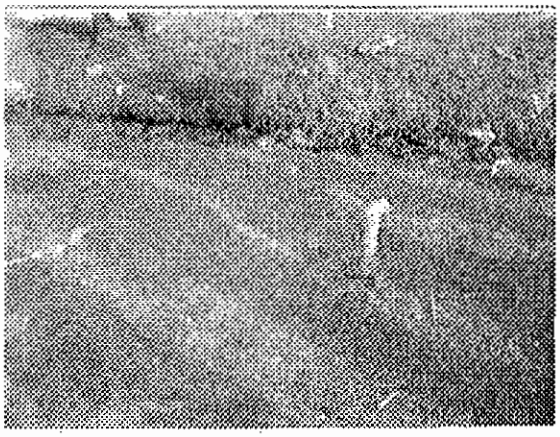

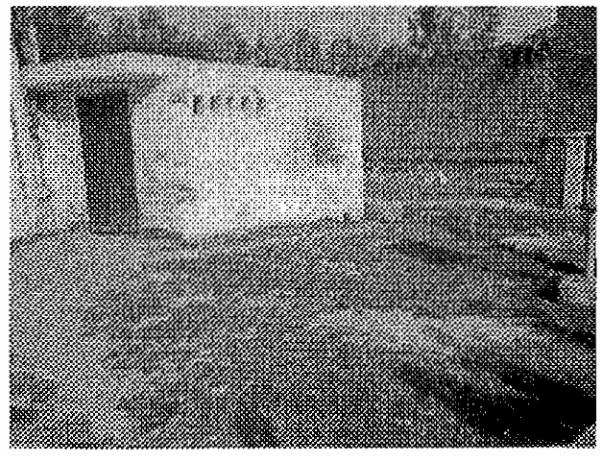

मुरादाबाद जिले के गोदी वी.डब्ल्यू.एस.सी में अधूरे निर्मित ओ.एच.टी तथा पम्प हाउस

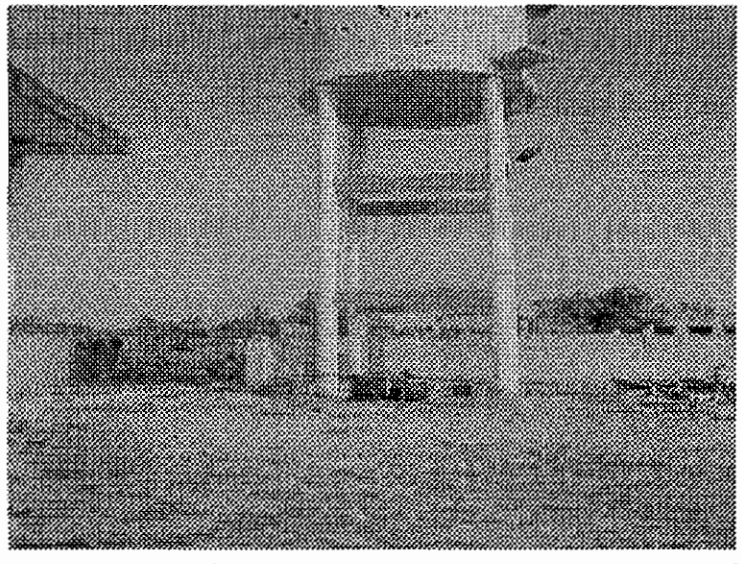

मुरादाबाद जिले के दलपतपुर वी.डब्ल्यू.एस.सी में एकमात्र 50 के.एल/ओ.एच.टी. का दृश्य।

3.22 उत्तराखण्ड

3.22.1 कार्यों का पूरा न होना

- रू 14.39 करोड़ की लागत से स्वीकृत 34 डब्ल्यू.एस.एस में 2002-07 के दौरान रू 6.16 करोड़ के व्यय पश्चात् कार्य स्थगित रहने के कारणों में स्त्रोतों का विवाद, स्त्रोतों का सूखना, विवाद, अनुमोदन न होना तथा प्राकृतिक आपदाएं शामिल थे।
- 2005-07 के दौरान रू 4.69 करोड़ की लागत से स्वीकृत सात योजनायें रू 0.54 करोड़ के व्यय के पश्चात्, भारत सरकार से वन्य भूमि के विपथन हेतु अनुमति प्राप्त न होने के कारण स्थगित कर दी गई थी।

- रू 2.85 करोड़ की अनुमानित लागत से 29 कि.मी. पाइप लाइन का कार्य रू 1.69 करोड़ के व्यय के पश्चात् दिसम्बर 2006 में बन्द कर दिया गया था क्योंकि छावनी बोर्ड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी।

3.22.2 योजनाओं का निष्क्रय होना

- मार्च 2007 तक 2260 अनावृत ग्रामीण स्कूलों को आवृत करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी; भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 2006 में 2006-07 की ए.ए.पी के आधार पर निर्मुक्त रू 7.03 करोड़ की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी।

- लेखापरीक्षा द्वारा पौड़ी और चम्पावत जिलों की आठ योजनाओं की प्रत्यक्ष जाँच से प्रकट हुआ कि दो योजनायें पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी तथा दो योजनायें त्रुटिपूर्ण थी जिसके परिणामस्वरूप 19 एफ.सी बसावटों को पेय जल आपूर्त्ति नहीं हो रही थी। साथ ही चार योजनाओं में पाइप सतह पर डाले गये थे अथवा लटके छोड़ दिये गये थे जो कि सर्देशिका के विपरीत थे जिस कारण लघु भू-स्खलन के कारण दरार आ गई थी, परिणामतः जल आपूर्त्ति में बाधा आई जैसाकि नीचे विवरण में दिया गया है :-

योजना	विवरण	स्थिति
गदपार डब्ल्यू.एस.एस	चार बसावटों को आवृत करने के लिए रू 0.13 करोड़ की लागत से फरवरी 1998 में चालू किया गया।	ग्राम प्रधान के अनुसार, इसके चालू करने के पश्चात् से जल आपूर्त्ति नहीं हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि जल लेने वाले स्त्रोत, स्वच्छ जल का टैंक, (सी.डब्ल्यू.आर), जल आपूर्त्ति टैंक और आपूर्त्ति लाइनें टूटी हुई थी और सी.डब्ल्यू.आर एवं आपूर्त्ति टैंक पत्थरों एवं बेकार के पौधों से भरे हुए थे।
धोर वारसुदी डब्ल्यू.एस.एस	पाँच बसावटों को आवृत करने के लिए रू. 0.20 करोड़ के व्यय से फरवरी 1997 में चालू किया गया।	ग्राम प्रधान के अनुसार, इसके चालू होने के एक सप्ताह के अन्दर पुस्ता (सहायक दीवार) में अन्तराल आ गया था तथा टैंक में दरारें आ गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्त्रोत लेने वाला पाइप, सी.डब्ल्यू.आर, जल आपूर्त्ति टैंक और आपूर्त्ति लाइन टूटी हुई थी और चटके हुये आपूर्त्ति टैंक में पत्थर एवं मिट्टी व बेकार के पौधें भरे हुये थे।
बुंग्गा जावारी डब्ल्यू.एस.एस	चार बसावटों और दो प्राइमरी स्कूलों को आवृत करने के लिए रू 0.65 करोड़ की लागत से दिसम्बर 2006 में चालू किया गया।	ग्राम प्रधान के अनुसार आपूर्त्ति मुख्य पाइप लाइन स्लिपिंग स्टोन्स से वेध्य थी और गदले जल तथा कभी-कभी कीटाणु युक्त जल की आपूर्त्ति की जा रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जल आपूर्त्ति जमीन धसने से वाधित थी।
शक्तिपुर ग्रुप के हमलेट्स डब्ल्यू.एस.एस	14 बसावटों हेतु रू 0.23 करोड़ के व्यय से सितम्बर 2004 में चालू किया गया।	लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ बसावटों में जल आपूर्त्ति नहीं हो रही थी और कुछ जगहों में जल रिसाव की वजह से छः बसावटों में, स्टेन्ड पोस्ट टूटे हुए थे या उखड़ गये थे, तथा पाइप लाइन मानकों के अनुसार नही बिछाई गई थी।

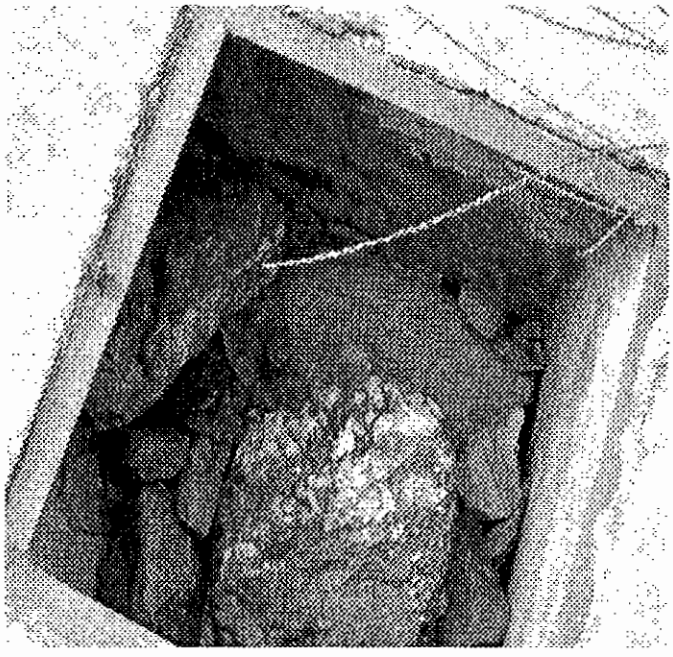

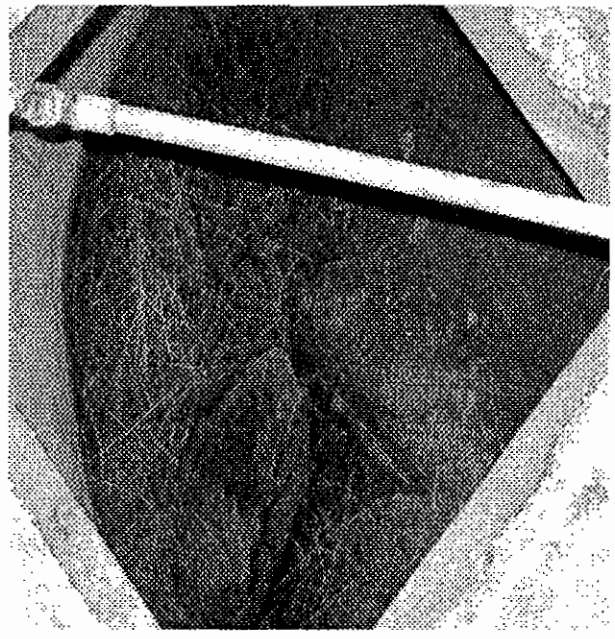

गदपार डब्ल्यू.एस.एस में जल ग्रहण टैंक और आपूर्त्ति टैंक का दृश्य

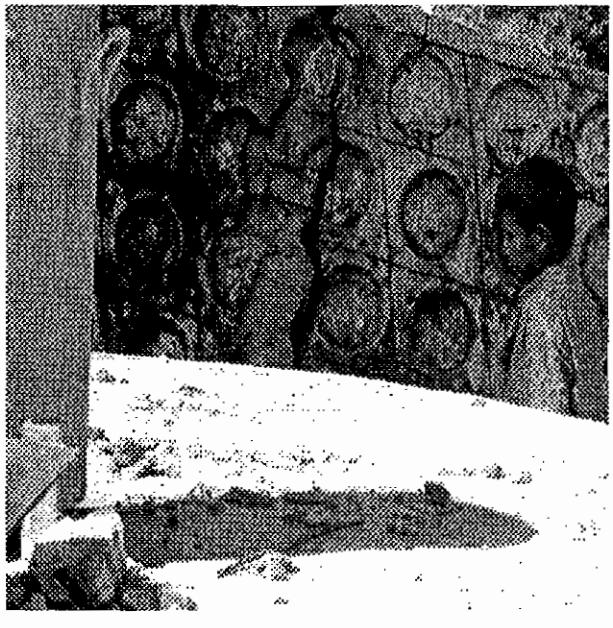

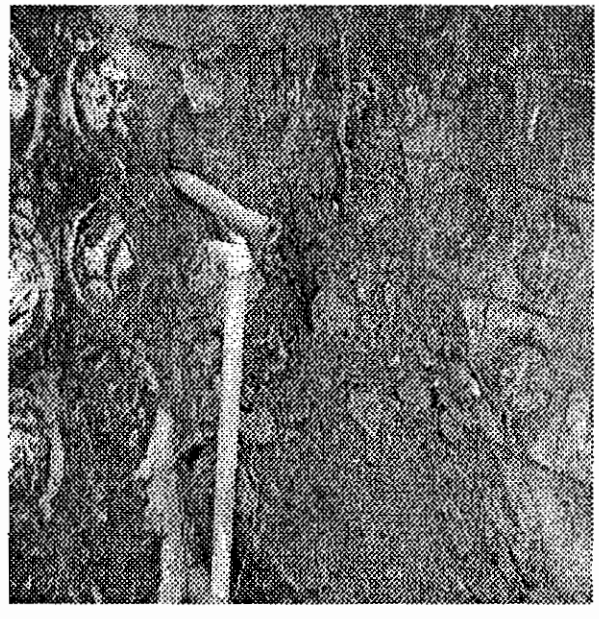

घोर वारसुदी डब्ल्यू.एस.एस में चटके हुये पुश्ते और टूटी हुई जल आपूर्त्ति पाइप लाइन का दृश्य

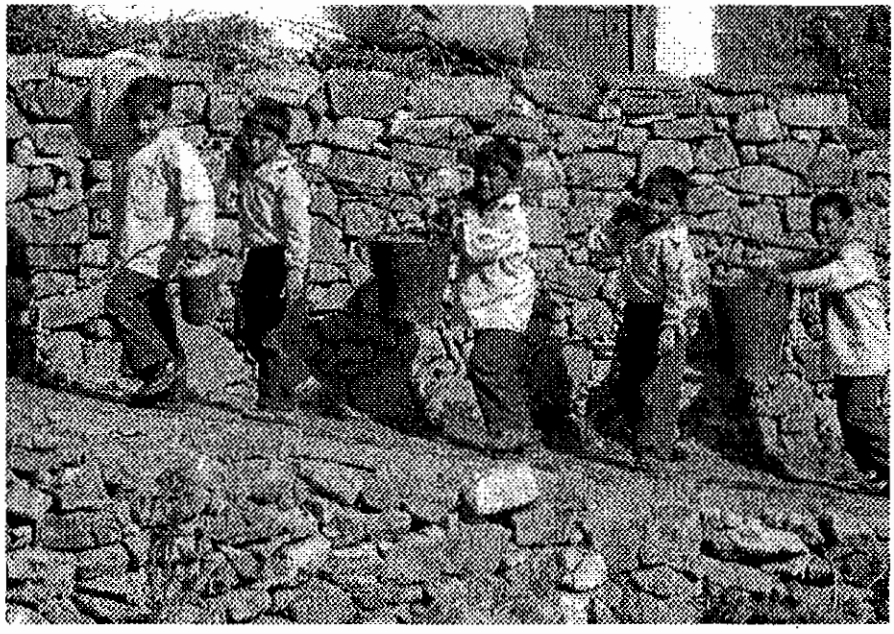

स्कूल के बच्चों द्वारा जल ले जाने का दृश्य

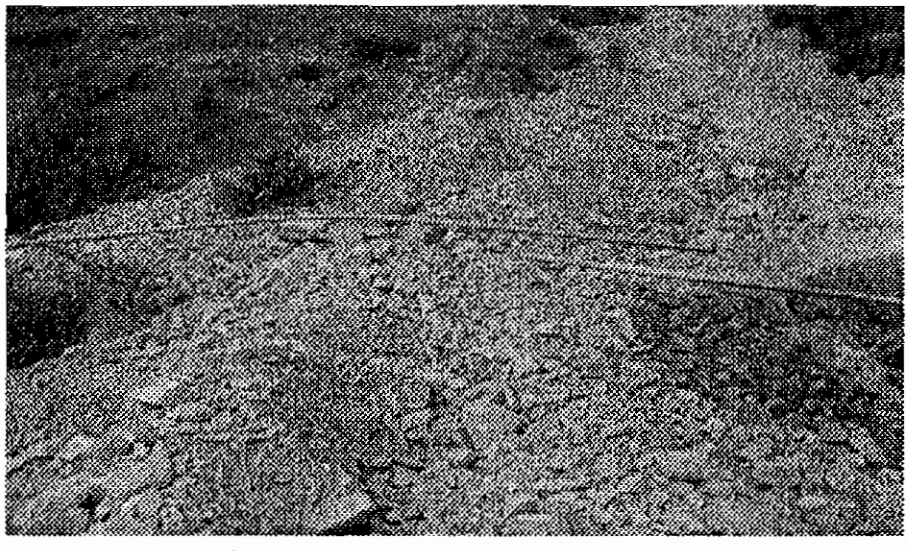

बंगा जवारी डब्ल्यू.एस.एस.में चार बसावटों और दो प्राइमरी स्कूलों की आवृत हेतु टूटी हुई जल ग्रहण पाइप लाइन

3.22.3 अधिक लागत तथा समय

- निगम द्वारा नमूना डिवीजनों में आरम्भ की गई 511 योजनाओं में से 200 विलम्ब से पूरी हुई तथा 65 योजनाओं में मार्च 2007 तक रू 3.99 करोड़ की अधिक लागत आई।

3.22.4 अनाधिकृत, अनियमित अथवा अधिक व्यय के मामलें

- 2002-03 से 2005-06 के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी की रू 43.10 लाख की निधियां अनियमित रूप से स्थापना व्यय में, तथा रू 2.20 करोड़ परियोजना बनाने तथा विस्तृत अनुमानों के पर्यवेक्षण कार्यों हेतु विपथित कर दी गई।
- योजनाओं के उप-शीर्ष संरक्षण कार्य हेतु कुल रू 2.36 करोड़ का प्रावधान सामान की ढुलाई हेतु किया गया था, जबकि योजना हेतु वांछित सभी सामग्रियों और मशीनरी की ढुलाई का व्यय सामग्री की ढुलाई उप-शीर्ष के अन्तर्गत विस्तृत अनुमानों में पहले ही प्रभारित कर लिया गया था।
- उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास आवाम निर्माण निगम (निगम) ने कार्य परिव्यय पर 12.5 प्रतिशत की दर से रू 22.93 करोड़ की राशि सेन्टेज के रूप में वसूली।

3.22.5 जल गुणवत्ता योजनाओं का निष्पादन

- जबकि निगम ने सूचित किया था कि कुछ क्षेत्रों में लाल जल के बहाव के अतिरिक्त जल गुणवत्ता की कोई समस्या नहीं थी, पी.एस.आई की छः जिलों की रिपोर्ट ने तीन जिलों में जल में अधिक मलयुक्त जीवाणुओं की उपस्थित पाई जबकि एक जिले में कोलिफार्म की मात्रा अधिक पाई।
- 2002-07 के दौरान उप-मिशन योजनाओं हेतु रू 22.88 करोड़ की निधियां चालू योजनाओं के निष्पादन और रख-रखाव हेतु विपथित की गई।

3.22.6 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- 2003-06 के दौरान 96 स्वीकृत योजनायें कुल आबंटित राशि रू 11.98 करोड़ में से रू 4.51 करोड़ के व्यय के पश्चात् 40 योजनायें पूरी हुई थी तथा 56 योजनायें अभी तक अपूर्ण थी।
- जी.पी./वी.डब्ल्यू.एस.सी के पास रू 4.84 करोड़, तथा राज्य सरकार के पास रू 2.44 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे।

3.23 पश्चिम बंगाल

3.23.1 कार्यों का पूरा न होना

- 2002-07 के दौरान चार जिलों की परख जाँच में, बिना स्त्रोत के ग्रामीण स्कूलों में 1306 नलकूपों के खोदने के लक्ष्य के विपरीत केवल 814 नलकूप खोदे गये।
- बांकुरा जिले में 2001-02 में रू 1.72 करोड़ की लागत से स्वीकृत सात मौजा को आवृत करने की एक योजना स्त्रोतों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण अगस्त 2007 तक आरम्भ नहीं की जा सकी।
- बांकुरा जिले में फरवरी 2003 में रू 0.86 करोड़ की लागत से 10 मौजा को आवृत करने की एक योजना रू 0.75 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी मार्च 2007 तक पूर्ण नहीं की जा सकी।

3.23.2 अकार्यात्मक कार्य

- उत्तरी 24 परगना जिले में रू 0.09 करोड़ की लागत से खोदे गये दो ट्यूबवैल जल के साथ तेल और गैसीय पदार्थों के आने के कारण निष्क्रिय घोषित कर दिये गये थे।

- 2002 में रू 0.12 करोड़ की लागत से खोदे गये तीन गहरे ट्यूबवैल जो 0.14 लाख आबादी को आर्सेनिक दूषित जल की आपूर्त्ति कर रहे थे। इस जल की आपूर्त्ति के वितरण नेट-वर्क तथा अन्य अनुषंशी कार्यों पर रू 1.89 करोड़ का व्यय भी किया गया था।

- 24 दक्षिण परगना जिले में 2003-04 के दौरान रू 0.98 करोड़ की लागत से पूर्ण एक योजना अपने अभिष्ट उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि दो में से एक ट्यूबवैल में से मिट्टीयुक्त जल प्राप्त हो रहा था जिसे निष्क्रिय घोषित कर दिया गया।

- अप्रैल 2007 तक 46,133 ट्यूबवैलों (22,842 साधारण ट्यूबवैल, 19591 डी.डब्ल्यू.पी ट्यूबवैल तथा 4060 रिंग परिवेधित ट्यूबवैल) में से, कुल ट्यूबवैलों का 13 प्रतिशत, स्पेयरपार्ट की कमी के कारण निष्क्रिय पड़े थे, जबकि 21034 ट्यूबवैल (11941 साधारण ट्यूबवैल, 8336 डी.डब्ल्यू.पी. ट्यूबवैल तथा 757 ट्यूबवैल) में से कुल ट्यूबवैल का 6 प्रतिशत-भूजल के अधिक दोहन के कारण जल तालिका के नीचे जले जाने के कारण निष्क्रिय थे।

- परख जांच इकाइयों में 1.07 लाख ट्यूबवैलों मे से 0.13 लाख ट्यूबवैल स्पेयरपार्ट की कमी के कारण निष्क्रिय थे, जबकि 0.06 लाख ट्यूबवैल जल तालिका के नीचे होने के कारण निष्क्रिय थे।

3.23.3 अनाधिकृत, अनियमित तथा अधिक व्यय के मामले

- बांकुरा तथा अलीपोर डिवीजनों में रू 1.29 करोड़ शहरी क्षेत्रों में जल उपलब्ध करवाने हेतु विपथित किये गये थे, यद्यपि यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल, जल स्त्रोतों के सृजन तथा कम जल स्त्रोत वाले स्कूलों में आपूर्त्ति हेतु थी।

3.23.4 स्वजलधारा परियोजनाओं का निष्पादन

- 2002-07 के दौरान आरम्भ की गई 553 स्वीकृत योजनाओं में से केवल 22 योजनायें पूर्ण हुई बताई गई थी। चालू न करने के कारणों में से एक कारण ऊर्जा प्रदान करने में विलम्ब था। दो परख जाँच जिलों में लक्षित 13487 जनसंख्या (10 योजनायें) में से जल आपूर्त्ति का लाभ योजनायों के ऊर्जाकरण न होने तथा विलम्ब से पूर्ण होने के कारण केवल 2073 (एक योजना) जनसंख्या को ही हुआ।

- पाँच जिलों में 157 योजनाओं हेतु भारत सरकार से 2003-07 के दौरान प्राप्त रू 9.50 करोड़ में से, जेड.पी ने रू 3.78 करोड़ अपने पास रखते हुये वी.डब्ल्यू.एस.सी को 95 योजनाओं हेतु रू 5.83 करोड़ की राशि निर्मुक्त की। निर्मुक्त किये गये रू 5.83 करोड़ में से वी.डब्ल्यू.एस.सी से रू 2.58 करोड़ के यू.सी अभी तक प्राप्त नहीं हुये थे।

- 25 परख जाँच की गई वी.डब्ल्यू.एस.सी में से 15 के लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त कोई भी वी.डब्ल्यू.एस.सी पंजीकृत नहीं थे।
- पश्चिम मेदिनीपुर जिले में छः में से चार परख जाँच की गई योजनाओं के विद्युतीकरण न होने के कारण ये अगस्त 2007 तक चालू नहीं की जा सकी थी।

नई दिल्ली
दिनांकः-

(के.आर.श्रीराम)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः-

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

राज्यानुसार नमूना चयन विवरण
(ए आर डब्ल्यू एस पी)

	राज्य का नाम	चयनित जिलों का नाम	चयनित मंडल/ ब्लॉक/ईकाइयों के नाम	चयनित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदन का वर्ष	परियोजना का स्थान (खण्ड, गांव और बसावट)	चयनित परियोजनाओं की लागत (करोड़ रुपयो में)	व्ययित राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	काकीनाडा	10			0.77	
			राजामुन्दरी	10			0.60	
		कृष्णा	विजयवाड़ा	10			1.17	
			गुडीवाड़ा	11			1.46	
		नालगोण्डा	नालगोण्डा मण्डल I	10			0.66	
			नालगोण्डा मण्डल II	10			0.70	
		करीमनगर	करीमनगर	10			1.15	
			मन्थानी	10			0.50	
		वारंगल	वारंगल	11			0.45	
			हनमकोण्डा	12			0.66	
		श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम	10			1.55	
			पालसा	11			1.49	

2.	अरुणाचल प्रदेश	पापमपरे	यूपिआ	11			2.20	1.94
		निचला सुबन सीरी	जीरो	11			1.91	1.90
		पश्चिमी सियांग	अलोंग	14			0.96	0.97
		पूर्वी सियांग	पासीघाट	11			1.59	1.60
		चेंगलैंग	चैंगलैंग	14			3.55	3.59
		पश्चिमी कामेंग	बोमडिला	11			5.38	5.39
3.	असम	बारपेटा	बारपेटा पी एच ई मण्डल	3			0.79	0.79
		बोगईगांव	बोगईगांव पी एच ई मण्डल	2			0.36	0.41
		कचार	सिलचर पी एच ई मण्डल I	2			0.20	0.43
			सिलचर पी एच ई मण्डल II	3			0.44	0.96
		एन सी हिल्स	हैफलोंग पी एच ई मण्डल	2			0.19	0.06
			माइबोंग पी एच ई मण्डल	2			0.06	0.04
		सोनितपुर	तेजपूर पी एच ई मण्डल I	2			0.14	0.14

			तेजपूर पी एच ई मण्डल II	2			0.17	0.24
		गोलपाड़ा	गोलपाड़ा पी एच ई मण्डल	1			0.27	0.27
4.	बिहार	पटना (पूर्व)		7			4.21	2.49
		समस्तीपुर		11			10.84	6.26
		मोतिहारी		7			6.70	4.96
		सासाराम		8			7.78	7.66
		आरा		5			4.03	3.80
		भागलपुर		4			2.84	2.06
		मुजफ्फरपुर		5			3.34	1.54
		शेखपुरा		3			0.78	0.60
		बिहारशरीफ		6			4.27	2.11
5	छत्तीसगढ़	रायपुर		10			2.77	2.32
		जगदलपुर		20			3.08	3.07
		कोरबा		14			2.87	3.41
		अम्बिकापुर		-			4.78	2.34
6	गुजरात	बासकांठा	दांता	1			13.79	
			पालनपुर	1			1.52	

		जूनागढ़	जूनागढ़	1			35.72	
			मानवदार	1			18.94	
		कच्छ	माण्डवी	1			12.49	
			माण्डवी	1			1.81	
		पंचमहल	लूनावाडा	1			10.24	
			संतरामपुर कादना	1			7.39	
		साबरकांठा	इदार	1			2.88	
			प्रान्तिज	1			2.24	
		वलसाड	पारदी	1			2.29	
			वलसाड़	1			2.02	
7.	हरियाणा	सिरसा	सिरसा- II	10			3.17	3.08
			सिरसा- I	10			5.10	3.49
		जींद	जींद	10			3.42	3.13
		फतेहाबाद	फतेहाबाद	11			4.94	4.76
		सोनीपत	गोहाना	11			9.15	5.54
			सोनीपत	10			3.32	1.85
		कैथल	कैथल	10			2.78	2.41
8.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	बिलासपुर	10			3.91	
			धूमरविन	10			6.16	

		सिरमौर	नाहन	10			2.21	
			पोण्टासाहिब	1			0.39	
		शिमला	रामपुर	7			0.83	
			शिमला- I	10			5.52	
9.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	अखनूर	10			7.67	अधिकतम परियोजनायें अनुमोदित नहीं हुई।
			साम्बा	10			8.89	
		राजौरी	राजौरी	10			6.08	
			नौशेरा	10			7.08	
		बारामूला	बारामूला	10			7.85	
			सोपोर	10			7.33	
		पुलवामा	शोपियां	10			18.55	
			अवन्तीपुरा	10			8.57	
10.	झारखण्ड	गोड्डा	गोड्डा	10			7.62	6.50
		बोकारो	तेनुघाट	10			2.33	1.80
		धनबाद	धनबाद	10			3.92	3.34
		रांची	रांची पश्चिम	10			3.44	3.20
			खूंटी	10			3.19	2.98
		गड़वा	गड़वा	9			3.90	2.28
		पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	10			4.96	3.51

11.	कर्नाटक	बेलगांव	बेलगांव	4			0.21	
			बेलहोंगल	2			0.01	
		गुलबर्गा	गुलबर्गा	5			0.33	
			आलन्द	5			0.25	
			सुरपुरा	2			0.10	
			यादगीर	1			1.98	
		बंगलोर-ग्रामीण	कनकपुरा	5			0.28	
			दूधाबालापुर	6			0.41	
		कोलार	चिकबालापुर	3			0.07	
			चिन्तामणि	3			0.07	
			कोलार	5			0.26	
		कोप्पल	कोप्पल	15			73.24	
			गंगावथी	5			0.28	
		बेल्लारी	बेल्लारी	5			0.21	
			सिरूगुप्पा	5			0.13	
		शिमोगो	शिमोगा	5			0.29	
			सागर	5			0.30	
12.	केरल	एर्नाकुलम	मुवट्टूपुषा	5			12.95	11.92
			पीरवम	6			22.39	5.87

		कोट्टायम	कोट्टायम	9			8.73	12.76
		तिरुवनन्तपुरम	नयाटींकरा	10			25.06	8.31
			आटटींगल	10			29.24	19.73
		त्रिसूर	इरींजलाक्कुडा	9			23.09	9.03
			त्रिसूर	7			26.31	19.89
13.	मध्य प्रदेश	राजगढ़	राजगढ़	10			1.41	
			खिलचीपुर					
			सारंगपुर					
		जबलपुर	जबलपुर	10			1.06	
			पाटन					
			पानगर					
			शाहपुरा					
			सिहोरा					
		रायसेन	ओबेदुल्लागंज	10			0.95	
			बेगमगंज					
			उदयपुरा					
		खरगोन	खरगोन	10			1.38	
			कसरावाड					
			भिकनगांव					
			बरवाहा					

			महेश्वर					
		शहडोल	सोहागपुर	10			1.78	
			गोहपारू					
			बुधार					
			ब्योहारी					
		सिओनी	केओलारी	2			0.32	
			बारघाट					
		छिंदवाड़ा	परसिया	10			0.58	
			पंधूरना					
			छिंदवाड़ा					
			जमाई					
		सागर	सागर	10			3.10	
			खुरई					
			राहतगढ़					
		कटनी	मुदवाडा	10			1.05	
			रिथी					
			विजयराघोगढ़					
		भोपाल	फंदा	8			शून्य	
			बेरसिया					
14.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	जेड पी अहमदनगर	10			3.54	

			एम जे पी अहमदनगर	10			149.12	
		अमरावती	जेड पी अमरावती	10			2.32	
			एम जे पी अमरावती	10			10.01	
		गोंदिया	जेड पी गोंदिया	10			0.08	
			एम जे पी गोंदिया	10			86.11	
		जलना	जेड पी जलना	10			1.88	
			एम जे पी जलना	10			11.75	
		नान्दरबार	जेड पी नान्दरबार	10			1.08	
			एम जे पी धुले	6			9.98	
		रायगढ	जेड पी रायगढ	10			2.52	
			एम जे पी पनवेल	10			20.51	
		सतारा	जेड पी सतारा	10			1.89	
			एम जे पी सतारा	10			21.76	
		थाणे	जेड पी थाणे	10			3.22	
			एम जे पी थाणे	9			32.39	
15. मणिपुर		उखरूल	उखरूल पी एच ई मंडल	10			0..57	48.42
		इम्फाल पूर्व	इम्फाल पूर्व पी एच ई मंडल	10			1.90	355.49
		बिशनुपुर	बिशनुपुर पी एच ई मंडल	10			1.46	128.63

16. मेघालय		पूर्वी खासी पहाड़ियां (राजधानी)	पी एच ई जांच मंडल	10			4.38	3.71
			पी एच ई, पहाड़ी मंडल	7			1.78	1.78
		पूर्वी खासी पहाड़ियां	पी एच ई, इलेक्ट्रीकल मावफलांग मंडल	10			14.36	14.36
		पश्चिमी खासी पहाड़ियां	पी एच ई, नोंगस्टोयन मंडल	10			5.35	5.35
			माकिरवाट मंडल	10			3.76	3.82
		पश्चिमी गारो पहाड़ियां	पी एच ई, तूरा मंडल	9			3.77	3.77
			पी एच ई, तूरा उत्तरी मंडल	9			2.40	2.40
		पूर्वी गारो पहाड़ियां	पी एच ई, रेसुबेलपारा मंडल, विलियम नगर	5			3.32	4.24
			पी एच ई, सिमसांगिरी मंडल, विलियमनगर	5			1.94	1.44
17. नागालैंड		दीमापुर	स्टोर मंडल	2			0.69	
			स्वच्छता मंडल	3			1.33	

		पैरेन	पैरेन	1			0.58	
		कोहिमा	कोहिमा	4			1.30	
18.	उड़ीसा	बालासोर	आर डब्ल्यू एस एस मंडल, बालासोर	10			5.76	
		रायगढ़	रायगढ	10			1.19	
		गजपति	गजपति	6			1.24	
		कालाहांडी	कालाहांडी	9			1.55	
		कोरापुट	कोरापुट	10			1.19	
		पुरी	पुरी	8			10.90	
		ढेंकनाल	ढेंकनाल	10			2.74	
		सम्बलपुर	सम्बलपुर	10			1.83	
19.	पंजाब	रोपड़	रोपड़	9			3.01	1.61
			मोहाली	10			2.11	1.42
		पटियाला	पटियाला	10			2.74	1.80
			राजपुरा	10			1.86	1.81
		लुधियाना	लुधियाना	5			0.49	0.41
		नवांशहर	नवांशहर	10			1.78	1.12
20.	राजस्थान	अजमेर	ब्यावर	10			0.16	
			बीसलपुर परियोजना	8			108.05	

			मंडल- II, अजमेर					
			बीसलपुर परियोजना मंडल- III, भिनय	10			6.76	
		बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	10			0.23	
		बाड़मेर	उत्तरी मंडल, बाड़मेर	10			5.85	
			आर आई जी ई पी मंडल, बाड़मेर	10			2.00	
		बीकानेर	जिला मंडल- I, बीकानेर	10			21.66	
			जिला मंडल- II, बीकानेर	10			6.58	
		दौसा	दौसा मंडल	10			4.03	
		राजसमन्द	बघेरी का नाका परियोजना मंडल, नाथद्वारा	7			92.73	
			राजसमन्द	10			7.48	
		सीकर	नीम का थाना, मंडल	10			0.37	
			सीकर मंडल	10			0.80	
		श्रीगंगानगर	अनूपगढ़	10			3.28	
			जिला मंडल, श्रीगंगानगर	10			2.49	
			सूरतगढ़	10			5.78	

21.	सिक्किम	पूर्वी जिला	गंगटोक	10			0.38	
			रोंगली	10			0.63	
		दक्षिणी जिला	जोरथांग	10			0.63	
			नामची	10			0.66	
22.	तमिलनाडू	नीलगिरीज	उदगमोडलम	9			0.55	10.20
		कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	4			0.19	9.83
		इरोड	इरोड	10			0.38	22.69
		करूर	करूर	10			0.48	13.79
		तंजावूर	तंजावूर	10			0.58	14.71
		विल्लुपुरम	विल्लुपुरम	10			0.75	29.41
		तिरूवन्नामलाई	तिरूवन्नामलाई	10			0.45	16.45
		वेल्लूर	वेल्लूर	10			0.32	18.01
23.	त्रिपूरा	दक्षिणी त्रिपुरा	पी एच ई- VII	10			1.40	
			पी एच ई- III	10			1.70	
		पश्चिमी त्रिपुरा	पी एच ई- VI	10			1.34	
			पी एच ई- IV	10			1.16	
24.	उत्तरप्रदेश	लखनऊ	निर्माण मंडल- II	5			0.02	

		रायबरेली	निर्माण मंडल- I	5			0.02	
			निर्माण मंडल- II	5			0.02	
		आगरा	शून्य	शून्य				
		हरदोई	निर्माण मंडल- I	5			0.03	
		सोनभद्र	यूनीसेफ मंडल	3			0.03	
		संत रविदास नगर	निर्माण मंडल- I	5			0.02	
		मेरठ	निर्माण मंडल- I	5			1.08	
		मुरादाबाद	निर्माण मंडल- I	5			0.03	
		देवरिया	निर्माण मंडल- I	1			0.01	
		इलाहाबाद	निर्माण मंडल	2			0.37	
			निर्माण मंडल- VI	2			0.71	
		उन्नाव	निर्माण मंडल- II	5			3.74	
			निर्माण इकाई	शून्य				
		बाराबंकी	निर्माण मंडल	5			0.02	
		गोण्डा	निर्माण मंडल	5			0.42	
		इटावा	निर्माण मंडल	2			0.70	
		बरेली	निर्माण मंडल- VI	5			0.04	
		कुशीनगर	निर्माण मंडल	5			0.57	
		बागपत	निर्माण मंडल	5			0.87	
25.	उत्तराखण्ड	**पौड़ी गढ़वाल**	**श्रीनगर शाखा**	**27**			**801.78**	
			पौड़ी शाखा	16			411.52	

		चमोली	गोपेश्वर शाखा	22			729.68	
		टिहरी	घंसाली शाखा	44			1501.63	
			चम्बा	10			258.52	
		चम्पावत	चम्पावत	10			187.96	
		देहरादून	पुरोरी	10			534.22	
			देहरादून	24			1511.15	
26.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण-24-परगना	गोसाबा	1			1.94	1.94
			मथुरापुर - I	2			1.14	1.13
			मथुरापुर - II	1			0.87	1.00
			पत्थरप्रतिमा	2			2.47	1.94
			फालटा	1			0.98	0.98
			काकद्वीप	2			2.38	2.23
			कुल्पी	1			1.13	1.10
		बाकुरा	खटरा - II	1			1.72	0.49
			सारंगा	1			1.06	0.53
			तलदांगरा	1			0.72	1.13
			सोनामुखी	1			0.35	0.56
			साल्तोरा	1			1.35	2.27
			ओण्डा	1			1.44	3.01
			सिमलीपल	1			0.90	1.21

			गंगाजलघाटी	1			2.52	2.51
			रायपुर - I	1			0.86	0.75
			बांकुरा - II				0.77	0.77
		उत्तर 24 परगना	सन्देशखली - I	1			1.86	1.84
			बसीरहाट - II	2			1.70	1.73
			बोगाव	1			0.88	1.32
			बगदा	1			0.53	0.81
			बसीरहाट - I	1			0.76	1.29
			देवगंगा	1			3.34	3.34
			गायघाट	3			4.99	5.42
		पश्चिम मेदिनीपुर	गोबीपल्लवपुर - II	1			0.56	0.56
			बिनपुर - I	2			1.39	1.37
			घटल	1			0.64	0.64
			खड़गपुर - II	1			0.77	0.77
			पिंगला	1			0.89	0.89
			संक्रैल	1			0.60	0.69
			नयाग्राम	2			1.19	0.94
			गारबेटा - III	1			1.13	1.13
		माल्दा	इंगलिश बाजार	1			6.91	3.89
			चंचल - II	1			1.28	1.28
			हरीशचन्द्रपुर - II	2			1.54	1.54

			गजोल	1			0.99	0.99
			रतुआ- I	2			23.39	1.47
			हरीशचन्द्रपुर - I	1			0.98	1.00
			माणिकचक	1			3.79	1.01

परिशिष्टः ए (II)
(पैरा 1.5.3)

राज्यानुसार नमूना चयन दर्शाता विवरण
(स्वजलधारा)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जिले का नाम	चयनित परियोजना का नाम	चयनित परियोजना की लागत्मे (रुपये करोड़ में)	व्ययित राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	वी डब्ल्यू एस सी की 11 पी डब्ल्यू एस परियोजना	1.29	
		कृष्णा	वी डब्ल्यू एस सी की 10 पी डब्ल्यू एस परियोजना	1.41	
		नालगोण्डा	वी डब्ल्यू एस सी की 10 पी डब्ल्यू एस परियोजना	1.77	
		करीमनगर	वी डब्ल्यू एस सी की 14 पी डब्ल्यू एस परियोजना	1.31	
		वारंगल	वी डब्ल्यू एस सी की 11 स्वजलधारा परियोजना	0.54	
		श्रीकाकुलम	वी डब्ल्यू एस सी की 11 स्वजलधारा परियोजना	1.32	
2	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग	2	0.09	
		पपूमपरे	3	0.15	
		पश्चिमी सियांग	4	0.32	
		चैंगलैंग	2	0.21	
		पश्चिमी कामेंग	1	0.13	

		निचला सुबनसीरी	1	0.13	
3	असम	बारपेटा	2 परियोजनाएं	0.47	0.030
		बोंगई गांव	2 परियोजनाएं	0.50	0.014
		कचार	4 परियोजनाएं	0.80	0.038
		गोलपाड़ा	2 परियोजनाएं	0.11	0.004
4	बिहार	हाजीपुर	2 पी डब्ल्यू एस	0.56	
			349 हैंडपम्प	3.44	
		बिहारशरीफ	4 पी डब्लू एस	0.90	
			2 हैंडपम्प	0.74	
		शेखपुरा	3 पी डब्ल्यू एस	0.81	
			3 हैंडपम्प	0.59	
		मुजफ्फरपुर	1 पी डब्ल्यू एस	1.74	
		भागलपुर	शून्य	शून्य	
		आरा	10 पी डब्ल्यू एस	4.41	
		सासाराम	9 पी डब्ल्यू एस	0.90	
			1 हैंडपम्प	0.08	
		मोतीहारी	5 पी डब्ल्यू एस	2.00	
		समस्तीपुर	शून्य	शून्य	
		पटना	3 पी डब्ल्यू एस	0.94	
			3 हैंडपम्प	0.44	

5	छत्तीसगढ़	रायपुर	19	0.48	
		जगदलपूर	20	0.24	
		कोरबा	28	1.22	
		अम्बिकापुर	18	0.05	
6	गुजरात	बांसकान्ठा	2 जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.45	
		जूनागढ़	2 जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.25	
		साबरकांठा	3 जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.11	
		बलसाड़	3 जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.34	
7	हरियाणा	कैथल	10	0.82	
		सोनीपत	10	0.78	
8	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	10	0.35	
		सोलन	8	0.42	
		नाहन	8	0.95	
9	जम्मू एंव कश्मीर	जम्मू	5 जल आपूर्ति परियोजनाएं	2.65	
		राजोरी	12 जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.95	
		बारामूला	8 जल आपूर्ति परियोजनाएं	1.46	
		पुलवामा	12 जल आपूर्ति परियोजनाएं	1.78	

10	झारखण्ड	पूर्वी सिंहभूम	10 पी डब्ल्यू एस एस	1.42	1.02
		धनबाद	2 पी डब्ल्यू एस एस	0.07	0.02
		गोड्डा	5 पी डब्ल्यू एस एस	0.47	0.29
		गड़वा	2 पी डब्ल्यू एस एस	0.13	0.11
		रांची	7 पी डब्ल्यू एस एस	0.40	0.18
		बोकारो	2 पी डब्ल्यू एस एस	0.14	0.10
11	कर्नाटक	बंगलोर - ग्रामीण	10	0.52	
		बेलगाव	10	0.79	
		बेल्लारी	11	8.10	
		गुलबर्गा	13	0.53	
		कोलार	11	0.99	
		कोप्पल	5	0.28	
		शिमोगा	10	0.20	
12	केरल	तिरूवनन्तपुरम	10 जल आपूर्ति परियोजनाएं	1.83	
		कोट्टायम	10 जल आपूर्ति परियोजनाएं	1.45	
		एर्नाकुलम	8 जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.98	
		थ्रिसूर	13 जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.84	
13	मध्य प्रदेश	राजगढ	10 परियोजनाएं	0.07	

		जबलपुर	10 परियोजनाएं	0.53	
		रायसेन	10 परियोजनाएं	0.79	
		खरगोन	10 परियोजनाएं	0.20	
		शहडोल	5 परियोजनाएं	0.09	
		सिओनी	10 परियोजनाएं	0.18	
		छिंदवाड़ा	10 परियोजनाएं	0.37	
		सागर	10 परियोजनाएं	0.31	
		कटनी	5 परियोजनाएं	0.42	
		भोपाल	5 परियोजनाएं	0.03	
14	महाराष्ट्र	अहमदनगर	10	0.97	
		अमरावती	10	2.75	
		गोंडिया	10	0.94	
		जालना	10	1.50	
		नान्दरबार	10	0.90	
		रायगढ	10	2.38	
		सतारा	10	1.35	
		थाणे	10	1.28	
15	मणिपुर	राज्य में स्वजलधारा लागू नहीं हुई			
16	मेघालय	रिभोई	क्षेत्र सुधार पाइलट योजना	9.75	

17	नागालैंड	दीमापुर	5 परियोजनाएं	0.43	
		कोहिमा	1 परियोजना	0.11	
		पेरेन	1 परियोजना	0.11	
18	उड़ीसा	पुरी	5 पाईप जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.004	
		सम्बलपुर	8 पाईप जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.006	
		कोरापुट	5 पाईप जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.003	
		गजपति	5 पाईप जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.003	
		ढेंकनाल	8 पाईप जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.008	
		कालाहांडी	7 पाईप जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.005	
		बालासोर	4 पाईप जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.003	
		रायगढ़	6 पाईप जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.002	
19	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	3 जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.63	0.38 करोड़
		पटियाला	2 जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.50	0.30
		रोपड़	4 जल आपूर्ति परियोजनाएं	0.85	0.58
20	राजस्थान	बांसवाड़ा	10	0.24	
		बाड़मेर	10	7.97	
		बीकानेर	2	1.68	
		दौसा	6	0.69	

		राजसमन्द	10	1.29	
		सीकर	10	1.58	
		श्रीगंगानगर	6	1.01	
21	सिक्किम	राज्य में स्वजलधारा लागू नहीं हुई।			
22	तमिलनाडू	कोयम्बटूर	6	0.27	3.36 करोड़
		इरोड	8	0.35	3.63
		नामक्कल	8	0.17	0.80
		सलेम	8	0.21	1.49
		तंजावुर	6	0.29	0.71
		सिवगंगाई	8	0.80	2.86
		मदुरई	8	0.65	3.37
		विल्लुपुरम	8	0.37	2.47
23	त्रिपुरा	दक्षिणी त्रिपुरा	7	0.16	
		पश्चिमी त्रिपुरा	7	0.10	
24	उत्तरप्रदेश	इलाहाबाद	छोटी/एकल पाईप जल आपूर्ति	2.46	
		बाराबंकी	छोटी/एकल पाईप जल आपूर्ति	1.64	
		बरेली	छोटी/एकल पाईप जल आपूर्ति	2.43	
		बिजनौर	हैन्डपम्प/एकल पाईप जल आपूर्ति	1.51	

		चन्दौली	हैन्डपम्प/ छोटी पाईप जल आपूर्ति	0.50	
		लखनऊ	हैन्डपम्प/ छोटी पाईप जल आपूर्ति	0.38	
		मिर्जापुर	❖	1.60	
		मुरादाबाद	हैन्डपम्प/ छोटी/एकल पाईप जल आपूर्ति	1.00	
		प्रतापगढ़	हैन्डपम्प/ छोटी/एकल पाईप जल आपूर्ति	0.62	
		सोनभद्र	हैन्डपम्प/ छोटी पाईप जल आपूर्ति	0.61	
		वाराणसी	हैन्डपम्प/ छोटी पाईप जल आपूर्ति	1.33	
25	उत्तराखण्ड	अलमोड़ा	2	0.23	
		चम्पावत	5	0.33	
		देहरादून	2	0.21	
		पिथौरागढ	4	0.28	
		टिहरीगढ़वाल	3	0.27	
26	पश्चिम बंगाल	मालदा	9	0.62	
		पश्चिम मेदनीपुर	10	0.86	
		उत्तर 24 परगना	10	1.65	
		बाकुरा	10	0.84	
		दखिण 24 परगना	10	0.51	

❖ : मिर्जापुर में, वर्ष 2004-05 और 2005-06 में क्रमशः रूपये 75.12 लाख और रूपये 85.15 लाख प्राप्त हुए थे, परन्तु अभी तक कोई परियोजना आरम्भ नहीं हुई थी।

परिशिष्टः बी
(पैरा 2.4.2)

देरी से निर्मुक्त केन्दीय निधियों की राशि को दर्शाता विवरण

(रू. लाख में)

राज्य	केन्द्रीय निधि
छत्तीसगढ़	9214.74
गुजरात	275.7
हिमाचल प्रदेश	42.79
कर्नाटक	12424.09
केरल	154.8
नागालैण्ड	7109.24
राजस्थान	5289.95
उत्तराखण्ड	2064.12
पश्चिम बंगाल	42473.33
कुल	79048.76

स्लिप बैक का राज्यवार विश्लेषण

परिशिष्ट-सी
(पैरा 2.5)

आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2003 और अप्रैल 2004 के मध्य पी.सी. बसावटों की संख्या 7329 तक बढ़ गई तथापि फरवरी-मार्च 2007 में बसावटों की स्थिति के अद्यतन के दौरान 12951 बसावट एफ.सी. से स्लिप बैक प्रतिवेदित किये गये। जनसंख्या में बढ़ोत्तरी, मजूदरों का एक जगह से दूसरी जगह प्रवास और भूजलस्तर बदलाव इसके कारण बताये गये।
असम	नौ जाँच परीक्षित मंडलों में 2002-07 की अवधि के दौरान 4066 बसावटों का स्लिप बैक हुआ जो निकृष्ट रख-रखाव और गुणवत्ता की समस्या आदि के कारण हुआ। तथापि पूरे राज्य के प्रतिवेदित आंकड़े अप्रैल 2002 और अप्रैल 2007 की अवधि के दौरान कोई भी स्लिप बैक नहीं बताते, अतः इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संदेह प्रकट होता है।
बिहार	1993-94 के बसावट सर्वेक्षण के आधार पर अप्रैल 2002 में यह प्रतिवेदित किया गया कि सभी बसावट आवृत कर लिये गये। तथापि 1 अप्रैल 2004 में (2003 के सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित) कुल 105503 बसावटों में से केवल 32911 एफ.सी. बसावट (31 प्रतिशत), 44930 पी.सी. बसावट और 27462 एन.सी. बसावट थीं।
छत्तीसगढ़	2003 के नये सर्वेक्षण और विभागों के अप्रैल 2003 के आंकड़ों के अनुसार एफ.सी. बसावटों की स्थिति से 7674 एफ.सी. बसावटों के स्लिप बैक का पता लगा, जिनका कारण स्त्रोतों के सूखने/बन्द होने एवं भराव के कारण गुणवत्ता पर असर पड़ने तथा जनजातियों का समय-समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रतिवेदित किया गया। तथापि स्लिप बैक का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।
गुजरात	1 अप्रैल 2003 और 1 अप्रैल 2004 को एफ.सी. बसावटों की स्थिति से पी.सी. और एन.सी. बसावटों में 8386 की बढ़ोत्तरी और 3810 एफ.सी. बसावटों में स्लिप बैक का पता चला, जिसका कारण गुणवत्ता समस्या एवं जल स्त्रोतों का कम

	होना प्रतिवेदित किया गया।
हिमाचल प्रदेश	1993-94 के दौरान पहचानी गई बसावटों की स्थिति और 2003 के सर्वेक्षण से प्रकट आकड़े 18204 एफ.सी. बसावटों का स्लिप बैक बताते हैं। जिसका कारण सर्वेक्षण प्रचालन के मानदण्डों में बदलाव, जनसंख्या वृद्धि के कारण नई बसावटों की आवश्यकता और जल स्त्रोतों में प्रवाह की कमी प्रतिवेदित किया गया।
जम्मू एवं कश्मीर	सी.ए.पी 99 के अनुसार कुल 11184 बसावटों मे से, सी.ए.पी 99 और 2003 के मध्य हुए सर्वेक्षण में 1629 एफ.सी. बसावटों, 224 पी.सी. और 1405 एन.सी का स्लिप बैक था।
कर्नाटक	अप्रैल 2001 और अप्रैल 2003 में बसावटों की स्थिति की तुलना से 11585 एफ.सी. बसावटों का स्लिप बैक प्रकट हुआ।
केरल	1 अप्रैल 2005 को बसावटों की स्थिति के विभागीय आंकड़ों और 2003 के सर्वेक्षण डाटा पर आधारित आंकड़ों की तुलना में 423 एफ.सी. बसावटों का स्लिप बैक दर्शाया गया।
मध्य प्रदेश	1 अप्रैल 2003 और 1 अप्रैल 2004 को एफ.सी. बसावटों की स्थिति में 36470 एफ.सी बसावटों का स्लिप बैक बताया गया।
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2005 को भारत सरकार को प्रेषित एन.सी/पी.सी बसावटों के प्रतिवेदन में 1851 एन.सी. और 21250 पी.सी. बसावटों को कम प्रतिवेदित किया गया इसका श्रेय इस तथ्य को गया कि 2003 के सर्वेक्षण के आंकड़ों और जिला परिषद् के प्रतिनिधियों से प्राप्त आंकड़ों का मिलान नहीं हुआ।
नागालैण्ड	1 अप्रैल 2002 को बसावटों की स्थिति और 2003 के सर्वेक्षण के आंकड़ों की नई स्थिति से 429 एफ.सी. बसावटों में स्लिप बैक प्रकट हुआ।
उड़ीसा	1 अप्रैल 2002 और 1 अप्रैल 2005 को बसावटों की स्थिति (2003 के सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार) से 4614 एफ.सी. बसावटों में स्लिप बैक प्रकट हुआ।
राजस्थान	1 अप्रैल 2004 और 1 अप्रैल 2005 को एफ.सी. बसावटों की स्थिति से 37,759 एफ.सी. बसावटों का स्लिप बैक प्रकट हुआ। इसके अतिरिक्त मार्च 2007 को कुल 122250 बसावटों में से 65329 बसावट पर्याप्त पेय जल के बिना थी, जिनसे से 30088 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें थीं।

सिक्किम	1 अप्रैल 2004 और 1 अप्रैल 2005 को एफ.सी बसावटों की स्थिति में 138 एफ.सी. बसावटों में स्लिप बैक का पता लगा।
उत्तर प्रदेश	1 अप्रैल 2004 और 1 अप्रैल 2005 को एफ.सी. बसावटों की स्थिति में 10167 एफ.सी. बसावटों से स्लिप बैक का पता लगा।
उत्तराखण्ड	1 अप्रैल 2003 और 1 अप्रैल 2004 (2003 के सर्वेक्षण पर आधारित आंकड़े) को एफ.सी. बसावटों की स्थिति में 10062 एफ.सी. बसावटों के स्लिप बैक का पता लगा। 2003 के सर्वेक्षण में यह भी दिखाया गया कि जल आपूर्ति के 4719 स्त्रोतों में से 805 स्त्रोतों के जल प्रवाह में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई। 2005 तक जल संस्थान को ओ एण्ड एम के लिए सौंपी गई 5818 जल आपूर्ति योजनाओं में से 1981 योजनाओं के जल प्रवाह में कमी आई, इसमें से 1290 योजनाओं में कमी 50 से 75 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त जन वैज्ञानिक संस्थान (पी.एस.आई.) द्वारा किये गये 6 जिलों में घरों के सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि 791 घरों के 81 प्रतिशत घरों में सरकारी पाइप लाइन की पहुँच को बताया गया परन्तु ये स्त्रोत 67 प्रतिशत ग्रीष्म की मांग और 75 प्रतिशत सर्दी की मांग को पूरा करते थे। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण के अनुसार एस.सी./एस.टी घर घाटे के स्थिति में थे क्योंकि कुछ ही को 40 एल.पी.सी.डी से ज्यादा प्राप्त था, एक हिस्से के कुछ ज्यादा को केवल 11 से 20 एल.पी.सी.डी प्राप्त था और 6 में से 4 जिलों में यह अन्तर ज्यादा था।
पश्चिम बंगाल	1 अप्रैल 2003 और 1 अप्रैल 2004 (2003 के सर्वेक्षण पर आधारित) को एफ.सी. बसावटों की स्थिति में 10650 एफ.सी. बसावटों में स्लिप बैक पाया गया। स्लिप बैक का मुख्य कारण आरसैनिक से प्रभावित क्षेत्रों में उचित मापदंड न अपनाने के कारण से नल कूपों के जल स्तर में कमी हुई और विद्यमान नल कूप बिना रख रखाव/अपर्याप्त रखरखाव के कारण निष्क्रिय और कम जल उपलब्ध कराने वाले हो गए।

परिशिष्ट-डी :
(पैरा 6.5)

डी डी डब्ल्यू एस एंव राज्य स्तर के आंकडों के मध्य बसावट के आंकड़ों मे अन्तर दर्शाता विवरण

10,000 बसावटों और अधिक (योग)के अन्तर (राज्य स्तर के आंकड़े - डी डी डब्ल्यू एस)

राज्य का नाम	1 अप्रैल को			
	2004	2005	2006	2007
छत्तीसगढ़	22396	22396	22396	—
झारखंड	20054	20054	20054	20054
मध्य प्रदेश	16683	16683	16683	16683
उड़ीसा	—	27269	27269	27269
राजस्थान	—	28304	28304	28304
तमिलनाडू	15156	15156	15156	15156
उत्तर प्रदेश	—	16602	16602	16602
पश्चिम बंगाल	17229	17229	17229	17229

(स्त्रोतः-डी डी डब्ल्यू एस एवं राज्य के कार्यान्वयन एजेन्सियों से इकट्ठे किये गये आंकड़ें)

विवरणी :- 5000 और अधिक बसावटों के कम्प्यूटर डाटा (राज्य स्तरीय आंकडे- डी डी डब्ल्यू एस)

राज्य का नाम	1 अप्रैल को			
	2004	2005	2006	2007
आन्ध्र प्रदेश	36663	34198	25290	32739
बिहार	44930	44325	44519	36850
छत्तीसगढ़	12412	11389	9378	—
गुजरात	9404	8552	7561	6005
झारखंड	5555	—	—	—
मध्य प्रदेश	31376	28249	22113	14840

उड़ीसा	—	13085	11535	9908
राजस्थान	13335	17159	7228	—
तमिलनाडू	35877	32314	25670	29241
उत्तर प्रदेश	—	18776	17160	8060
उत्तराखंड	13797	13650	13345	12044
पश्चिम बंगाल	25103	22197	19749	17063

(स्त्रोतः-डी डी डब्ल्यू एस एवं राज्य के कार्यान्वयन एजेन्सियों से इकट्ठे किये गये आंकड़ें)

विवरणी :- 500 बसावटों से अधिक के अन्तर के एन.सी. डाटा (राज्य स्तर आंकड़े - डी.डी.डब्ल्यू.एस)

राज्य का नाम	1 अप्रैल को			
	2004	2005	2006	2007
आन्ध्र प्रदेश	1651	1535	7673	6255
बिहार	27462	27452	26247	18486
छत्तीसगढ़	14471	11793	6791	—
झारखंड	15357	13369	11771	—
मध्य प्रदेश	19486	14035	7694	1777
महाराष्ट्र	1624	--	--	—
उड़ीसा	—	18798	9284	3344
पंजाब	2849	2701	3087	2848
राजस्थान	--	62913	61894	60029
तमिलनाडू	9283	3224	968	—
त्रिपुरा	6949	6914	6731	6411
उत्तर प्रदेश	--	7993	7034	2790
उत्तराखंड	5488	5207	5121	4766
पश्चिम बंगाल	9528	6835	6540	6187

(स्त्रोतः-डी डी डब्ल्यू एस एवं राज्य के कार्यान्वयन एजेन्सियों से इकट्ठे किये गये आंकड़ें)

परिशिष्ट-ई
(पैरा 2.8.2)

विवरणी समय पर न भेजने का विवरण

वार्षिक विवरणी

विवरणी	भेजने की निर्धारित तिथि	राज्य जो विवरणी नहीं भेज रहे
परियोजना की पूरा होने की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट	31 अक्टूबर एवं 30 अप्रैल तक	**आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एवं पश्चिम बंगाल** (16 राज्य)
वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अन्दर उपलब्धि की वार्षिक रिपोर्ट	आने वाले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक	**असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल** (10 राज्य)
एम.एन.पी प्रावधान एवं ए.आर. डब्ल्यू एस.पी. के आवंटन के जिलावार आंकड़े	प्रत्येक वर्ष मई के समाप्त होने से पहले	**आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, पंजाब सिक्किम, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल** (12 राज्य)

तिमाही विवरणी

विवरणी	भेजने की निर्धारित	राज्य जो विवरणी नहीं भेज रहे
अनुवीक्षण की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (पूर्ण विवरण सहित)	आने वाली तिमाही के पहले महीने की 20 तारीख तक	**आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश,एंव पश्चिम बंगाल** (12 राज्य)
कार्यरत/अकार्यरत हैन्डपंप एवं अन्य पेय जल आपूर्ति योजनाओं की स्थिति	पिछली तिमाही के 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्तूबर, एवं 31 जनवरी तक	**अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, उडीसा, पंजाब, राजस्थान सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एवं पश्चिम बंगाल** (20 राज्य)

मासिक विवरणी

विवरणी	भेजने की निर्धारित तिथि	राज्य जो विवरणी नहीं भेज रहे
मासिक प्रगति रिपोर्ट	आने वाले महीने की 20 तारीख तक	**झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, एवं पश्चिम बंगाल** (5 राज्य)
ग्रामीण विद्यालयों मे पेय जल योजनाओं के संस्थापन संबंधी प्रगति रिपोर्ट	मासिक	**झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल** (6 राज्य)
विभिन्न प्रकार के ड्रिलिग रिग के निष्पादन की प्रगति	आने वाले महीने की 20 तारीख तक	**आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर,, मेघालय, उडीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एवं पश्चिम बंगाल** (15 राज्य)